SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

रेल मंत्रालय

2026 की प्रतिवेदन संख्या 3

(रेलवे वित्त)

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

____________________को लोकसभा / राज्यसभा में प्रस्तुत

संघ सरकार

रेल मंत्रालय

2026 की प्रतिवेदन संख्या 3

(रेलवे वित्त)

SURJITH K
Digitally signed by SURJITH K
Date: 2026.04.24 12:11:09 +05'30'

विषय सूची

विवरण	*अनुच्छेद*	*पृष्ठ*
प्राक्कथन		
कार्यकारी सार		*(i) - (v)*
अध्याय 1 - वित्त की स्थिति		
चालू वर्ष के वित्तीय लेन-देन का सारांश	1.1	1-3
रेलवे मंत्रालय के संसाधन	1.2	4-12
यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं का क्रॉस-सब्सिडीकरण	1.3	13-15
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.4	15-21
राजस्व अधिशेष	1.5	21-22
दक्षता सूचकांक	1.6	22-25
रेलवे निधियाँ	1.7	25-34
निष्कर्ष	1.8	34-35
अनुशंसाएं	1.9	35
अध्याय 2 - विनियोग लेखे		
विनियोग लेखों का सारांश	2.1	37-43
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.2	43-47
पूंजी अनुदान संख्या 16 - परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन	2.3	47-50
निधियों का आहरण/उपयोग	2.4	51-52
अनुपूरक प्रावधान	2.5	52-54
निर्धारित सीमा से अधिक अधिशेष/बचत	2.6	54-56
व्यय का गलत वर्गीकरण	2.7	56-80
अस्वीकृत व्यय	2.8	80-81

विवरण	*अनुच्छेद*	*पृष्ठ*
निष्कर्ष	2.9	81-82
अनुशंसाएं	2.10	82-83
अध्याय 3 - भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय निष्पादन		
परिचय	3.1	84
रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	3.2	84-88
रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ और भुगतान किया गया लाभांश	3.3	89-98
वर्ष 2022-23 और 2023-24 हेतु रेलटेल की व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं सातत्यता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर)	3.4	98-101
रेल मंत्रालय की प्रतिक्रिया	3.5	101
सारांश	3.6	102
अनुशंसाएं	3.7	103
निष्कर्ष	3.8	103-104
पारिभाषिक शब्दावली		105-106
संक्षिप्ताक्षरों की सूची		107-108
अनुलग्नक 1.1 - अध्याय 1		109-110
अनुलग्नक 2.1 से 2.2 - अध्याय 2		111-119
अनुलग्नक 3.1 से 3.5 - अध्याय 3		120-136

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय रेल के वित्त लेखों की जांच से उत्पन्न मामलों पर लेखा-परीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। यह विभिन्न मापदंडों के आधार पर रेलवे की वित्तीय स्थिति पर केंद्रित है।

प्रतिवेदन के **अध्याय 2** में भारतीय रेल के विनियोग लेखों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। यह अध्याय 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु संसद द्वारा दी गई प्राधिकृति के विरूद्ध बचत/आधिक्य के कारणों का विश्लेषण करता है।

प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय रेल के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का एक समग्र अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

भारतीय रेलवे (भा.रे.) भारत सरकार का एक विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। रेलवे बजट के केंद्रीय बजट में विलय होने के कारण, भारतीय रेलवे (भा.रे.) के विनियोग लेखों का सारांश और टिप्पणियाँ अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संघ सरकार पर प्रतिवेदन- संघ सरकार के लेखों (वित्तीय लेखापरीक्षा) खातों में सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में भारतीय रेलवे के वित्त लेखों की वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की जांच से उजागर मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित हैं। यह प्रतिवेदन विभिन्न मापदंडों के आधार पर रेलवे की वित्तीय स्थिति पर केंद्रित है। प्रमुख टिप्पणियां/अवलोकन निम्नलिखित हैं:

क) रेल मंत्रालय (रे.म.) का कुल व्यय 2023-24 के दौरान 16.62 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय में 28.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, राजस्व व्यय में 6.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रेल मंत्रालय (रे.म.) ने कुल परिचालन व्यय का लगभग 72.89 प्रतिशत कर्मचारियों की लागत, पेंशन भुगतान और रोलिंग स्टॉक पर पट्टा किराया शुल्क पर व्यय किया। पूंजीगत व्यय में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) का हिस्सा कुल पूंजीगत व्यय का 6.34 प्रतिशत था। आंतरिक संसाधनों के अपर्याप्त सृजन के परिणामस्वरूप सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) पर अधिक निर्भरता हुई।

ख) वर्ष 2023-24 के दौरान सकल यातायात प्राप्तियों में वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल प्राप्तियों में यह वृद्धि मुख्य रूप से यात्री आय, अन्य कोचिंग आय और माल ढुलाई आय में वृद्धि के कारण हुई। माल ढुलाई आय में कोयले के परिवहन का योगदान 51.32 प्रतिशत था।

ग) 2023-24 में ₹ 3,259.68 करोड़ का शुद्ध अधिशेष रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 2,517.38 करोड़ था। परिचालन अनुपात (ओआर) 2023-24 में 98.43 प्रतिशत रहा, जबकि 2022-23 में यह 98.10 प्रतिशत था।

घ) मूल्यह्रास हेतु अपर्याप्त प्रावधान का परिणाम 'थ्रो फॉरवर्ड' (उपयोगी पुरानी परिसंपत्तियों का नवीनीकरण और प्रतिस्थापन) कार्यों का ढेर लग गया, जिसका अनुमान 2023-24 तक ₹ 30,921 करोड़ है।

अनुशंसाएं:

रेल मंत्रालय-

i. यात्री परिचालन की लागत का गहन विश्लेषण करे और घाटे को कम करने के उपाय करे।

ii. माल ढुलाई से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए अपने माल ढुलाई विकल्पों में विविधता लाए।

iii. ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन हेतु पुरानी हो चुकी परिसंपत्तियों के नवीनीकरण के लंबित मामलों को निपटाए।

iv. आर्थिक राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाएं।

प्रतिवेदन के **अध्याय 2** में भारतीय रेलवे के विनियोग लेखों पर लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्ष सम्मिलित हैं। इस अध्याय में 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु संसद द्वारा दिए गए प्राधिकरण के विरुद्ध बचत/आधिक्य के कारणों का भी विश्लेषण किया गया है। प्रमुख अवलोकन निम्नलिखित हैं:

क) राजस्व अनुदान (3002-03) के अंतर्गत स्वीकृत बजट ₹ 1,28,852.28 करोड़ से अधिक ₹ 9,797.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ख) 5 मामलों में (राजस्व अनुदान 3002-03 और पूंजी अनुदान-5002-03 के अंतर्गत) ₹ 50,694.82 करोड़ की बचत हुई, जहाँ प्रत्येक मामले में वर्ष 2023-24 के दौरान बचत ₹100 करोड़ से अधिक थी।

ग) मुख्य शीर्ष (एमएच) 3002-03 - (07) (प्रभारित) के अंतर्गत ₹ 17.48 करोड़, मुख्य शीर्ष (एमएच) 3002-03 - (10) (प्रभारित) के अंतर्गत ₹ 64.62 करोड़ और मुख्य शीर्ष (एमएच) 3075 (60)-102 (दत्तमत) के अंतर्गत प्राप्त ₹ 0.01 करोड़ के पूरक प्रावधानों के बावजूद, उक्त राजस्व प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत

क्रमशः ₹ 28.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, ₹ 25.57 करोड़ की बचत और ₹ 1,945.15 करोड़ की अधिकता थी।

घ) पूंजी अनुदान (5002-03) के दत्तमत और प्रभारित खंडों के अंतर्गत क्रमशः ₹ 69.84 करोड़ और ₹ 619.54 करोड़ के पूरक प्रावधानों के बावजूद, उक्त पूंजी प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः ₹ 10,326.13 करोड़ की बचत और ₹ 95.84 करोड़ की अधिकता थी।

ड) राजस्व से पूंजी अनुदान और इसके विपरीत, दत्तमत से प्रभारित और इसके विपरीत व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले थे और राजस्व से राजस्व अनुदान (उप प्रमुख शीर्षों के बीच), पूंजी से पूंजी अनुदान (रेलवे निधियों के बीच) और राजस्व अनुदान से आय जैसी अन्य त्रुटियाँ भी थीं।

घ) वर्ष 2023-24 के दौरान 1,999 मामलों से संबंधित ₹ 9,122.24 करोड़ का अस्वीकृत व्यय किया गया, जो कुल व्यय का 1.24 प्रतिशत था।

अनुशंसाएं:

रेल मंत्रालय-

i. व्यय प्रवाह और बजट आवंटन की नियमित निगरानी के लिए बजट नियंत्रण अधिकारियों का पर्यवेक्षण करे और अतिरिक्त निधि प्राप्त करने/आवंटित निधि को समर्पण करने के लिए त्वरित कार्रवाई करे, ताकि निधियों का उपयोग उचित उद्देश्यों के लिए न्यायसंगत तरीके से किया जा सके।

ii. व्यय के गलत वर्गीकरण के मामलों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करें। प्रमुख नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निवारक प्रतिबंध लागू करे।

iii. यह सुनिश्चित करे कि सभी अस्वीकृत व्यय को प्राथमिकता के आधार पर नियमित किया जाए।

प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का अवलोकन सम्मिलित है। प्रमुख अवलोकन निम्नलिखित हैं:

क) मार्च 2024 तक रेल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी और ऋण का निवेश ₹ 5,28,276.78 करोड़ था, जिसमें ₹ 63,225.15 करोड़ की चुकता पूँजी/अदा की गई पूंजी और ₹ 4,65,051.63 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित थे। भारत सरकार ने रेल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की चुकता/अदा की गई शेयर पूंजी में ₹ 48,959.14 करोड़ (77.45 प्रतिशत) का योगदान दिया। शेष ₹ 14,266.01 करोड़ की चुकता/अदा की गई शेयर पूंजी में वित्तीय संस्थानों (5.60 प्रतिशत), केंद्र सरकार की कंपनियों (5.54 प्रतिशत) और राज्य सरकार/राज्य सरकार की कंपनियों (11.41 प्रतिशत) का योगदान रहा।

ख) रेल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शुद्ध लाभ में वृद्धि का रुझान दिखा। जो 2019-20 में ₹ 6,482.28 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 12,737.15 करोड़ हो गया है।

ग) कुल 45 रेल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से 35 ने वर्ष 2023-24 के दौरान लाभ (₹ 12,737.15 करोड़) अर्जित किया, जिनमें 10 रेलवे कंपनियां, 14 सहायक कंपनियां, 5 संयुक्त उद्यम और 6 विशेष उद्यम सम्मिलित थे। लाभ अर्जित करने वाले इन 35 रेल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से केवल 12 (7 रेलवे कंपनियां, 2 सहायक कंपनियां, 1 संयुक्त उद्यम और 2 विशेष उद्यम) ने लाभांश (₹ 4,616.59 करोड़) घोषित किया, जैसा कि मई 2016 के डीआईपीएएम के निर्देशों में निर्धारित था। इन निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30 प्रतिशत या शुद्ध संपत्ति का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो, लाभांश के रूप में देना अनिवार्य था। यद्यपि सात रेलवे कंपनियों ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित किया, लेकिन एक रेलवे कंपनी (भारतीय रेलवे वित्त निगम) द्वारा मई 2016 के डीआईपीएएम निर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान नहीं किया।

घ) 31 मार्च 2024 को सात रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण ₹ 4,16,122.88 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में बाजार पूंजीकरण में 182.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

ङ) रेलटेल के पास ई-कचरे के निपटान के लिए कोई अलग नीति नहीं थी। ई-कचरे का निपटान 'ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022' के अनुसार किया जाना चाहिए था।

च) रेलटेल पुरानी बैटरियों का निपटान या तो बाय-बैक प्रक्रिया के माध्यम से या अन्य कचरे के साथ "जैसा है जहाँ है" के आधार पर करता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित नहीं करती कि बेकार बैटरियों का निपटान अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जिससे निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं होता है।

अनुशंसाएं:

रेल मंत्रालय-

- **रेल मंत्रालय, डीआईपीएएम के निर्देशों के अनुसार सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और विशेष उद्यम (एसपीवी) द्वारा लाभांश के भुगतान को सुनिश्चित करे।**

- ***रेलटेल को ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुसार अपनी ई-कचरा प्रबंधन नीति को अद्यतन करना चाहिए, जो अधिकृत चैनलों के माध्यम से उचित संग्रह, पुनर्चक्रण और निपटान पर जोर देता है।***

अध्याय - 1

वित्त की स्थिति

अध्याय 1 वित्त की स्थिति

यह अध्याय 2023-24 के दौरान भारतीय रेलवे के वित्त पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यह पिछले वर्ष के संदर्भ में प्रमुख वित्तीय संकेतकों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ-साथ समग्र रुझानों का विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के लिए आधारभूत डेटा रेल मंत्रालय (रे मं) के वित्त लेखे हैं। वित्त लेखों का संकलन रेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है और इसे केंद्र सरकार के वित्त लेखा में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 2023-24 के दौरान भारतीय रेलवे के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए सरकारी दस्तावेजों और रिपोर्टों[1] से प्राप्त आंकड़ों का भी उपयोग किया गया है।

1.1 चालू वर्ष के वित्तीय लेन-देन का सारांश

निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान भारतीय रेलवे के वित्तीय लेन-देन का सारांश प्रस्तुत किया गया है। तालिका में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी को दर्शाते हैं।

तालिका 1.1: वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियों और व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

पूंजीगत और राजस्व व्यय का सारांश					
क्रम सं	**विवरण**	**वास्तविक 2022-23**	**बजट अनुमान 2023-24**	**संशोधित अनुमान 2023-24**	**वास्तविक 2023-24**
1.	पूंजीगत व्यय[2]	2,03,983.08 (7.21)	2,60,200	2,60,200	2,62,216.93 (28.55)
2.	राजस्व व्यय	2,37,659.58 (15.15)	2,62,790	2,56,600	2,52,833.73 (6.38)
	कुल व्यय	**4,41,642.66 (11.34)**	**5,22,990**	**5,16,800**	**5,15,050.66 (16.62)**
पूंजीगत और राजस्व व्यय का सारांश					
1	यात्री आय	63,416.85 (61.72)	70,000	73,000	70,693.33 (11.47)

[1] भारतीय रेलवे के वित्त लेखे, बजट दस्तावेज, वार्षिक सांख्यिकीय विवरण

[2] पूंजीगत व्यय में सकल बजटीय सहायता, आंतरिक संसाधन और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) से किया गया व्यय शामिल है।

पूंजीगत और राजस्व व्यय का सारांश					
क्रम सं	**विवरण**	**वास्तविक 2022-23**	**बजट अनुमान 2023-24**	**संशोधित अनुमान 2023-24**	**वास्तविक 2023-24**
2	अन्य कोचिंग आय[3]	5,958.32 (21.61)	7,000	6,500	6,727.25 (12.91)
3	माल भाड़ा आय	1,62,262.90 (15.00)	1,79,500	1,69,000	1,68,293.29 (3.72)
4	विविध आय[4]	8,498.60 (40.06)	8,000	9,300	9,652.44 (13.58)
5	**कुल यातायात आय**	**2,40,136.67 (25.54)**	**2,64,500**	**2,57,800**	**2,55,366.31 (6.34)**
6	यातायात संबंधी लंबित मामलों से निकासी (उचंत)	(-)154.11 (114.58)	100	100	(-)93.67 (39.22)
7	**सकल यातायात प्राप्तियाँ[5] (मद संख्या 5+6)**	**2,39,982.56 (25.51)**	**2,64,600**	**2,57,900**	**2,55,272.64 (6.37)**
8	विविध प्राप्तियाँ[6]	194.40 (21.10)	400	700	820.78 (322.21)
9	**कुल प्राप्तियाँ (मद संख्या 7 + 8)**	**2,40,176.96 (25.51)**	**2,65,000**	**2,58,600**	**2,56,093.42 (6.63)**
10	शुद्ध सामान्य परिचालन व्यय[7]	1,80,255.78 (15.17)	1,88,574	1,91,400	1,91,093.61 (6.01)
11	**विनियोग**				
	पेंशन निधि*	54,700.00 (13.72)	70,516	62,100	59,000 (8.00)
	मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ)*	700.00 (700)	1,000	800	800 (14.29)

[3] पार्सल, सामान और डाकघर की डाक आदि के परिवहन से होने वाली आय।

[4] किराये से होने वाली आय, भवन पट्टे पर देना, खानपान सेवाएं, विज्ञापन, साइडिंग और लेवल क्रॉसिंग का रखरखाव, रणनीतिक लाइनों पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति आदि से होने वाली आय।

[5] माल ढुलाई, यात्री परिवहन, अन्य परिवहन सेवाओं और विविध आय से प्राप्त परिचालन संबंधी प्राप्तियां।

[6] विविध प्राप्तियों में रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा प्राप्तियां, अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा प्राप्तियां और रेलवे दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी) आदि की प्राप्तियां शामिल हैं।

[7] एमओआर के परिचालन व्यय (कर्मचारियों का वेतन, परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव, ईंधन आदि)।

पूंजीगत और राजस्व व्यय का सारांश					
क्रम सं	**विवरण**	**वास्तविक 2022-23**	**बजट अनुमान 2023-24**	**संशोधित अनुमान 2023-24**	**वास्तविक 2023-24**
12	**कुल परिचालन व्यय[8] (मद संख्या 10 + 11)**	**2,35,655.78 (15.18)**	**2,60,090**	**2,54,300**	**2,50,893.61 (6.47)**
13	विविध व्यय[9]	2,003.80 (12.24)	2700	2300	1,940.12 (-3.18)
14	**कुल व्यय (मद संख्या 12 + 13)**	**2,37,659.58 (15.15)**	**2,62,790**	**2,56,600**	**2,52,833.73 (6.38)**
15	शुद्ध अधिशेष (मद संख्या 9 (-) 14)	2,517.38 (116.76)	2,210	2,000	3,259.68 (29.49)
16	**विनियोजन के लिए उपलब्ध अधिशेष**				
	विकास निधि (डीएफ)	1,000.00	1,210	1,000	1,500
	राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	1,517.38	1,000	1,000	1,759.68
17	**परिचालन अनुपात**	**98.10**	**98.45**	**98.65**	**98.43**

स्रोत वित्तीय लेखा :2023-24 और रेलवे बजट 2022-23 तथा 2023-24

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी दर्शाते हैं

**केवल क्षेत्रीय रेलवे के लिए निधि का विनियोजन*

जैसा कि **तालिका 1.1** से देखा जा सकता है:

1. वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्राप्तियों में 6.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से सभी प्रकार की आय में वृद्धि के मुख्य कारण, जैसे कि यात्री आय (11.47 प्रतिशत), अन्य कोचिंग आय (12.91 प्रतिशत), माल भाड़ा आय (3.72 प्रतिशत) और विविध आय (13.58 प्रतिशत)।

2. वर्ष 2023-24 में शुद्ध सामान्य कार्यशील व्यय में वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में पेंशन फंड और मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) के लिए अधिक विनियोजन के कारण योग परिचालन व्यय में भी 6.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

---

[8] क्षेत्रीय रेलवे के संबंध में परिचालन व्यय और डीआरएफ तथा पेंशन फंड के लिए विनियोजन।

[9] विविध व्यय में रेलवे बोर्ड, सर्वेक्षण, अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन, रेल मंत्रालय के अन्य विविध प्रतिष्ठान, सांविधिक लेखापरीक्षा आदि पर होने वाला व्यय शामिल है।

3. ₹2,210 करोड़ के बजट अनुमान (बीई) के मुकाबले, सभी राजस्व देनदारियों को पूरा करने के बाद 2023-24 में 'शुद्ध अधिशेष' ₹3,259.68 करोड़ था, जबकि 2022-23 में शुद्ध अधिशेष ₹2,517.38 करोड़ था।

1.2 रेल मंत्रालय के संसाधन

रेल मंत्रालय (रे मं) को (i) केंद्र सरकार से बजटीय सहायता, (ii) अपने आंतरिक संसाधनों और (iii) अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान रेल मंत्रालय की प्राप्तियों के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं:

चित्र 1.1: प्राप्तियों के स्रोत

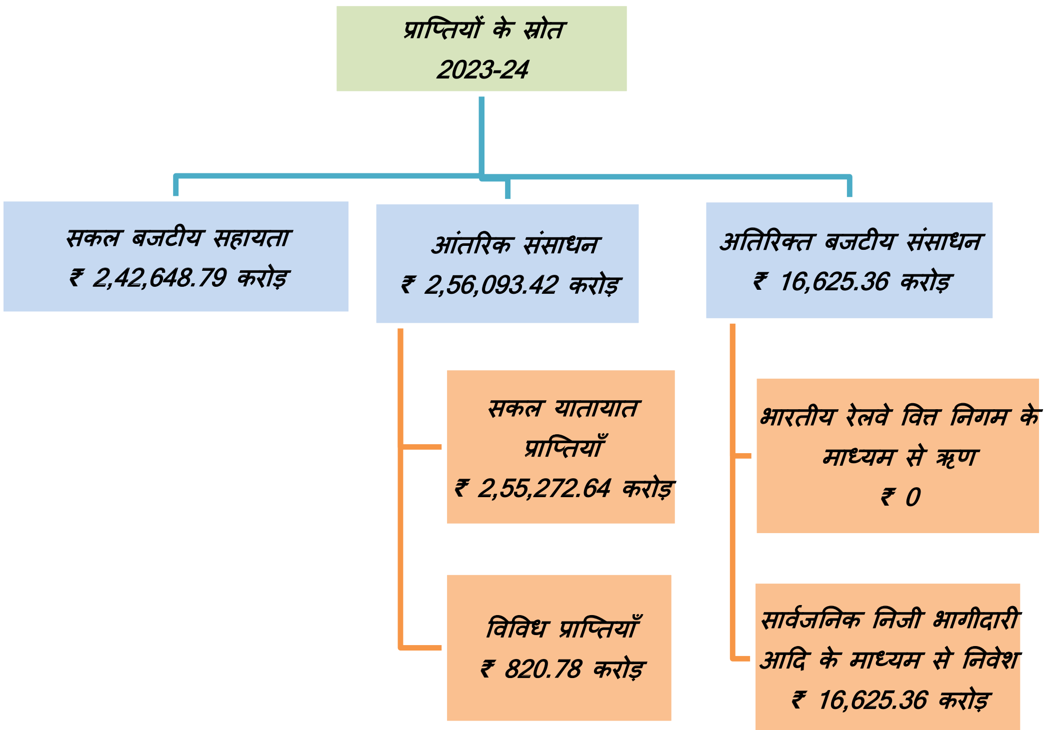

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान रेल मंत्रालय के लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का हिस्सा निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 1.2: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान रेल मंत्रालय के विभिन्न संसाधनों का हिस्सा

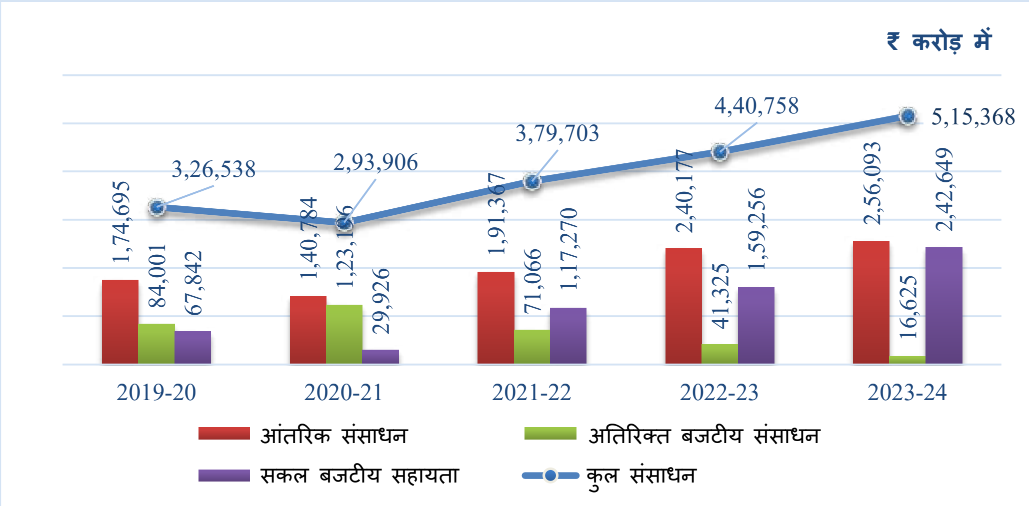

स्रोत: वित्त मंत्रालय के वर्ष 2023-24 के बजट दस्तावेज और वित्त लेखा विवरण

उपरोक्त बार आरेख दर्शाता है कि आंतरिक संसाधन, उसके बाद सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (पीपीपी मोड के माध्यम से निवेश) रेल मंत्रालय के सबसे बड़े संसाधन हैं। रेलवे 1987 में अपनी स्थापना के बाद से ही रोलिंग स्टॉक की खरीद के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) के माध्यम से अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटा रहा है। रेल मंत्रालय ने 2015-16 से परियोजना वित्तपोषण के लिए ईबीआर का भी सहारा लिया। 2023-24 में, रेल मंत्रालय ने आईआरएफसी के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई। इसने पीपीपी मोड के माध्यम से निवेश द्वारा ₹16,625 करोड़ जुटाए।

भारतीय रेलवे के वर्ष 2023-24 के ब्लॉक लेखे से यह भी पता चला कि महानगर परिवहन परियोजना की लागत में हिस्सेदारी के लिए महाराष्ट्र लिमिटेड के नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सीआईडीसीओ) से वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त ₹ 161.16 करोड़ को किसी भी प्रकार के प्राप्ति स्रोत में शामिल नहीं किया गया है।

1.2.1 अतिरिक्त बजटीय संसाधन

अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) में रोलिंग स्टॉक की खरीद और रेल मंत्रालय की परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आईआरएफसी के माध्यम से जुटाई गई धनराशि शामिल है। पूंजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारतीय जीवन बीमा

निगम (एलआईसी) से प्राप्त संस्थागत वित्त (ईबीआर-आईएफ) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से जुटाई गई धनराशि भी ईबीआर का हिस्सा है। 2023-24 में, रेल मंत्रालय ने आईआरएफसी के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है, जबकि 2022-23 में ₹ 30,239.43 करोड़ जुटाए गए थे। इसने 2023-24 में पीपीपी मोड के माध्यम से निवेश के जरिए ₹16,625.36 करोड़ जुटाए, जबकि 2022-23 में यह राशि ₹11,086.03 करोड़ थी।

1.2.2 सकल बजटीय समर्थन

वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार से सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में ₹2,42,648.79 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1,59,256.15 करोड़ प्राप्त हुए थे। केंद्र सरकार से मिलने वाली बजटीय सहायता में पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 52.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए सामान्य राजस्व पर निर्भरता बढ़ गई। इसके अलावा, रेलवे को वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि (डीजल उपकर से) से जीबीएस के अंतर्गत ₹11,000 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान यह राशि शून्य थी।

1.2.3 भारतीय रेलवे के आंतरिक रूप से सृजित संसाधन

रेलवे के आंतरिक संसाधनों में माल भाड़ा और यात्री व्यवसाय से होने वाली आय, विविध आय, अन्य कोचिंग आय और अन्य प्रकार की आय शामिल हैं। 2023-24 के दौरान, रेलवे ने ₹ 2,56,093.42 करोड़ के कुल आंतरिक संसाधन जुटाए, बीई के लिए निर्धारित लक्ष्य ₹ 2,65,000 करोड़ था जबकी आरई के लिए निर्धारित लक्ष्य ₹ 2,58,600 करोड़ था।

आंतरिक संसाधनों का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया जाता है, जिसमें पेंशन देनदारियों को पूरा करना, पट्टे पर ली गई संपत्तियों के मूलधन का भुगतान करना और विकास निधि, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) के माध्यम से अचल परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण पर व्यय करना शामिल है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का रुझान निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 1.3: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ

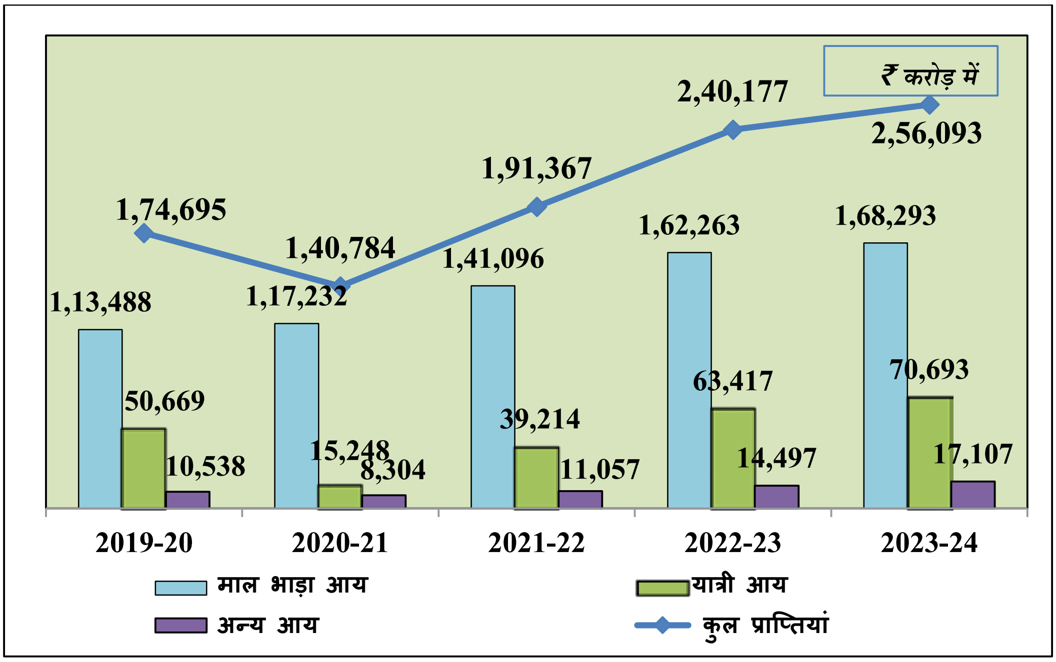

स्रोत: रेल मंत्रालय के वित्तीय लेखा विवरण और बजट दस्तावेजों का विवरण

राजस्व प्राप्ति के विभिन्न क्षेत्रों की विकास दर के रुझान पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

क) माल भाड़ा आय

बजट में अनुमानित ₹1,79,500 करोड़ के मुकाबले, वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक माल भाड़ा आय ₹1,68,293.29 करोड़ रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान माल भाड़ा सेवाओं के विभिन्न मापदंडों से संबंधित आंकड़े इस प्रकार थे:

तालिका 1.2: माल भाड़ा सेवाओं के आँकड़े

वर्ष	लदान (मिलियन टन)	एनटीकेएम[10] (मिलियन में) (केवल राजस्व माल भाड़ा)	आय (₹ करोड़ में) (केवल माल भाड़ा)	औसत बढ़त[11] (किमी में)	प्रति टन प्रति किलोमीटर औसत आय (पैसे में)
2019-20	1,208.41 (-1.07)	7,07,665 (-4.18)	1,13,487.89 (-10.94)	586 (-3.14)	160.37 (-7.06)
2020-21	1,230.94 (1.86)	7,19,762 (1.71)	1,17,231.82 (3.30)	585 (-0.17)	162.88 (1.56)
2021-22	1,415.87 (15.02)	8,71,816 (21.13)	1,41,096.39 (20.36)	616 (5.30)	159.77 (-1.91)
2022-23	1,509.10 (6.58)	9,59,566 (10.07)	1,62,262.90 (15.00)	636 (3.25)	166.91 (4.47)
2023-24	**1,588.06 (5.23)**	**9,73,968 (1.50)**	**1,68,293.29 (3.72)**	**613 (-3.62)**	**172.79 (3.52)**

स्रोत: रेल मंत्रालय का वार्षिक सांख्यिकी विवरण **2023-24**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी दर्शाते हैं।

2023-24 के दौरान माल भाड़ा 1,588.06 मिलियन टन (एमटी) थी, जबकि 2022-23 के दौरान यह 1,509.10 मिलियन टन थी। 2023-24 के दौरान माल भाड़ा में पिछले वर्ष की तुलना में 5.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। माल भाड़ा से होने वाली आय में भी पिछले वर्ष की तुलना में 3.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। माल भाड़ा की औसत दूरी (एक टन माल की औसत भाड़ा) 2022-23 में 636 किमी से घटकर 2023-24 में 613 किमी हो गई, जो 3.62 प्रतिशत की कमी है।

रेलवे की माल भाड़ा की सुविधा कुछ निश्चित थोक वस्तुओं तक ही सीमित है। माल भाड़ा और आय में वस्तुवार हिस्सेदारी निम्नलिखित चित्र में दी गई है:

[10] एनटीकेएम (नेट टन किलोमीटर) माल ढुलाई की एक इकाई है जो एक किलोमीटर की दूरी पर एक टन माल के परिवहन को दर्शाती है।

[11] औसत लीड (यानी औसत ढुलाई) माल के प्रत्येक टन द्वारा तय की गई औसत दूरी को दर्शाती है।

चित्र 1.4: प्रमुख वस्तुओं के अनुसार लदान और आय का हिस्सा

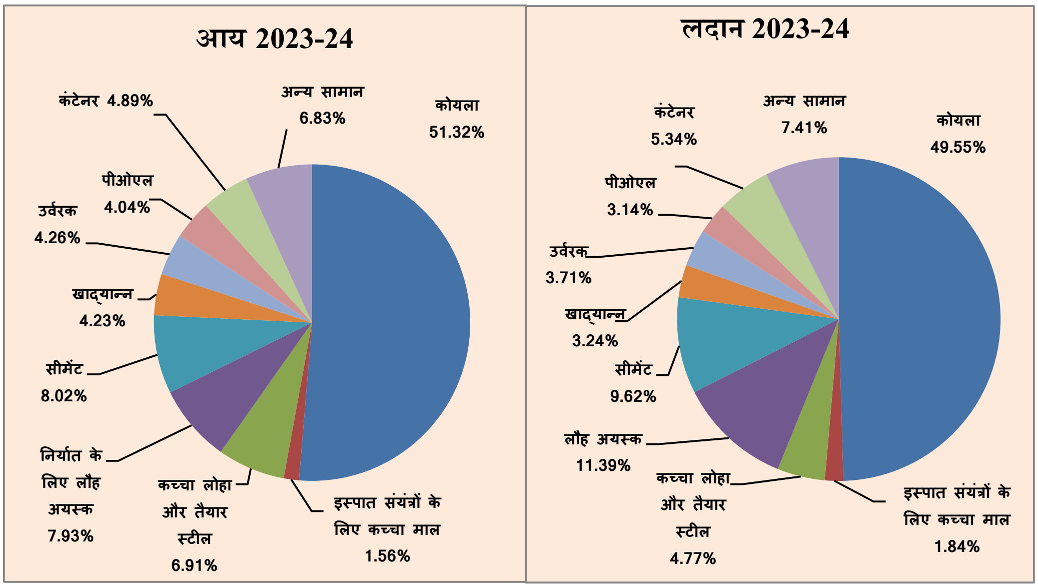

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2024 के बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के वार्षिक सांख्यिकी विवरण।

2023-24 के दौरान, लदान (49.55 प्रतिशत) और आय (51.32 प्रतिशत) दोनों में कोयला प्रमुख घटक था, इसके बाद लदान के मामले में लौह अयस्क और सीमेंट और आय के मामले में सीमेंट और लौह अयस्क का स्थान रहा। पिछले वर्ष की तुलना में लदान में सबसे अधिक वृद्धि निम्नलिखित घटकों में देखी गई:

तालिका 1.3: माल भाड़ा सेवाओं के आँकड़े

क्र. सं.	माल	2022-23 (एमटी में लोड)	2023-24 (एमटी में लोड)	प्रतिशत परिवर्तन
1	निर्यात के लिए लौह अयस्क	160.14	180.94	12.99
2	कच्चा लोहा और तैयार इस्पात	69.87	75.76	8.43
3	कोयला	727.24	786.84	8.20
4	कंटेनर	79.22	84.76	6.99
5	सीमेंट	143.93	152.72	6.11
6	उर्वरक	56.34	58.92	4.58
7	इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल	28.15	29.17	3.62
8	पी ओ एल	48.22	49.88	3.44
9	अन्य सामान	125.08	117.63	-5.96
10	खाद्यान्न	70.92	51.44	-27.47

स्रोत: रेल मंत्रालय का वार्षिक सांख्यिकी विवरण 2023-24

2023-24 के दौरान खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की लदान में 2022-23 की तुलना में कमी देखी गई।

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, कोयले के परिवहन पर भारी निर्भरता है। थोक वस्तुओं के परिवहन पैटर्न में किसी भी बदलाव से रेलवे की माल भाड़ा आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। रेलवे लंबे समय से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को चलाने के बावजूद अपने माल भाड़ा विकल्पों में विविधता लाने में सक्षम नहीं रहा है।

ख) यात्री आय

वर्ष 2023-24 के दौरान यात्री आय के लिए ₹70,000 करोड़ के बजट अनुमानों के मुकाबले, वास्तविक यात्री आय ₹70,693.33 करोड़ रही। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या और यात्री आय को निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 1.5: यात्रियों की संख्या और आय

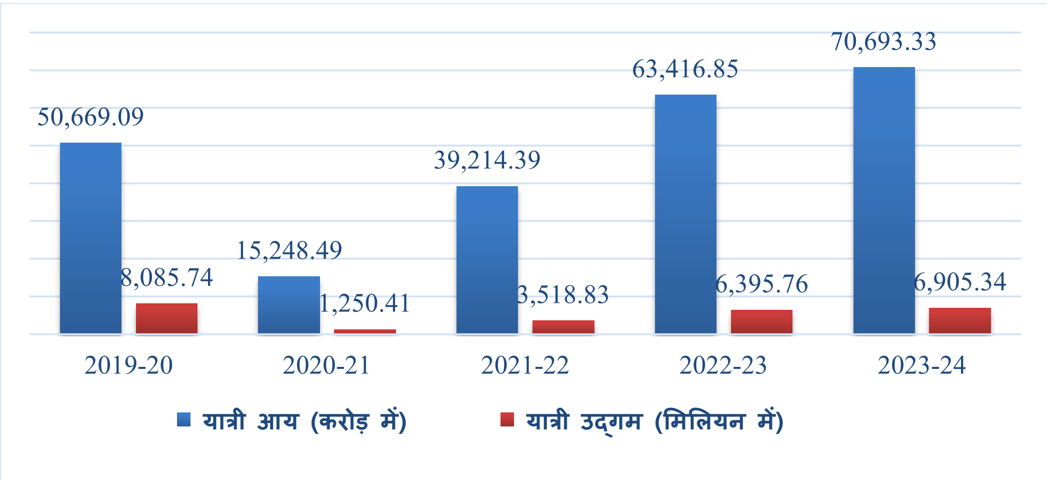

स्रोत: रेल मंत्रालय का वार्षिक सांख्यिकी विवरण 2023-24

जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र से देखा जा सकता है, पिछले वर्षों की तुलना में 2023-24 के दौरान यात्रियों की संख्या और यात्री आय में वृद्धि हुई। यात्री सेवाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक निम्नलिखित हैं:

तालिका 1.4: प्रमुख यात्री संकेतक

क्र. सं.	वर्ष	यात्रियों की संख्या (मिलियन में)	यात्री किलोमीटर[12] (मिलियन में)	आय (₹करोड़ में)	औसत लीड[13] (किलोमीटर में)	प्रति यात्री प्रति किलोमीटर औसत आय (पैसे में)
1	2019-20	8,085.74 (-4.19)	10,50,738 (-9.20)	50,669.09 (-0.78)	129.95 (-5.23)	48.22 (9.27)
2	2020-21	1,250.41 (-84.54)	2,31,126 (-78.00)	15,248.49 (-69.91)	184.84 (42.24)	65.97 (36.81)
3	2021-22	3,518.83 (181.41)	5,90,217 (155.37)	39,214.39 (157.17)	167.73 (-9.26)	66.44 (0.71)
4	2022-23	6,395.76 (81.76)	9,58,919 (62.47)	63,416.85 (61.72)	149.93 (-10.61)	66.13 (-0.47)
5	**2023-24**	**6,905.34 (7.97)**	**10,64,700 (11.03)**	**70,693.33 (11.47)**	**154.19 (2.84)**	**66.40 (0.40)**

स्रोत: रेल मंत्रालय का वार्षिक सांख्यिकी विवरण 2023-24

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी दर्शाते हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में, 2023-24 के दौरान यात्रियों की संख्या और यात्री आय में क्रमशः 7.97 प्रतिशत और 11.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ग) विविध आय और अन्य कोचिंग आय

2023-24 के दौरान 'विविध और अन्य कोचिंग आय' के लिए ₹15,000 करोड़ के बजट अनुमानों के मुकाबले, वास्तविक आय ₹16,379.69 करोड़ रही। चालू वर्ष में विविध और अन्य कोचिंग आय सकल यातायात प्राप्तियों का केवल 6.42 प्रतिशत थी। इसमें 13.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2022-23 में ₹14,456.92 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹16,379.69 करोड़ हो गया।

विविध आय में मुख्य रूप से विज्ञापन और प्रचार, खानपान विभाग, सैलून का ब्याज और रखरखाव शुल्क, लेवल क्रॉसिंग, भूमि पट्टे से प्राप्तियां, भूमि/हवाई क्षेत्र के संपत्ति विकास और अन्य विविध आय आदि का योगदान था। 'विविध आय' में वित्त मंत्रालय द्वारा रणनीतिक आधार पर परिचालन घाटे की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹2,491.84 करोड़ की राशि भी शामिल थी। विज्ञापन और रेलवे भूमि के व्यावसायिक उपयोग से राजस्व बढ़ाने की काफी गुंजाइश थी।

[12] यात्री किलोमीटर - एक किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जाए गए यात्री की संख्या।

[13] औसत लीड (यानी औसत भाड़ा) यात्री द्वारा तय की गई औसत दूरी को दर्शाती है।

घ) अप्राप्त आय

यातायात की आवाजाही के कारण अप्राप्त आय को 'यातायात उचंत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भवन/भूमि के किराए/पट्टे और साइडिंग आदि के रखरखाव शुल्क के कारण अप्राप्त आय 'मांग वसूली योग्य' है। बकाया अप्राप्त आय 2022-23 में ₹ 2,145.20 करोड़ से बढ़कर 2023-24 के अंत में ₹ 2,232.11 करोड़ हो गई। इसमें से ₹ 1,411.89 करोड़ की राशि यातायात उचंत के अंतर्गत और ₹ 820.22 करोड़ की राशि 'मांग वसूली योग्य' के अंतर्गत बकाया थी। यातायात उचंत के अंतर्गत बकाया राशि का बड़ा हिस्सा पावर हाउस और राज्य बिजली संस्थाओं से वसूल न किए गए माल भाड़े और अन्य शुल्कों के कारण था। यह राशि ₹ 619.14 करोड़ थी और योग अप्राप्त आय का 27.74 प्रतिशत थी। प्रमुख चूककर्ता पावर हाउस निम्नलिखित थीं:

तालिका 1.5: राज्य विद्युत संस्थाओं/पावर हाउस के विरुद्ध बकाया राशि

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य विद्युत निकाय/पावर हाउस	दिनांक तक बकाया राशि	
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2024
1.	पंजाब	446.83	446.53
2.	दिल्ली	114.28	114.28
3.	राजस्थान	35.15	30.28
4.	झारखंड	15.41	15.53
5.	महाराष्ट्र	2.47	3.18
6.	मध्य प्रदेश	3.16	1.95
7.	पश्चिम बंगाल	2.04	1.70
8.	राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम	1.35	1.58
9.	गुजरात	1.12	1.18
10.	आंध्र प्रदेश	0.08	1.11
11	अन्य	6.78	1.82
	योग	**628.67**	**619.14**

स्रोत- राज्य विद्युत संस्थाओं/पावर हाउस से वसूली योग्य बकाया राशि का विवरण।

रेल मंत्रालय को राज्य विद्युत इकाइयों/विद्युतगृहों से पुराने बकाया भुगतान की वसूली के लिए अपने प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है।

1.3 यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं का क्रॉस-सब्सिडीकरण

रेलवे मंत्रालय की रिपोर्ट[14], जो 2019-20 से 2023-24 तक पिछले पांच वर्षों के लिए माल भाड़ा से होने वाली आय से यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं से होने वाली आय में क्रॉस-सब्सिडी को दर्शाती है, का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि रेलवे मंत्रालय यात्री सेवाओं और अन्य कोचिंग सेवाओं की परिचालन लागत को पूरा करने में असमर्थ था।

यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं को हुई हानि 2022-23 में ₹ 60,041.18 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 64,569.94 करोड़ हो गई । क्षेत्रीय रेलवे पर क्रॉस सब्सिडीकरण के विस्तृत विश्लेषण (परिशिष्ट-1.1) से यह पाया गया कि प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे यात्री सेवाओं में हानि उठा रहा था। वर्ष 2023-24 के दौरान चार क्षेत्रीय रेलवे[15] को छोड़कर सभी क्षेत्रीय रेलवे ने माल भाड़ा सेवाओं पर लाभ अर्जित किया। यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं पर होने वाले नुकसान की तुलना माल भाड़ा सेवाओं पर होने वाले लाभ से 2019-20 से 2023-24 के दौरान की गई है और वर्ष 2023-24 के लिए परिचालन हानि/लाभ को निम्नलिखित **चित्र 1.6** में दर्शाया गया है।

यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 9,652.44 करोड़ की विविध आय को वर्ष 2023-24 के दौरान यात्री आय और माल भाड़ा आय के बीच विभाजित किया गया था।

---

[14] वार्षिक सांख्यिकी विवरण (एएसएस) संख्या 15.

[15] पूरे, उपूरे, पूसीरे और दरे

चित्र 1.6: यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं पर होने वाली हानि बनाम माल भाड़ा सेवाओं पर होने वाला लाभ

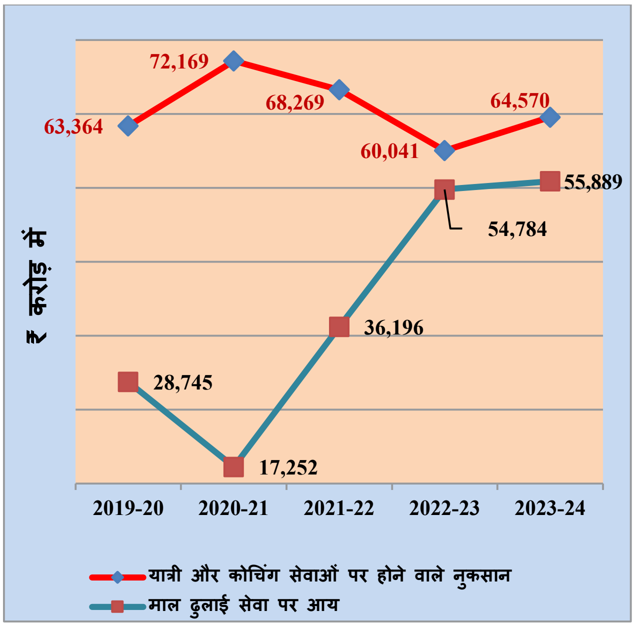

रेल परिचालन पर लाभ और हानि

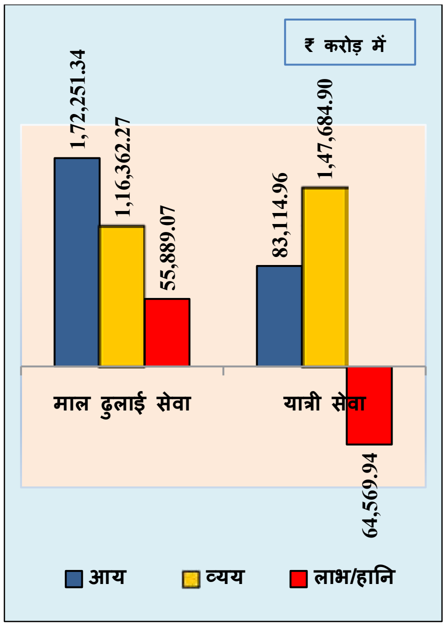

वर्ष 2023-24 के दौरान रेल परिचालन पर लाभ और हानि

स्रोत: रेल मंत्रालय का वार्षिक सांख्यिकी विवरण संख्या-15, वर्ष 2023-24

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं पर होने वाला घाटा 2019-20 से 2020-21 के दौरान लगातार बढ़ता रहा, लेकिन 2021-22 और 2022-23 के दौरान इसमें कमी आई और 2023-24 में यह फिर से बढ़ गया। दूसरी ओर माल भाड़ा परिचालन से अर्जित लाभ 2020-21 तक घटता हुआ प्रतीत हुआ लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि देखी गई। माल भाड़ा परिचालन से अर्जित लाभ 2023-24 में ₹ 55,889.07 करोड़ था।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान विभिन्न श्रेणियों की यात्री सेवाओं के परिचालन हानियाँ को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.6: विभिन्न श्रेणियों की यात्री सेवाओं के परिचालन हानियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	एसी-प्रथम श्रेणी	(-)403.11	(-)718.88	(-)406.33	(-)245.16	(-)246.91
2	प्रथम श्रेणी	(-)37.89	(-)43.28	(-)45.31	(-)94.86	(-)50.14
3	एसी 2 टियर	(-)1,378.28	(-)2,994.88	(-)1564.27	(-)560.55	(-)756.58
4	एसी 3 टियर	64.65	(-)6,500.46	(-)698.12	3,300.08	2,501.07
5	एसी चेयर कार	(-)182.21	(-)1,078.55	(-)473.20	(-)297.62	(-)203.96
6	शयनयान श्रेणी	(-)16,055.93	(-)20,134.47	(-)17,038.17	(-)17,819.21	(-)18,681.37

7	द्वितीय श्रेणी	(-)14,456.65	(-)17,640.83	(-)16,393.33	(-)16,357.02	(-)16,836.42
8	सामान्य श्रेणी	(-)20,449.92	(-)11,438.29	(-)15,282.14	(-)17,076.90	(-)18,149.00
9	ईएमयू उपनगरीय सेवाएं	(-)6,937.72	(-)7,798.60	(-)8,316.27	(-)7,841.95	(-)8,024.31

स्रोत: रेल मंत्रालय के वार्षिक सांख्यिकीय विवरण 2023-24 के अंतिम परिणाम कोचिंग सेवाओं की लाभप्रदता/इकाई लागत का सारांश

नोट: ऋणात्मक आंकड़े यात्री सेवाओं पर हानि दर्शाते हैं और धनात्मक आंकड़े लाभ दर्शाते हैं।

जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है, एसी 3 टियर को छोड़कर, सभी प्रकार की रेल सेवाओं को 2023-24 के दौरान नुकसान हुआ, एसी 3 टियर ही एकमात्र ऐसी श्रेणी थी जो अपनी परिचालन लागत की भरपाई करने और 2023-24 के दौरान लाभ अर्जित करने में सक्षम रही। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न श्रेणियों की यात्री सेवाओं में घाटा ₹18,681.37 करोड़ (स्लीपर क्लास) से लेकर ₹50.14 करोड़ (फर्स्ट क्लास) तक रहा।

1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

रेल मंत्रालय में व्यय के दो मुख्य घटक 'राजस्व व्यय' और 'पूंजीगत व्यय' हैं। राजस्व व्यय में सामान्य परिचालन व्यय और विविध व्यय शामिल हैं।

रेल मंत्रालय का कुल व्यय 2022-23 में ₹ 4,41,642.66 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 5,15,050.66 करोड़ हो गया है, जो 16.62 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 28.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय[16] में 6.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2022-23 में 46.40 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 50.91 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय का हिस्सा 2022-23 में 53.60 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 49.09 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय का विवरण निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है:

[16] *पेंशन फंड के लिए विनियोजित राशि सहित - ₹ 59,000 करोड़*

चित्र 1.7: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पूंजीगत और राजस्व व्यय

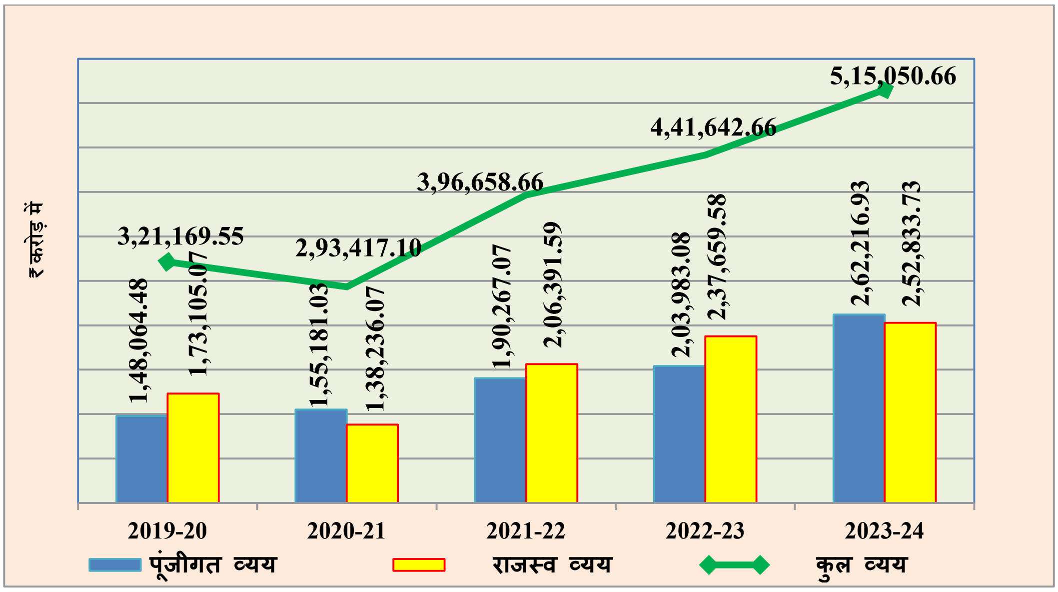

स्रोत: रेल मंत्रालय के वित्त लेखे 2023-24

1.4.1 राजस्व व्यय

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय के हिस्से की तुलना वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय के औसत हिस्से से इस प्रकार की गई:

चित्र 1.8: राजस्व व्यय का हिस्सा

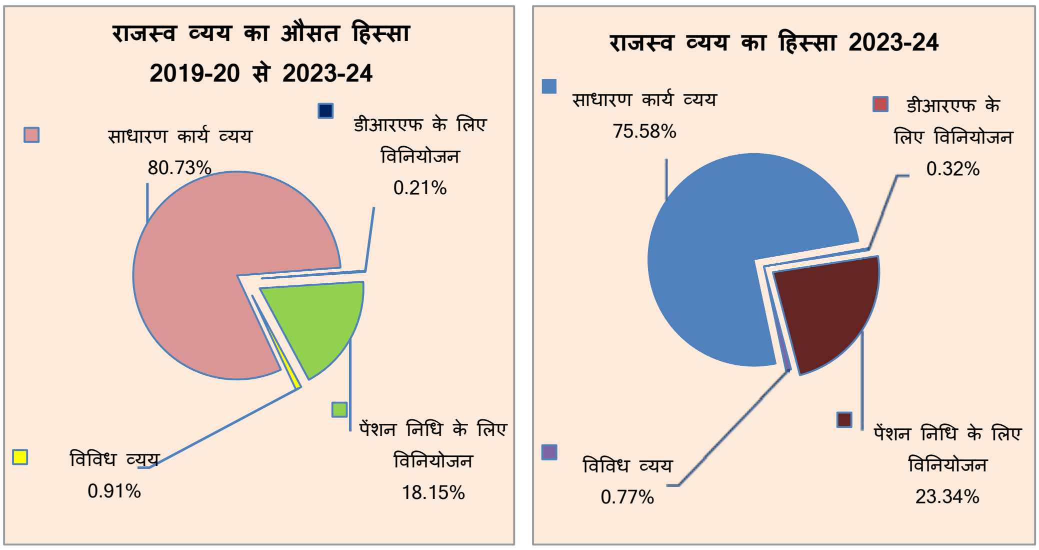

स्रोत: रेल मंत्रालय के 2019-20 से 2023-24 तक के वित्तीय लेखे

सामान्य परिचालन व्यय (ओडब्ल्यूई) में रेलवे के दैनिक रखरखाव और संचालन पर होने वाला व्यय शामिल है। इसमें कार्यालय प्रशासन, पटरियों और पुलों की मरम्मत और रखरखाव, लोकोमोटिव, डिब्बों और वैगनों, संयंत्र और उपकरणों पर

होने वाला व्यय, कर्मचारियों पर परिचालन व्यय, ईंधन, विविध व्यय, पट्टे के शुल्कों के ब्याज घटक का भुगतान, पेंशन देनदारियां आदि शामिल हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान योग राजस्व व्यय में ओडब्ल्यूई की हिस्सेदारी 75.58 प्रतिशत थी, जबकि पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत 80.73 प्रतिशत थी।

वर्ष 2023-24 में पेंशन फंड के लिए विनियोजन का हिस्सा 23.34 प्रतिशत था, जो वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान पेंशन फंड के लिए विनियोजन के औसत हिस्से 18.15 प्रतिशत से अधिक था। पेंशन फंड के बारे में विस्तृत जानकारी पेंशन फंड शीर्षक के अंतर्गत अगले पैराग्राफ में दी गई है।

घटकवार राजस्व व्यय

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान रेल मंत्रालय के कर्मचारी, ईंधन, पट्टे के शुल्क, भंडार, अन्य और पेंशन व्यय के अंतर्गत परिचालन व्यय का विवरण निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है:

चित्र 1.9: घटकवार व्यय

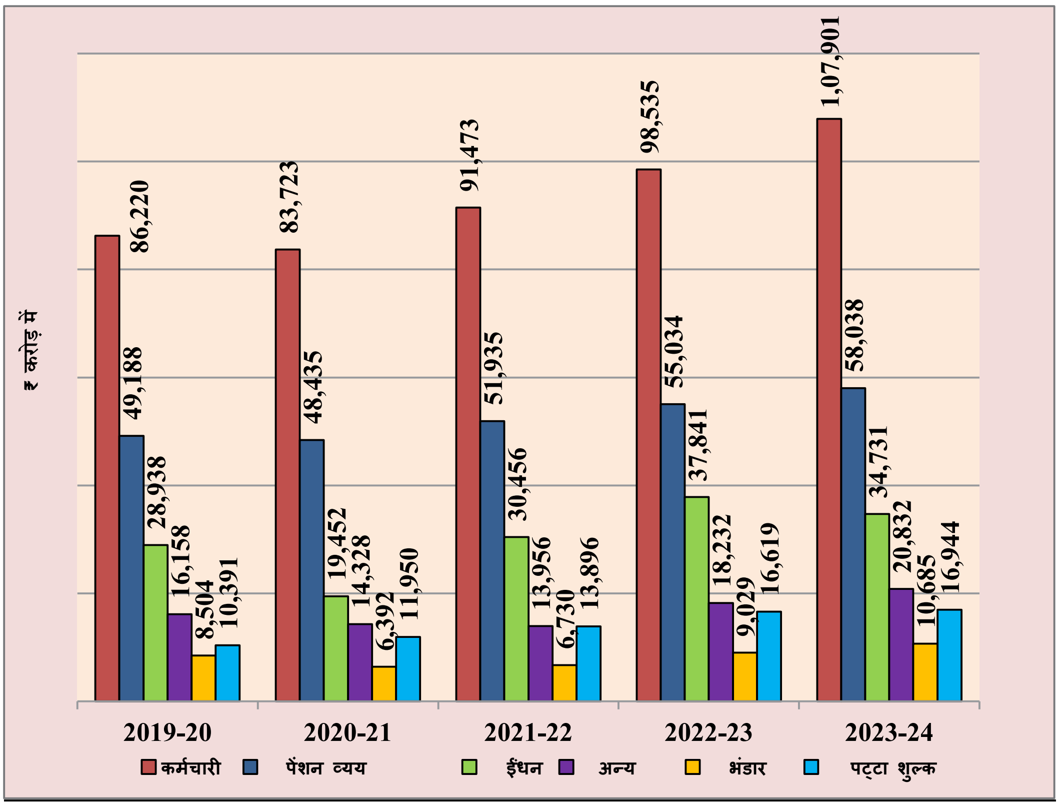

स्रोत: बजट निदेशालय से प्राप्त आंकड़े

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल परिचालन व्यय में पेंशन व्यय सहित कर्मचारियों की लागत 66.14 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 65 प्रतिशत थी। वर्ष 2023-24 में कुल परिचालन व्यय का 72.89 प्रतिशत परिचालन कुल था, जिसमें कर्मचारियों की लागत, पेंशन भुगतान और रोलिंग स्टॉक पर लीज किराया शुल्क शामिल थे।

क) पेंशन निधि के लिए विनियोजन

पेंशन निधि के लिए विनियोजन राजस्व व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। रेलवे ने वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन फंड के लिए (राजस्व से, अर्थात् क्षेत्रीय रेलवे के लिए) ₹ 59,000 करोड़ की राशि विनियोजित की, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹ 54,700 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 में पेंशन पर वास्तविक व्यय ₹ 58,037.76 करोड़ था। रेलवे ने 2020-21 में कोविड-संबंधित संसाधन अंतर को पूरा करने और 2019-20 के दौरान पेंशन फंड में प्रतिकूल शेष राशि को समाप्त करने के लिए सामान्य राजस्व से ₹79,398 करोड़ का विशेष ऋण लिया था।

ख) मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए विनियोजन

क्षेत्रीय रेलवे के लिए बजट में आवंटित ₹1,000 करोड़ के मुकाबले, वर्ष 2023-24 के लिए डीआरएफ को ₹800 करोड़ आवंटित किए गए थे। डीआरएफ के लिए विनियोजन में 2019-20 से गिरावट का रुझान रहा है, सिवाय पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के। मूल्यह्रास के लिए अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप पुरानी संपत्तियों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन से संबंधित कार्यों का ढेर लग रहा है। विभिन्न रेलवे निधियों का विस्तृत विश्लेषण **पैरा 1.7** में दिया गया है।

1.4.2 पूंजीगत व्यय

रेल मंत्रालय को सतत आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता है। परिवहन क्षेत्र की समग्र प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के दबावों का सामना करने के लिए, यह आवश्यक है कि इसके संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। नई संपत्तियों का निर्माण, समय पर पुरानी संपत्तियों का प्रतिस्थापन और नवीनीकरण आदि पूंजीगत व्यय के माध्यम से किए जाते हैं।

क) स्रोतवार पूंजीगत व्यय

रेल मंत्रालय का पूंजीगत व्यय तीन स्रोतों से वित्तपोषित होता है, अर्थात् जीबीएस, आंतरिक संसाधन[17] और अतिरिक्त बजटीय संसाधन[18]। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त योगदान को निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका 1.7: भारतीय रेलवे के लिए स्रोतवार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
सकल बजटीय सहायता[19]	67,477.49 (45.57)	29,925.69 (19.28)	1,17,270.54 (61.63)	1,59,256.15 (78.07)	2,40,200	2,42,648.79 (92.54)
आंतरिक संसाधन (रेलवे निधि से)	1,685.08 (1.14)	2,059.17 (1.33)	1,930.67 (1.01)	3,401.47 (1.67)	3,000	2,942.78 (1.12)
कुल (जीबीएस और आंतरिक संसाधन)	***69,162.57 (46.71)***	***31,984.86 (20.61)***	***1,19,201.21 (62.65)***	***1,62,657.62 (79.74)***	***2,43,200***	***2,45,591.57 (93.66)***
अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईआरएफसी और पीपीपी)	78,901.91 (53.29)	1,23,196.17 (79.39)	71,065.86 (37.35)	41,325.46 (20.26)	17,000	16,625.36 (6.34)
कुल योग	**1,48,064.48**	**1,55,181.03**	**1,90,267.07**	**2,03,983.08**	**2,60,200.00**	**2,62,216.93**

स्रोत: वित्तीय लेखा, वर्ष 2023-24।

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल व्यय के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

रेल मंत्रालय का कुल पूंजीगत व्यय 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 28.55 प्रतिशत बढ़ गया, जिसका कारण कई योजना मदों के अंतर्गत किए गए अधिक व्यय थे, जैसा कि तालिका 1.8 में विस्तार से बताया गया है। 2022-23 के दौरान, संप्रभु हरित निधि (एसजीएफ) नामक एक नई निधि प्रारम्भ की गई, जिसके अंतर्गत 2023-24 के दौरान जीबीएस के रूप में ₹12,479 करोड़ आवंटित किए गए। कुल पूंजीगत व्यय में जीबीएस की हिस्सेदारी 2022-23 में

[17] आरक्षित निधि जैसे मूल्यह्रास आरक्षित निधि, पूंजी निधि और विकास निधि

[18] आईआरएफसी और पीपीपी के माध्यम से बाजार उधार।

[19] इसमें रेलवे सुरक्षा कोष, निर्भया कोष, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष और सॉवरेन ग्रीन फंड का खर्च शामिल है।

78.07 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 92.54 प्रतिशत हो गई। योग पूंजीगत व्यय में आंतरिक संसाधनों (रेलवे निधि से) का हिस्सा 2023-24 के दौरान घटकर 1.12 प्रतिशत हो गया, जबकि 2022-23 में यह 1.67 प्रतिशत था। आंतरिक संसाधनों के अपर्याप्त उत्पादन के परिणामस्वरूप 2023-24 के दौरान जीबीएस पर अधिक निर्भरता हुई।

ईबीआर की हिस्सेदारी 2022-23 में 20.26 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष 2023-24 में 6.34 प्रतिशत हो गई है, जिसका अर्थ है कि भारतीय रेल ने ईबीआर पर अपनी निर्भरता में भारी कमी की है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 2023-24 के दौरान ₹16,625.36 करोड़ की राशि भी जुटाई गई, मुख्य रूप से नई लाइन परियोजनाओं और सड़क सुरक्षा कार्यों (सड़क उपरि/पुल के नीचे) आदि पर व्यय के लिए।

ख) पूंजीगत व्यय के विभिन्न योजना मदों के अंतर्गत व्यय

भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय को मोटे तौर पर निम्नलिखित योजना मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

तालिका 1.8: श्रेणीवार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
नई लाइनें (निर्माण)	12,683.17	14,901.34	21,244.91	24,310.17	33,575.45
	9.36%	10.70%	11.81%	12.60%	13.67%
आमान परिवतर्न	4,140.15	3,980.30	2,836.87	2,833.80	4,356.95
	3.06%	2.86%	1.58%	1.47%	1.77%
दोहरीकरण	22,385.67	24,226.15	32,219.41	29,979.17	36,714.88
	16.53%	17.40%	17.91%	15.54%	14.95%
यातायात सुविधाएं और यार्ड रीमॉडलिंग	1,626.22	1,241.13	2,675.13	4,456.36	7,372.77
	1.20%	0.89%	1.49%	2.31%	3.00%
ट्रैक नवीकरण	7,802.63	11,657.52	14,082.00	13,811.98	15,907.60
	5.76%	8.37%	7.83%	7.16%	6.48%
पुल का काम	777.50	769.67	1,296.79	1,042.82	1,902.16
	0.57%	0.55%	0.72%	0.54%	0.77%
संकेतन और दूरसंचार	1,620.69	1,900.84	2,142.18	2,448.85	3,748.38
	1.20%	1.37%	1.19%	1.27%	1.53%
	47,564.00	44,161.40	55,986.96	61,335.38	74,184.41

योजना शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
रोलिंग स्टॉक और लीज प्रभार के पूंजीगत घटक का भुगतान	35.11%	31.71%	31.12%	31.80%	30.21%
कार्यशाला और उत्पादन इकाइयां और संयंत्र एवं मशीनरी	2,567.23	3,003.18	3,555.47	2,478.67	5,028.07
	1.90%	2.16%	1.98%	1.28%	2.05%
सरकारी उपक्रमों में निवेश	16,924.88	15,629.65	25,750.57	27,532.93	31,909.37
	12.49%	11.22%	14.32%	14.27%	12.99%
अन्य	17,362.96	17,774.81	18,088.37	22,666.94	30,891.53
	12.82%	12.77%	10.06%	11.75%	12.58%
योग	**1,35,455.10**	**1,39,245.99**	**1,79,878.66**	**1,92,897.07**	**2,45,591.57**

स्रोत: संबंधित वर्षों के भारतीय रेलवे विनियोजन लेखे।

नोट: 'अन्य' में सड़क सुरक्षा कार्य, विद्युतीकरण परियोजनाएं, कम्प्यूटरीकरण, अन्य विद्युत कार्य, रेलवे अनुसंधान, अन्य निर्दिष्ट कार्य, भंडार लंबित, विनिर्माण उचंत, विविध अग्रिम, कर्मचारी कल्याण, ग्राहक सुविधाएं और महानगरीय परिवहन परियोजनाएं शामिल हैं।

(प्रतिशत** कुल **व्यय में योजना मदवार व्यय का हिस्सा दर्शाता है)

वर्ष 2023-24 के दौरान 'रोलिंग स्टॉक और लीज शुल्क के पूंजी घटक' पर व्यय अधिकतम रहा और यह ₹ 74,184.41 करोड़ था। दोहरीकरण, नई लाइनों का निर्माण, सरकारी उपक्रमों में निवेश और अन्य पूंजीगत व्यय के प्रमुख घटक हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, रेल मंत्रालय ने पीपीपी मोड के माध्यम से नई लाइन (निर्माण), सड़क सुरक्षा कार्य (ओवर/अंडर ब्रिज) आदि भी शुरू किए।

1.5 राजस्व अधिशेष

'शुद्ध राजस्व अधिशेष' वह अधिशेष है जो रेलवे के पास राजस्व प्रकृति के सभी व्ययों जैसे कि पेंशन सहित कर्मचारी लागत, परिचालन व्यय, मरम्मत और रखरखाव लागत और डीआरएफ और पेंशन फंड के लिए विनियोजन को पूरा करने के बाद अधिछेद है। यह अधिशेष आगे चलकर विभिन्न रेलवे फंडों जैसे कि डीएफ, सीएफ, डीएसएफ, आरएसएफ और आरआरएसके को आवंटित किया जाता है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान शुद्ध राजस्व अधिशेष को निम्नलिखित चित्र में देखा जा सकता है:

चित्र 1.10: राजस्व अधिशेष

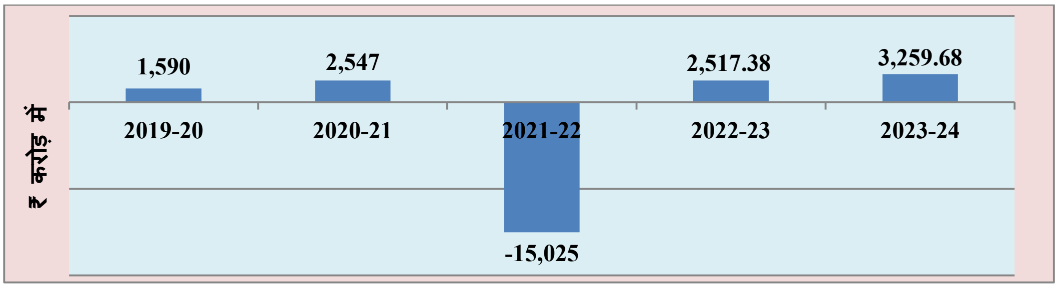

स्रोत: रेल मंत्रालय के बजट दस्तावेज

2023-24 में ₹ 2,210 करोड़ के अनुमानित लाभ के मुकाबले, 'शुद्ध अधिशेष' ₹ 3,259.68 करोड़ था, जबकि 2022-23 में शुद्ध अधिशेष ₹ 2,517.38 करोड़ था। भारतीय रेलवे ने 2023-24 के दौरान 2022-23 की तुलना में 29.49% अधिक अधिशेष अर्जित किया। ₹3,259.68 करोड़ के शुद्ध अधिशेष को आगे डीएफ के लिए ₹1,500 करोड़ और आरआरएसके के लिए ₹1,759.68 करोड़ आवंटित किया गया।

1.6 दक्षता सूचकांक

किसी उद्यम के वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन दक्षता को उसके वित्तीय और प्रदर्शन अनुपातों से सबसे अच्छी तरह मापा जा सकता है। रेल मंत्रालय के लिए इस संबंध में प्रासंगिक अनुपात 'परिचालन अनुपात' और 'कर्मचारी उत्पादकता' हैं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 परिचालन अनुपात

परिचालन अनुपात (प अ) केवल मुख्य शीर्ष 3002-03 के अंतर्गत कार्यशील व्यय और यातायात आय के अनुपात को दर्शाता है। उच्च अनुपात अधिशेष उत्पन्न करने की कम क्षमता को दर्शाता है। बजट अनुमानों में निर्धारित 98.45 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले, 2023-24 में रेलवे का परिचालन दर (प अ) 98.43 प्रतिशत रहा। इसका मतलब यह था कि रेलवे ने ₹100.00 कमाने के लिए ₹98.43 खर्च किए। 2022-23 के दौरान 98.10 प्रतिशत के परिचालन अनुपात की तुलना में, 2023-24 के दौरान परिचालन अनुपात में गिरावट आई। वर्ष 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे का परिचालन अनुपात निम्नलिखित था:

चित्र 1.11: भारतीय रेलवे का परिचालन अनुपात

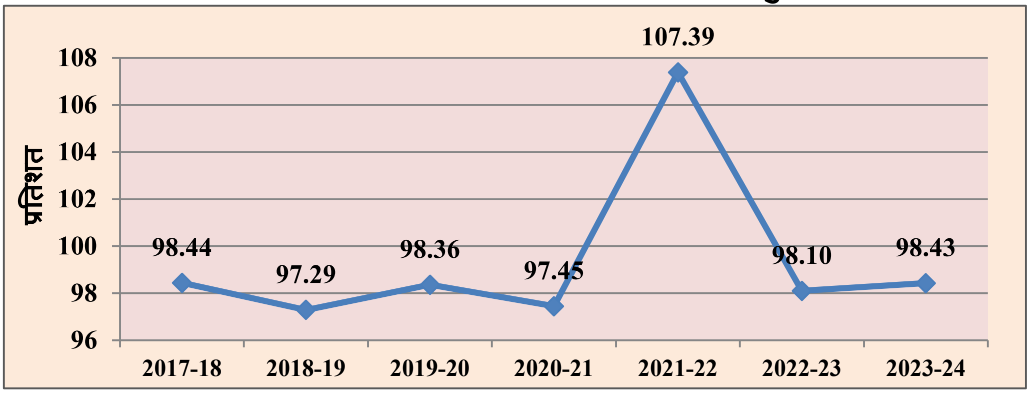

स्रोत: रेल मंत्रालय के संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे

जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र से देखा जा सकता है, भारतीय रेलवे का परिचालन दर (प अ) 2021-22 में सर्वकालिक उच्च स्तर 107.39 प्रतिशत पर पहुंच गया।

इसके अलावा, डीआरएफ के अंतर्गत धन की कमी के कारण, डीआरएफ से 2023-24 तक प्रतिस्थापित की जाने वाली संपत्तियों का अनुमानित मूल्य ₹ 30,921 करोड़ था, जिसे 2024-25 तक आगे बढ़ा दिया गया। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई है, 2023-24 के दौरान ₹ 3,259.68 करोड़ का शुद्ध अधिशेष था। यदि ₹ 3,259.68 करोड़ की सम्पूर्ण अधिशेष राशि विनियोजित की जाती है, यद्यपि यह डीआरएफ के अंतर्गत आवश्यकता की तुलना में कम है, तो इससे परिचालन अनुपात में वृद्धि होगी जो 98.43 के बजाय 99.71 हो जाएगा।

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रीय रेलवे के परिचालन अनुपात को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: क्षेत्रीय रेलवे का परिचालन अनुपात

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	मध्य	104.67	126.24	121.72	110.04	107.82
2	पूर्व	169.75	175.29	192.88	167.43	170.79
3	पूर्व मध्य	102.37	88.58	103.64	98.41	103.41
4	पूर्व तट	51.49	47.34	54.58	53.86	54.51
5	उत्तर	154.79	153.65	146.12	118.38	134.73
6	उत्तर मध्य	74.38	79.22	81.14	73.46	57.09
7	पूर्वोत्तर	188.16	202.99	232.86	205.63	208.35
8	पूर्वोत्तर सीमांत	151.67	138.91	164.8	148.21	158.75
9	उत्तर पश्चिम	112.66	107.24	129.2	110.43	115.45
10	दक्षिण	146.48	218.65	189.27	153.06	147.28
11	दक्षिण मध्य	87.55	101.23	98.25	88.20	86.61

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
12	दक्षिण पूर्व	64.86	57.31	75.19	73.73	79.24
13	दक्षिण पूर्व मध्य	53.66	46.07	55.43	57.48	56.68
14	दक्षिण पश्चिम	124.37	137.68	138.92	128.95	127.42
15	पश्चिम	114.9	128.32	131.72	114.70	108.67
16	पश्चिम मध्य	70.61	68.03	72.02	66.74	67.09
17	मेट्रो रेलवे/कोलकाता	215.97	677.9	432.19	237.58	237.93
समग्र भारतीय रेलवे		**98.36**	**97.45**	**107.39**	**98.10**	**98.43**

स्रोत: रेल मंत्रालय के क्षेत्रीय रेलवे के संबंधित वर्षों के वितीय लेखे

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 2023-24 में छह क्षेत्रीय रेलवे (पूर्व तट, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य रेलवे) का परिचालन अनुपात 100 प्रतिशत से नीचे था, जिसमें पूर्व तट रेलवे का परिचालन अनुपात 54.51 प्रतिशत के साथ सबसे अच्छा था।

हालांकि, 2023-24 के दौरान 11 क्षेत्रीय रेलवे (मध्य, पूर्व, पूर्व मध्य, उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर सीमांत, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और मेट्रो रेलवे/कोलकाता) का परिचालन अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था, जिसमें मेट्रो रेलवे/कोलकाता का परिचालन अनुपात सबसे खराब 237.93 प्रतिशत था। इसका तात्पर्य यह था कि इन रेलवे का परिचालन व्यय उनकी यातायात आय से अधिक था।

1.6.2 स्टाफ उत्पादकता

भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की उत्पादकता[20] को प्रति हजार कर्मचारियों पर नियंत्रित यातायात की मात्रा के आधार पर मापा जाता है। उच्च अनुपात माल/यात्री परिवहन की दक्षता को दर्शाता है। सभी क्षेत्रीय रेलवे के ओपन लाइन कर्मचारियों की उत्पादकता 2022-23 में 920.93 मिलियन नेट टन किलोमीटर (एनटीकेएम) से घटकर 2023-24 में 891.10 मिलियन एनटीकेएम हो गई। पूर्व तटीय रेलवे ने 2023-24 के दौरान 2,370.56 मिलियन एनटीकेएम की उच्चतम कर्मचारी उत्पादकता हासिल की। वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों की उत्पादकता सबसे कम रही, जो मेट्रो रेलवे/कोलकाता की 46.06 एनटीकेएम और उसके बाद दक्षिणी रेलवे की 319.67 एनटीकेएम थी।

[20] *भारतीय रेलवे के वार्षिक सांख्यिकी विवरण*

तालिका 1.10: वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारियों की उत्पादकता

क्षेत्रीय रेलवे	चालू लाइन पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (000's में)	पीकेएम (लाख में)	एनटीकेएम (लाख में)	कुल एनटीकेएम (पीकेएम*0.083[21] +एनटीकेएम) (कॉलम 3*0.083+कॉलम 4)	कर्मचारी उत्पादकता (कॉलम 5/ कॉलम 2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
मरे	97.678	1,34,119	61,291	72,423	741.45
पूरे	106.840	65,654	32,690	38,139	356.98
पूमरे	83.073	53,398	82,999	87,431	1,052.46
पूसीरे	48.625	32,643	1,12,559	1,15,268	2,370.56
उरे	136.907	1,04,803	66,374	75,073	548.35
उमरे	70.180	97,626	87,833	95,936	1,367.00
उपूरे	49.318	34,987	14,784	17,688	358.65
पूसीरे	58.794	23,735	20,923	22,893	389.38
उपरे	49.856	44,414	52,470	56,156	1,126.37
दरे	83.819	90,356	19,295	26,795	319.67
दमरे	84.770	1,06,485	88,189	97,027	1,144.59
दपूरे	82.032	33,715	82,096	84,894	1,034.89
दपूमरे	48.419	22,090	88,703	90,536	1,869.85
दपरे	38.713	33,437	25,093	27,868	719.87
परे	93.851	1,05,443	68,918	77,670	827.59
मेट्रो	4.247	2,357	0	196	46.06
पमरे	55.045	79,439	69,750	76,343	1,386.93
योग	**1192.167**	**10,64,701**	**9,73,967**	**10,62,337**	**891.10**

1.7 रेलवे निधियाँ

निम्नलिखित निधियों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इन निधियों (आरएसएफ और आरआरएसके को छोड़कर) पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज भी अर्जित होता है। निधियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

[21] पीकेएम को एनटीकेएम में परिवर्तित करने के लिए, पीकेएम को 0.083 से गुणा किया जाता है।

तालिका 1.11: निधि शेष

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संचय	वर्ष के दौरान निकासी	31 मार्च 2024 को समापन शेष
मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ)	428.13	1,019.90	667.94	780.09
पेंशन निधि	360.90	59,638.26	58,037.76	1,961.40
विकास निधि (डीएफ)	15.52	1,509.68	952.66	572.54
पूंजी निधि (सीएफ)	442.16	14.81	0	456.97
रेलवे सुरक्षा निधि (आरएसएफ)	3.39	45,000	45,000.33	3.06
ऋण सेवा निधि (डीएसएफ)	237.15	7.94	0	245.09
राष्ट्रीय रेल संरक्षण निधि (आरआरएसके)	864.89	11,759.68	11,322.17	1302.40
संप्रभु हरित निधि	0	12478.99	12478.99	0
योग	**2,352.14**	**1,31,429.26**	**1,28,459.85**	**5,321.55**

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

नोट- संचय में वित्तीय समायोजन, निधि के लिए विनियोजन और वर्ष के दौरान निधि शेष पर प्राप्त ब्याज सम्मिलित हैं।

2014-15 से निधि शेषों के रुझान को निम्नलिखित चित्र से देखा जा सकता है:

चित्र 1.12: वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक रेलवे निधि शेष का रुझान

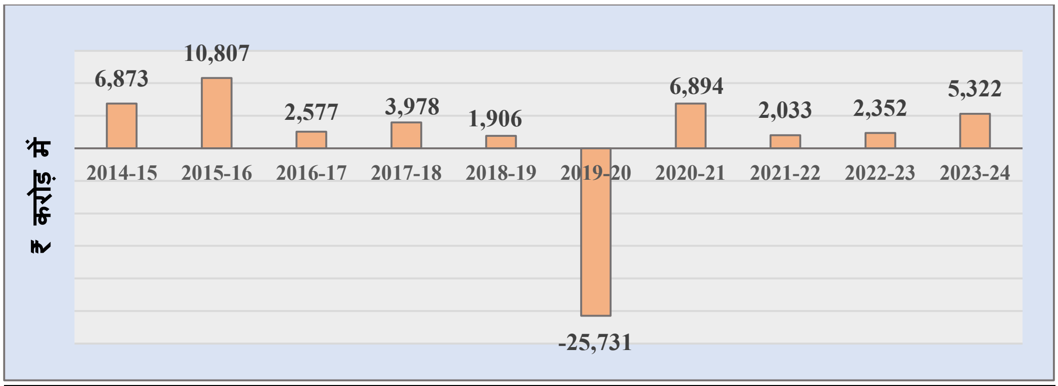

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र से देखा जा सकता है, वर्ष 2023-24 के दौरान योग निधि शेष ₹5,321.55 करोड़ था। पिछले 10 वर्षों के दौरान, योग निधि शेष 2015-16 में ₹10,806.68 करोड़ के उच्चतम स्तर पर था, जो पहली बार 2019-20 में ₹25,730.65 करोड़ के नकारात्मक शेष में बदल गया। 2019-20 के दौरान प्रतिकूल निधि शेष का कारण वर्ष के दौरान निधि के लिए वास्तविक विनियोजन की तुलना में पेंशन भुगतान पर अधिक व्यय होना था। मुख्य रूप से सामान्य

राजस्व से ₹79,398 करोड़ के विशेष ऋण की प्राप्ति के कारण 2020-21 के दौरान रेलवे निधि शेष में सुधार हुआ।

1.7.1 मूल्यह्रास आरक्षित निधि

रेलवे परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) का अनुरक्षण करता है। 2023-24 के दौरान, ₹1,000 करोड़ के अनुमानित बजट के मुकाबले ₹800 करोड़ आवंटित किए गए और इस निधि से ₹667.94 करोड़ खर्च किए गए (क्षेत्रीय रेलवे के लिए ₹645.99 करोड़ और उत्पादन इकाइयों के लिए ₹21.95 करोड़)। यह राशि पुराने हो चुके परिसंपत्तियों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक वास्तविक राशि की तुलना में नगण्य है। 2023-24 के अंत में निधि की शेष राशि ₹ 780.09 करोड़ थी।

डीआरएफ (2023-24 तक) से प्रतिस्थापित की जाने वाली संपत्तियों का थ्रो फॉरवर्ड' मूल्य ₹ 30,921 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। इसमें मुख्य रूप से रोलिंग स्टॉक पर ₹ 19,122 करोड़, ट्रैक नवीनीकरण पर ₹ 2,690 करोड़, कर्मचारी कल्याण पर ₹ 2,747 करोड़, सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्यों पर ₹ 1,350 करोड़, उत्पादन इकाइयों सहित कारखानों पर ₹ 1,070 करोड़ और पुल निर्माण कार्य, सुरंग निर्माण कार्य और पहुंच मार्गों पर ₹ 897 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार, पुरानी हो चुकी संपत्तियों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन का बड़ा बैकलॉग है, जिन्हें रेलों के सुरक्षित संचालन के लिए समय पर प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। पिछले पांच वर्षों के दौरान डीआरएफ का शेष नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: मूल्यह्रास आरक्षित निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक जमा	टीडब्लूए फए[22]	निधि के लिए विनियोजन		ब्याज	योग	निकासी	जमा शेष
				क्षेत्रीय रेलवे	उत्पादन इकाइयां				
1	2019-20	718.03	0.01	400	200	39.32	1,357.35	523.80	833.55
2	2020-21	833.55	0.00	200	200	23.72	1,257.27	671.92	585.35
3	2021-22	585.35	0.00	0	200	11.89	797.23	661.02	136.22
4	2022-23	136.22	0.00	700	200	9.29	1,045.51	617.38	428.13
5	2023-24	428.13	0.00	800	200	19.90	1,448.03	667.94	780.09

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

[22] *वित्तीय समायोजन के बिना स्थानांतरण*

परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के लिए निधि में किया गया प्रावधान अपर्याप्त था। यह 2020-21 और 2021-22 में कम हुआ था लेकिन 2022-23 और 2023-24 में बढ़ गया। इसके बावजूद, यह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। विशेष रूप से घटते अधिशेष की पृष्ठभूमि में, इस बात की पूरी संभावना है कि अधिक उम्र की संपत्तियों का प्रतिस्थापन और नवीनीकरण भारत सरकार के लिए एक बोझ बन सकता है।

डीआरएफ के बजाय अन्य निधियों (जैसे आरआरएसके) के माध्यम से परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के लिए वित्तपोषण करके, रेलवे ने डीआरएफ के लिए विनियोजन को कम कर दिया है। यह भी सच है कि डीआरएफ के लिए विनियोजन परिचालन अनुपात (प.अ.) को प्रभावित करेगा। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रेल मंत्रालय ने शुद्ध अधिशेष से डीआरएफ के बजाय आरआरएसके को अधिक धनराशि आवंटित की।

1.7.2 पेंशन निधि

इस निधि का गठन वर्तमान पेंशन भुगतानों को कवर करने के साथ-साथ सेवा के प्रत्येक वर्ष में अर्जित पेंशन लाभों के कारण संचित देयता को पूरा करने के लिए किया गया था। क्षेत्रीय रेलवे के मामले में इस निधि का वित्तपोषण राजस्व से हस्तांतरण द्वारा और उत्पादन इकाइयों के मामले में कारख़ाना निर्माण सस्पेंस (डब्ल्यूएमएस) से हस्तांतरण द्वारा किया जाता है।

अनुमानित बजट (बीई) ₹71,116 करोड़[23] के मुकाबले, रेलवे ने 2023-24 के दौरान ₹59,600 करोड़[24] की राशि विनियोजित की। वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन भुगतान पर वास्तविक व्यय ₹ 58,037.76 करोड़ था। वर्ष 2019-20 के अंत में ₹ 28,398.47 करोड़ के प्रतिकूल निधि शेष के कारण, केंद्रीय बजट 2020-21 में ₹ 79,398 करोड़ की राशि "2020-21 में कोविड से संबंधित संसाधन अंतर के लिए और 2019-20 में सार्वजनिक खाते में प्रतिकूल शेष को समाप्त करने के लिए सामान्य राजस्व से विशेष ऋण" के रूप में प्रदान की गई थी। ऋण का भुगतान निम्नलिखित शर्तों और नियमों के अधीन किया गया था:

[23] क्षेत्रीय रेलवे- ₹ 70,516 करोड़, उत्पादन इकाइयाँ- ₹ 500 करोड़ और विविध संगठन- ₹ 100 करोड़ (कुल ₹ 71,116 करोड़)।

[24] क्षेत्रीय रेलवे- ₹59,000 करोड़, उत्पादन इकाइयाँ- ₹500 करोड़ और विविध संगठन- ₹100 करोड़ (कुल ₹59,600 करोड़)।

i. रेल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस वर्ष और आगामी सभी वित्तीय वर्षों में लोकलेखा में वित्तीय वर्ष के अंत में कोई प्रतिकूल शेष न बचे।

ii. ₹ 63,000 करोड़ का ऋण बिना ब्याज के बीस (20) समान किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें तीन (3) वर्ष की स्थगन अवधि 31.03.2024 तक रहेगी।

iii. ₹ 16,398 करोड़ का ऋण 5.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित पाँच (5) समान किस्तों में तीन (3) वर्ष की स्थगन अवधि के साथ 31.03.2024 तक चुकाया जाएगा। स्थगन अवधि के दौरान ब्याज लगेगा, लेकिन यह मूलधन के साथ ही देय होगा।

पेंशन निधि की शेष राशि का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 1.13: पेंशन निधि शेष

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक जमा	टीडब्लूएफए/ पिछला समायोजन	निधि के लिए विनियोग	अतिरिक्त विनियोग (ऋण आदि)	ब्याज वर्ष के दौरान	योग (स्तंभ 2 से 6 तक का योग)	निकासी	जमा शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-20	196.11	0.00	21,308.00	0.00	-714.68	20,789.43	49,187.89	-28,398.47
2020-21	-28,398.47	0.00	1,123.00	79,398.00	-420.09	51,702.45	48,434.96	3,267.49
2021-22	3,267.49	0.00	48,700.00	0.00	55.27	52,022.76	51,935.24	87.51
2022-23	87.51	0.00	55,300.00	0.00	7.39	55,394.90	55,034.00	360.90
2023-24	360.90	0.00	59,600.00	0.00	38.26	59,999.16	58,037.76	1,961.40

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान के मद में रेलवे द्वारा किए गए व्यय को निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 1.13: रेलवे के पेंशन भुगतानों पर व्यय

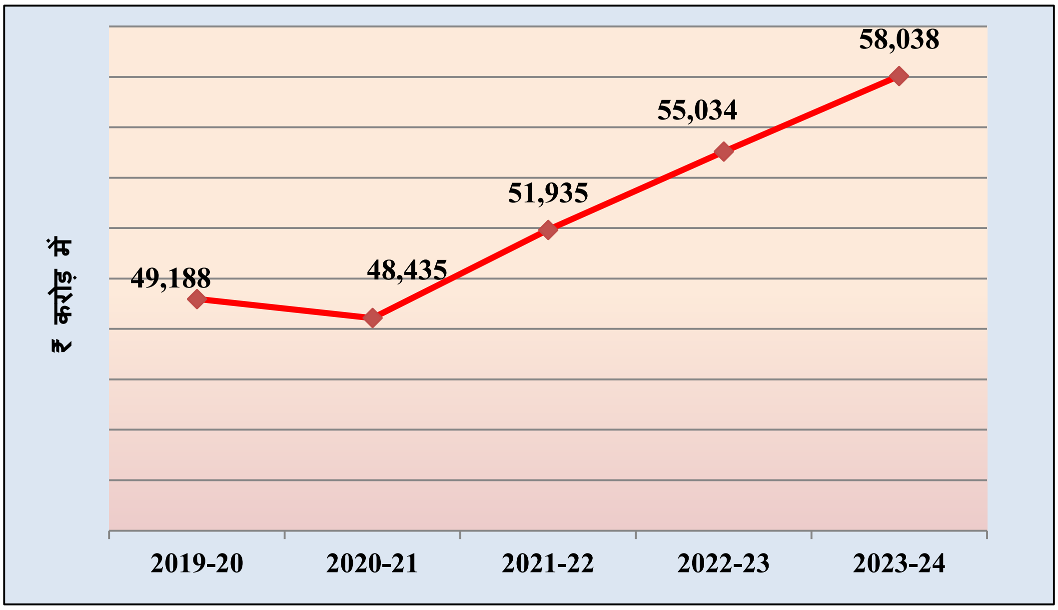

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

जैसा कि आंकड़ों से देखा जा सकता है, पेंशन पर व्यय जो 2019-20 में ₹ 49,188 करोड़ था, वह 2023-24 में बढ़कर ₹ 58,038 करोड़ हो गया है (17.99 प्रतिशत की वृद्धि) और पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 5.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

1.7.3 पूंजी निधि

इस कोष का गठन (1992-93 में) पूंजीगत प्रकृति के कार्यों की आवश्यकता के एक हिस्से के वित्तपोषण के स्पष्ट उद्देश्य से किया गया था। 2023-24 के दौरान, इस कोष में कोई राशि आवंटित नहीं की गई। इस निधि में वर्ष 2023-24 के अंत में ₹ 456.97 करोड़ की शेष राशि थी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: पूंजी निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक जमा	टीडब्लूए फए	निधि का विनियोजन	ब्याज	योग	निकासी	जमा शेष
1	2019-20	380.56	0.00	0.00	19.79	400.35	0.00	400.35
2	2020-21	400.35	0.00	0.00	13.61	413.96	0.00	413.96
3	2021-22	413.96	0.00	0.00	13.87	427.83	0.00	427.83
4	2022-23	427.83	0.00	0.00	14.33	442.16	0.00	442.16
5	2023-24	442.16	0.00	0.00	14.81	456.97	0.00	456.97

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

रेल मंत्रालय ने 2023-24 के दौरान जीबीएस से आईआरएफसी लीज शुल्क के मूल घटक के लिए ₹ 20,741.37 करोड़ खर्च किए, क्योंकि पूंजी निधि के लिए कोई विनियोजन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले कई वर्षों के दौरान, पट्टे का पूरा शुल्क (मूल घटक) सकल बजटीय सहायता से भुगतान किया जा रहा था। आदर्श रूप से, आईआरएफसी को लीज शुल्क का भुगतान पूंजी कोष (जो राजस्व अधिशेष से प्राप्त होता है) से किया जाना चाहिए था। हालांकि, अपर्याप्त अधिशेष और सीएफ में उपलब्ध अपर्याप्त धनराशि के कारण, आईआरएफसी को पट्टे के शुल्क का भुगतान जीबीएस से किया गया था।

1.7.4 विकास निधि

इस निधि का वित्तपोषण राजस्व अधिशेष से प्राप्त धनराशि के माध्यम से किया जाता है। इसका उपयोग रेलवे परिवहन के उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं से संबंधित कार्यों, श्रमिक कल्याण कार्यों, अवैतनिक परिचालन सुधार कार्यों आदि के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। 2023-24 के दौरान, ₹1,210 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले ₹1,500 करोड़ आवंटित किए गए और ₹952.66 करोड़ खर्च किए गए। 2023-24 के अंत में निधि खाते में ₹ 572.54 करोड़ की राशि दर्ज की गई, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: विकास निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक जमा	टीडब्लूएफए	निधि के लिए विनियोजन	ब्याज	योग	निकासी	जमा शेष
1	2019-20	248.36	0.03	1,388.86	19.44	1,656.69	1,137.40	519.29
2	2020-21	519.29	0.00	1,547.48	25.67	2,092.44	1,075.89	1,016.55
3	2021-22	1,016.55	0.00	0.00	16.75	1,033.30	1,032.65	0.65
4	2022-23	0.65	0.00	1,000.00	0.26	1,000.91	985.39	15.52
5	2023-24	15.52	0.00	1,500.00	9.68	1,525.20	952.66	572.54

स्रोत: रेल मंत्रालय के फंड बैलेंस का विवरण

1.7.5 ऋण सेवा निधि

यह कोष (2013-14 से) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), विश्व बैंक से लिए गए ऋणों के संबंध में भविष्य के ऋण सेवा दायित्वों और वेतन आयोग की अनुशंसाओं के भविष्य के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया था। इस कोष का वित्तपोषण पूंजी निधि और विकास निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद राजस्व अधिशेष से विनियोजन द्वारा किया जाता है। पिछले कई वर्षों के

दौरान, डीएसएफ में न तो कोई राशि बजट में आवंटित की गई और न ही विनियोजित की गई। 2023-24 के अंत में कोष में ₹ 245.09 करोड़ की शेष राशि थी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.16: ऋण सेवा निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक जमा	निधि के लिए विनियोजन	ब्याज	योग	निकासी	जमा शेष
1	2019-20	204.11	0.00	10.61	214.72	0.00	214.72
2	2020-21	214.72	0.00	7.30	222.02	0.00	222.02
3	2021-22	222.02	0.00	7.44	229.46	0.00	229.46
4	2022-23	229.46	0.00	7.69	237.15	0.00	237.15
5	2023-24	237.15	0.00	7.94	245.09	0.00	245.09

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

1.7.6 रेलवे सुरक्षा निधि

इस निधि का गठन (अप्रैल 2001 से) मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के रूपांतरण से संबंधित कार्यों और सड़क उपरि/अधोगामी पुल के निर्माण के वित्तपोषण के लिए किया गया था। हालांकि, 2016-17 में इस निधि के दायरे को बढ़ाकर इसमें नई लाइनें, आमान परिवतर्न, विद्युतीकरण और सुरक्षा कार्यों को शामिल किया गया। इस निधि का वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से डीजल उपकर में से धनराशि के हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, राजस्व अधिशेष से भी धनराशि आवंटित की जा सकती है।

2023-24 के दौरान, रेलवे को आरएसएफ के लिए ₹45,000 करोड़ प्राप्त हुए और उसने ₹45,000.33 करोड़ का व्यय किया। 2023-24 के अंत में निधि में ₹3.06 करोड़ की शेष राशि थी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.17: रेलवे सुरक्षा निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक जमा	टीडब्लू एफए	निधि के लिए विनियोजन	अतिरिक्त विनियोजन	योग	निकासी	जमा शेष
1	2019-20	140.99	0.00	0.00	17,250.00	17,390.99	16,885.74	505.25
2	2020-21	505.25	3.94	0.00	0.00	509.19	-2.90	512.09
3	2021-22	512.09	0.00	0.00	20,600.00	21,112.09	21,105.43	6.66
4	2022-23	6.66	-1.99	0.00	30,000.00	30,004.67	30,001.29	3.39
5	2023-24	3.39	0.00	0.00	45,000.00	45,003.39	45,000.33	3.06

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

1.7.7 राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के वित्तपोषण के लिए यह निधि 2017-18 से प्रभावी रूप से बनाया गया था। इस फंड को जीबीएस, आरएसएफ, डीआरएफ और राजस्व अधिशेष से क्रेडिट प्राप्त होंगे। इस निधि के पास पांच साल की अवधि में ₹1 लाख करोड़ का कोष है। सुनिश्चित वार्षिक परिव्यय 20,000 करोड़ है, जिसमें से ₹15,000 करोड़ जीबीएस से और ₹5,000 करोड़ रेलवे के आंतरिक संसाधनों से आएंगे। इस निधि को 2022-23 में पांच साल की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया गया था।

अनुमानित बजट (बीई) ₹1,000 करोड़ के मुकाबले, रे मं ने आरआरएसके के लिए अपने आंतरिक संसाधनों से ₹1,759.68 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, रेलवे को वर्ष 2023-24 के दौरान जीबीएस से ₹ 10,000 करोड़ प्राप्त हुए और उसने इस निधि से ₹ 11,322.17 करोड़ का व्यय किया, जिससे ₹ 1,302.40 करोड़ की शेष राशि बची, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.18: राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	वर्ष	प्रारंभिक जमा	प्राप्त राशि					व्यय	शेष
			डीआरएफ	जीबीएस	आरएसएफ	अधिशेष (आईआर)	योग		
1	2019-20	17.78		15,000		200.76	15,200.76	15,023.88	194.66
2	2020-21	194.66			(-)3.94	1,000	1,190.72	314.25	876.47
3	2021-22	876.47		15,000	10,000		25,000.00	24,731.54	1,144.93
4	2022-23	1,144.93		10,000		1,517.38	11,517.38	11,797.42	864.89
5	2023-24	864.89		10,000		1,759.68	11,759.68	11,322.17	1,302.40

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि महत्वपूर्ण सुरक्षा संपत्तियों के नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और उन्नयन का कार्य पहले से ही मौजूदा निधियों, अर्थात् डीआरएफ और आरएसएफ के माध्यम से किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीआरएफ के बजाय आरआरएसके के माध्यम से परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के लिए धन उपलब्ध कराकर, रेलवे ने डीआरएफ के लिए विनियोजन को कम कर दिया है।

1.7.8 संप्रभु हरित निधि

अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को काफी हद तक कम करने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप, केंद्रीय बजट 2022-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु संप्रभु हरित निधि जारी करने की घोषणा की गई। इस धनराशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में सहायक हों। निधि की शेष राशि की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 1.19: संप्रभु हरित निधि शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक जमा	निधि के लिए विनियोजन	निकासी	जमा शेष
1	2022-23	0	10,239.00	10,239.00	0
2	2023-24	0	12,478.99	12,478.99	0

स्रोत: रेल मंत्रालय के निधि शेष का विवरण

अनुमानित बजट (बीई) ₹12,478.99 करोड़ के मुकाबले, उतनी ही राशि निधि में आवंटित की गई और वर्ष 2023-24 के लिए निधि से उतनी ही राशि का व्यय किया गया।

1.8 निष्कर्ष

रेल मंत्रालय का योग व्यय 2022-23 में ₹ 4,41,642.66 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 5,15,050.66 करोड़ हो गया, जो 16.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वर्ष पूंजीगत व्यय में 28.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में 6.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान योग प्राप्तियों में वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। माल भाड़ा से होने वाली आय काफी हद तक कोयले के परिवहन पर निर्भर करती है। माल भाड़ा से होने वाली आय से यात्री और अन्य कोचिंग से होने वाली आय को क्रॉस सब्सिडी दी जाती थी।

2023-24 में ₹ 3,259.68 करोड़ का शुद्ध अधिशेष रहा, जबकि 2022-23 में यह ₹ 2,517.38 करोड़ था।

रेल मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान जीबीएस से आईआरएफसी लीज शुल्क के पूंजीगत घटक के लिए ₹ 20,741.37 करोड़ खर्च किए। लेखापरीक्षा में पाया गया

कि पट्टे के सभी शुल्क (मूलधन घटक) सकल बजटीय सहायता से भुगतान किए जा रहे थे। आदर्श रूप से, आईआरएफसी को लीज शुल्क का भुगतान पूंजी निधि (जो राजस्व अधिशेष से प्राप्त होता है) से किया जाना चाहिए था। हालांकि, अपर्याप्त अधिशेष और सीएफ में उपलब्ध अपर्याप्त धनराशि के कारण, आईआरएफसी को पट्टे के शुल्क का भुगतान जीबीएस से किया गया था। जीबीएस द्वारा आईआरएफसी को भुगतान करने की यह व्यवस्था एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है और इससे रेलवे उन अतिरिक्त निवेशों से वंचित हो जाएगा जो पूंजीगत कार्यों पर किए जा सकते थे। वर्ष 2022-23 की तुलना में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता में 59.77 प्रतिशत की कमी आई है।

मूल्यह्रास के लिए अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप नवीनीकरण और प्रतिस्थापन कार्यों को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया।

रेल मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान आंतरिक संसाधनों से ₹ 1,759.68 करोड़ और जीबीएस से आरआरएसके को ₹ 10,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित करके आवंटित की।

1.9 अनुशंसाएँ

रेल मंत्रालय:

i. यात्री परिचालन की लागत का गहन विश्लेषण करे और इसके नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाए।

ii. माल भाड़ा से होने वाली आय को बढ़ाने हेतु अपने माल भाड़ा विकल्पों में विविधता लाने के लिए कदम उठाए।

iii. रेलों के सुरक्षित परिचालन के लिए पुरानी हो चुकी परिसंपत्तियों के नवीनीकरण के लंबित मामलों का समाधान करे।

iv. आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाए।

अध्याय - 2
विनियोजन लेखे

अध्याय 2 विनियोजन लेखे

इस अध्याय में विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा के माध्यम से रेल मंत्रालय (रेल मंत्रालय) की वित्तीय जवाबदेही और बजटीय प्रथाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में, रेलवे बजट वित्तीय नियंत्रण का एक माध्यम होने के साथ-साथ रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय (वि मं), भारत सरकार के लिए एक प्रबंधन का महत्वपूर्ण साधन भी है।

वित्तीय नियंत्रण न केवल इस तथ्य से सुनिश्चित होता है कि सभी स्वीकृत व्यय संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करते हैं, बल्कि संसद द्वारा स्वीकृत प्रमुख/उप प्रमुख शीर्षो के अंतर्गत वास्तविक व्यय की रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करने की प्रणाली से भी सुनिश्चित होता है। वित्त मंत्रालय के माध्यम से संसद को प्रस्तुत किए जाने वाले वे विवरण, जिनमें वास्तविक व्यय की राशि की तुलना संसद द्वारा स्वीकृत राशि और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विनियोग राशि से की जाती है, **"विनियोग लेखे"** कहलाते हैं।

विनियोग लेखे किसी विशेष वर्ष के लिए राजस्व मंत्रालय के व्यय से संबंधित लेखाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिसकी तुलना संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम की अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए गए विनियोगों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट आवंटन, पूरक अनुदान, त्यागपत्र और पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध होते हैं और बजट की प्रभारित और स्वीकृत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी में सहायक होते हैं और इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

विनियोग लेखाओं पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रेलवे के वित्त सदस्य दोनों के हस्ताक्षर होते हैं और इन्हें लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को प्रस्तुत किया जाता है। सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रमुख मदों/उप प्रमुख मदों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दी

गई अनुमति के दायरे में है या नहीं और यह भी कि किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

2.1 विनियोग लेखाओं का सारांश

2017-18 से रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में विलय किए जाने के बाद, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी नागरिक लेखा नियमावली में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, प्रमुख मदों/उप प्रमुख मदों के संचालन के माध्यम से व्यय करने के लिए अधिकृत किया गया।

रेलवे अनुदान में मुख्य मद 3001, 3002 और 3003 के अंतर्गत राजस्व अनुदान[25] शामिल हैं, जिनका वित्तपोषण रेलवे मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान अपनी आय से उत्पन्न आंतरिक संसाधनों के माध्यम से किया जाता है, और मुख्य मद 5002-03 (जिसमें मुख्य मद 8115, 8117, 8118, 8230 और 8231 शामिल हैं) के अंतर्गत पूंजी अनुदान[26] (अनुदान संख्या 16) शामिल है, जिसका वित्तपोषण मुख्य रूप से सामान्य बजट, आंतरिक संसाधनों और केंद्रीय सड़क निधि[27] (सीआरएफ) से "डीजल उपकर" के भाग के माध्यम से किया जाता है।

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशियों के लिए विनियोग लेखाओं (रेलवे) की तुलना भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 और 115 के अंतर्गत पारित व्यय के लिए अनुदान की मूल और पूरक मांगों में अधिकृत राशियों से करते हुए सारणी 2.1 में सारांश प्रस्तुत किया गया है।

---

[25] संसद द्वारा स्वीकृत कार्यशील व्यय और अन्य राजस्व व्यय का विवरण देने वाले अनुदान।

[26] संसद द्वारा स्वीकृत परिसंपत्ति अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन पर व्यय का विवरण देने वाले अनुदान।

[27] केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की बिक्री से उपकर संग्रह द्वारा एक समर्पित केंद्रीय सड़क कोष बनाया गया।

तालिका 2.1: वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखाओं का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मूल अनुदान/ विनियोग	*अनुपूरक अनुदान*	कुल स्वीकृत अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत (-) / अतिरिक्त (+)
दतमत्त						
1	राजस्व (3001,3002, 3003, 3006 एवं 3075)	3,30,567.42	0.01	3,30,567.43	3,21,319.54	-9,247.89
2(i)	पूंजी (5002,5003)	3,31,446.09	69.84	3,31,515.93	3,21,189.80	-10,326.13
2(ii)	केंद्रीय सड़क निधि(सीआरएफ) से अंतरण	12,049.70	0.00	12,049.70	11,000.00	-1,049.70
2(iii)	राष्ट्रीय निवेश कोष(एनआईएफ) से अंतरण	29,434.99	0.00	29,434.99	11,100.00	-18,334.99
2(iv)	आरआरएसके को अंतरण	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2(v)	आरएसएफ़ को अंतरण	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2(vi)	एसजीएफ़ को अंतरण	12,479.00	0.00	12,479.00	12,478.99	-0.01
पूंजी - योग		**4,40,409.78**	**69.84**	**4,40,479.62**	**4,10,768.79**	**-29,710.83**
दतमत्त - योग		**7,70,977.20**	**69.85**	**7,71,047.05**	**7,32,088.33**	**-38,958.72**
प्रभारित						
3	राजस्व (3001,3002, 3003, 3006 एवं 3075)	433.10	82.10	515.20	536.82	21.62
4	पूंजी (5002,5003)	219.29	619.54	838.83	934.66	95.83
प्रभारित - योग		**652.39**	**701.64**	**1354.03**	**1471.48**	**117.45**
सकल योग		**7,71,629.59**	**771.49**	**7,72,401.08**	**7,33,559.81**	**-38,841.27**

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

अनुदान-वार व्यय के विश्लेषण (परिशिष्ट-2.1) से पता चला कि ₹ 38,841.27 करोड़ की शुद्ध बचत राजस्व अनुदान (एम.एच. 3002-03) के स्वीकृत और प्रभारित विनियोजनों[28] के छह खंडों और पूंजी (एम.एच. 5002-03) के छह (स्वीकृत) घटकों से प्राप्त ₹ 51,426.99 करोड़ की बचत के कारण हुई। इस बचत को राजस्व अनुदान (एम.एच. 3002-03) के स्वीकृत और प्रभारित विनियोजनों के दस खंडों और पूंजी विनियोजनों (एम.एच. 3002-03) के प्रभारित और सात खंडों से प्राप्त ₹ 12,585.72 करोड़ की अधिकता से समायोजित किया गया, साथ ही पूंजी विनियोजनों (एम.एच. 5002-03) के दो घटकों (स्वीकृत) और प्रभारित विनियोजनों के पांच खंडों से प्राप्त ₹ 12,585.72 करोड़ की अधिकता से भी समायोजित किया गया।

2.1.1 राजस्व अनुदान

राजस्व मंत्रालय (रेल मंत्रालय) प्रमुख मद 3001, 3002-03 के अंतर्गत निम्नलिखित राजस्व अनुदानों का संचालन करता है। इन्हें **तालिका 2.2** में सूचीबद्ध छह अलग-अलग समूहों में कार्यात्मक रूप से वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 2.2: रेलवे द्वारा संचालित अनुदान

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	विवरण	छह विशिष्ट समूह
1	3001		विविध व्यय (रेलवे बोर्ड के व्यय सहित)	सभी रेलवे के लिए समान नीति निर्माण और सेवाएं
2	3002-03	01	रेलवे पर सामान्य अधीक्षण और सेवा	रेलवे पर सामान्य अधीक्षण और सेवा
		02	स्थायी मार्गों और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	मरम्मत और अनुरक्षण
		03	इंजन की मरम्मत एवं अनुरक्षण	
		04	गाड़ियों और वैगनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	
		05	संयंत्र एवं उपकरणों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	

[28] विनियोजन से तात्पर्य भारत की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय से है।

		06	चलने-फिरने वाले वाहनों और उपकरणों के परिचालन व्यय	परिचालन
		07	परिचालन व्यय - यातायात	
		08	परिचालन व्यय - ईंधन	
		09	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	कर्मचारी कल्याण, सेवानिवृत्ति लाभ और विविध मदें
		10	विविध परिचालन व्यय	
		11	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
		12	निधि के लिए विनियोजन	रेलवे निधि

स्रोत: भारतीय रेलवे वित्त संहिता, रेल मंत्रालय का खंड II

निम्नलिखित आरेख 2023-24 में समूहवार व्यय को दर्शाता है:

चित्र-2.1: समूहवार राजस्व व्यय (2023-24)

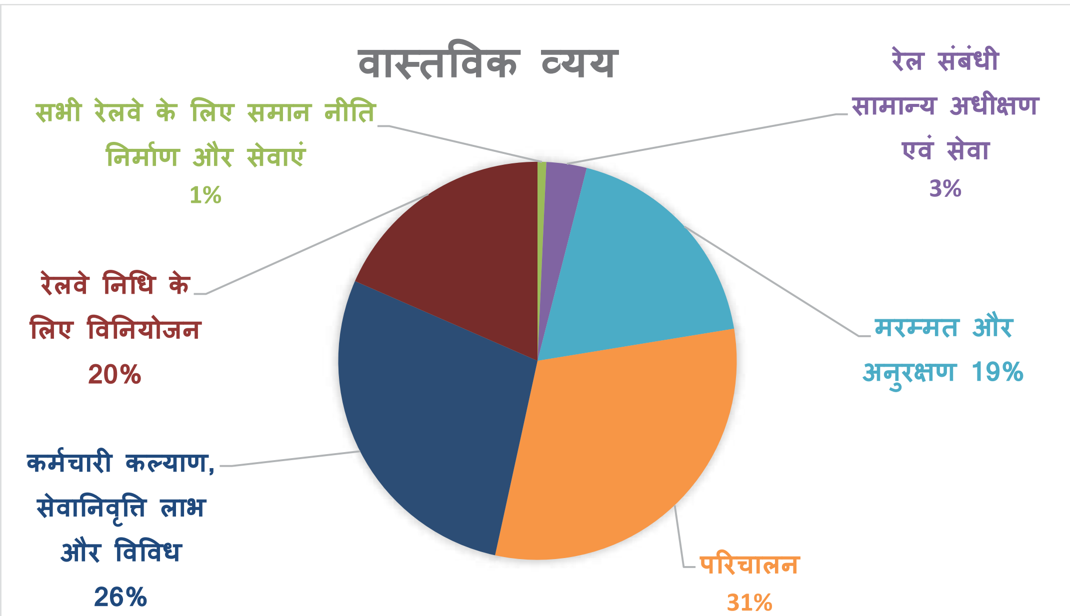

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

राजस्व अनुदान के अंतर्गत समूहवार अनुमान, व्यय और भिन्नता का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: समूहवार अनुमान, व्यय और भिन्नता (2023-24)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक प्रावधान	कुल स्वीकृत अनुदान	वास्तविक व्यय	स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष परिवर्तन (-) बचत/ (+) अतिरिक्त	*प्रतिशत* भिन्नता
1	सभी रेलवे के लिए समान नीति निर्माण और सेवाएं	2,600.01	0.00	2,600.01	1,858.77	-741.24	-28.51
2	रेल संबंधी सामान्य अधीक्षण एवं सेवा	9,634.12	0.00	9,634.12	9,627.52	-6.60	-0.07
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण	55,337.78	0.00	55,337.78	61,957.62	6,619.84	11.96
4	संचालन	1,01,715.24	17.48	1,01,732.72	97,812.06	-3,920.66	-3.85
5	कर्मचारी कल्याण, सेवानिवृत्ति लाभ एवं विविध मदें	86,619.86	64.62	86,684.48	84,228.04	-2,456.44	-2.83
6	रेलवे निधि के लिए आवंटन	73,826.00	0.00	73,826.00	63,159.68	-10,666.32	-14.45

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

स्वीकृत प्रावधानों के संदर्भ में भिन्नताओं के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:

i) भारतीय रेलवे नीति निर्माण

व्यय में बचत का कारण कर्मचारियों की लागत पर कम खर्च, कुछ सर्वेक्षण कार्यों की धीमी प्रगति, कुछ कार्यों के निविदाओं का अंतिम रूप न दे पाना, संविदात्मक भुगतान की कम प्राप्ति, अनुसंधान एवं परीक्षण पर कम खर्च और नवरचना योजना पर कोई खर्च न होना, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) द्वारा कम परीक्षाएं आयोजित करना और वर्ष के दौरान कम पदोन्नतियां होना था।

ii) रेलगाड़ियों पर सामान्य अधीक्षण एवं सेवा

व्यय में बचत का कारण लेखा, नकद एवं वेतन, सांख्यिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक डेटा अध्ययन विभागों के कर्मचारियों की लागत में कमी, स्टोर शाखा एवं स्टोर डिपो में कम व्यय, लोको, कैरिज एवं वैगन (सी एवं डब्ल्यू) शाखा, मैकेनिकल परिचालन एवं कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग (ईडीपी) पर कम व्यय था।

iii) मरम्मत और अनुरक्षण

अतिरिक्त व्यय का कारण पर्यवेक्षी कर्मचारियों की लागत में वृद्धि, स्थायी मार्ग के अनुरक्षण में वृद्धि, कार्यालय भवनों, स्टेशनों और माल गोदामों की संरचनाओं और जल आपूर्ति पर वृद्धि, भंडार से सामग्री की लागत में वृद्धि, चालू मरम्मत के लिए संविदात्मक भुगतान में वृद्धि, प्रत्यक्ष खरीद में वृद्धि, मरम्मत और पीओएच गतिविधियों पर डेबिट के समायोजन में वृद्धि, क्षतिग्रस्त लाइनों, कि मरम्मत के खर्च में वृद्धि क्षतिग्रस्त लाइनों के लिए कार्यशालाओं और विशेष मरम्मत में वृद्धि, एसी कोच, पावर कार, स्टीम लोको हेडलाइट उपकरण पर वृद्धि, माइक्रोवेव मल्टी चैनल रेडियो रिले प्रणाली, लाइन तार और ओएफसी अनुरक्षण प्रभार पर आरसीआईएल को किए गए अतिरिक्त व्यय आदि थे।

iv) परिचालन

खर्च में बचत कम कर्मचारी लागत, वर्ष के दौरान माल ढुलाई पर कम खर्च, प्रचार सामग्री और प्रचार पर कम खर्च, रोलिंग स्टॉक से संबंधित अंतर-रेलवे वित्तीय समायोजन पर कम खर्च, आईआरएफसी को पट्टे के प्रभार का कम भुगतान, ईबीआर-आईएफ का कम भुगतान, स्टीम ट्रैक्शन के लिए कोयले की कम खपत और ट्रैक्शन सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा की लागत पर कम खर्च के कारण हुई।

v) कर्मचारी कल्याण, सेवानिवृत्ति लाभ और विविध

वर्ष के दौरान रेलवे के अपने स्कूलों और कॉलेजों पर कम खर्च, ट्यूशन फीस और छात्रावास सब्सिडी की कम प्रतिपूर्ति, दावों के निपटान पर कम खर्च, नकद भुगतान और बहीखाता समायोजन के माध्यम से निपटाए गए मुआवजे, उपभोक्ता बल के

पुरस्कार, एमएआर मुआवजे के दावों के कम क्रियान्वयन, सेवानिवृत्ति पेंशन मामलों, परिवर्तित और अनुग्रह पेंशन और पेंशनभोगियों के लिए अवकाश नकदीकरण आदि पर कम खर्च के कारण व्यय में बचत हुई।

vi) रेलवे निधि

अंतिम संशोधन चरण में अनुमानित कम व्यय के कारण व्यय में बचत हुई।

राजस्व और पूंजी अनुदान एवं विनियोजनों के अंतर्गत अनुदान-वार प्राधिकरण और व्यय का विवरण ***परिशिष्ट-2.1*** में दिया गया है।

2.2 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.2.1 बजट प्रावधान से अधिक व्यय

तालिका 2.4 में राजस्व अनुदान के अनुदान और विनियोजन उप-प्रमुख मदों के अनुसार (प्रमुख मद 3002-03-(XX) के अंतर्गत) दिए गए हैं।

तालिका 2.4: अतिरिक्त व्यय (2023-24)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या. 85	नाम	मूल	पूरक	संस्वीकृत	वास्तविक	अधिक (+)
1	एमएच 3002-03 - (02)	स्थायी मार्गों और निर्माण कार्यों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.41	0	0.41	23.93	23.52
2	एमएच 3002-03 - (03)	गतिशील विद्युत प्रणालियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	0	0	0	0.28	0.28
3	एमएच 3002-03 - (04)	गाड़ियों और वैगनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	0	0	0	0.05	0.05
4	एमएच 3002-03 - (06)	परिचालन व्यय - रोलिंग स्टॉक और उपकरण	0	0	0	1.84	1.84

क्र. सं.	अनुदान संख्या. 85	नाम	मूल	पूरक	संस्वीकृत	वास्तविक	अधिक (+)
5	एमएच 3002-03 - (07)	परिचालन व्यय - यातायात	0.06	17.48	17.54	46.40	28.86
6	एमएच 3002-03 - (09)	कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएं	0.03	0	0.03	3.95	3.92
7	एमएच 3002-03 - (11)	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	0.12	0	0.12	1.66	1.54
सकल योग (प्रभारित)			**0.62**	**17.48**	**18.10**	**78.11**	**60.01**
1	एमएच 3002-03 - (02)	स्थायी मार्गों और निर्माण कार्यों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	18,725.70	0	18,725.70	20,297.86	1,572.16
2	एमएच 3002-03 - (03)	गतिशील विद्युत प्रणालियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	6,883.25	0	6,883.25	7,931.75	1,048.50
3	एमएच 3002-03 - (04)	गाड़ियों और वैगनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	19,742.84	0	19,742.84	22,931.84	3,189.00
4	एमएच 3002-03 - (05)	संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	9,975.59	0	9,975.59	10,771.79	796.21
5	एमएच 3002-03 - (06)	परिचालन व्यय - रोलिंग स्टॉक और उपकरण	21,127.44	0	21,127.44	22,641.85	1,514.41
6	एमएच 3002-03 - (08)	परिचालन व्यय - ईंधन	34,889.19	0	34,889.19	35,346.89	457.70
7	एमएच 3002-03 - (09)	कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएं	9,094.86	0	9,094.86	9,507.12	412.25

क्र. सं.	अनुदान संख्या. 85	नाम	मूल	पूरक	संस्वीकृत	वास्तविक	अधिक (+)
8	एमएच 3002-03 - (10)	विविध कार्य व्यय	8,413.51	0	8,413.51	9,220.54	807.03
	सकल योग(दतमत्त)		**1,28,852.38**	**0**	**1,28,852.28**	**1,38,649.64**	**9,797.26**

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

राजस्व विनियोग विधेयक संख्या 3002-03 के सात उप-प्रमुख मदों के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 60.01 करोड़ के अतिरिक्त व्यय (आरक्षित) का कारण अपेक्षा से अधिक डिक्री भुगतानों के क्रियान्वयन में हुए व्यय को बताया गया है। राजस्व अनुदान विधेयक संख्या 3002-03 (दतमत्त) के आठ उप-प्रमुख मदों के अंतर्गत ₹ 9,797.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। अतिरिक्त व्यय के कारणों में स्थायी मार्ग और कार्यों, कार्यालय भवनों, स्टेशनों और माल गोदामों के अनुरक्षण पर अधिक व्यय, प्रत्यक्ष खरीद पर अधिक व्यय, मरम्मत और सार्वजनिक परिवहन गतिविधियों पर डेबिट का अधिक समायोजन, चालू मरम्मत और अनुरक्षण (पारंपरिक कोच, एसी कोच, पावर कार), इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए ओवरहेड उपकरणों की मरम्मत, एस एवं टी सिस्टम का किराया और आरसीआईएल को ओएफसी अनुरक्षण शुल्क, राज्य विद्युत बोर्ड को अधिक भुगतान, एचएसडी तेल की बढ़ी हुई दर और कर, दवाओं की लागत और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पर अधिक व्यय, आरपीएफ और आरपीएसएफ पर अधिक व्यय, संविदा खानपान, आतिथ्य और मनोरंजन व्यय आदि शामिल थे।

2.2.2 बचत/संचित निधि

तालिका 2.5 में दिए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान पांच मामलों (राजस्व अनुदान 3002-03 और पूंजी अनुदान-5002-03) (दतमत्त) में जहां बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, कुल बचत ₹ 50,694.82 करोड़ थी।

तालिका 2.5: ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. 85	नाम	मूल	पूरक	संस्वीकृत	वास्तविक व्यय	बचत (-)
1	एमएच 3001	विविध व्यय रेलवे बोर्ड के व्यय सहित	2,594.51	0	2,594.51	1,854.22	-740.29
2	एमएच 3002-03 - (07)	परिचालन व्यय - यातायात	45,695.95	0	45,695.95	39,774.17	-5,921.78
3	एमएच 3002-03 - (11)	भविष्य निधि, पैंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	68,699.88	0	68,699.88	65,044.28	-3,655.60
4	एमएच 3002-03, 3006-(12)	निधियों के लिए विनियोजन	73,826.00	0	73,826.00	63,159.68	-10,666.32
5	एमएच 5002-03	संपत्ति, अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन	4,40,409.78	69.84	4,40,479.62	4,10,768.79	-29,710.83
सकल योग			**6,31,226.12**	**69.84**	**6,31,295.96**	**5,80,601.14**	**-50,694.82**

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

खर्च में बचत के कारणों में कर्मचारियों की लागत पर कम खर्च, कुछ सर्वेक्षण कार्यों की धीमी प्रगति, कुछ कार्यों के टेंडरों का अंतिम रूप न देना, संविदात्मक भुगतान की कम प्राप्ति, अनुसंधान और परीक्षण के अंतर्गत कम खर्च और नवरचना योजना में कोई खर्च न होना, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) द्वारा कम परीक्षाएं आयोजित करना, वर्ष के दौरान कम पदोन्नति, आईआरएफसी को पट्टा प्रभार का कम भुगतान और ईबीआर-आईएफ के लिए कम भुगतान शामिल थे। इसके अलावा, रेलवे के अपने स्कूलों और कॉलेजों पर कम खर्च, ट्यूशन फीस और छात्रावास सब्सिडी की कम प्रतिपूर्ति, दावों के निपटान, नकद भुगतान और बहीखाता समायोजन के माध्यम से तय की गई क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता बल के पुरस्कार,

सेवानिवृत्ति पेंशन मामलों, परिवर्तित और अनुग्रह पेंशन और पेंशनभोगियों के लिए अवकाश नकदीकरण आदि पर कम खर्च, अंतिम संशोधन चरण में अनुमानित कम खर्च, कार्य की धीमी प्रगति, कम संविदात्मक भुगतान, पट्टे पर दी गई संपत्ति के पूंजी घटक का कम भुगतान, निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब आदि भी इसके कारण थे।

2.3 पूंजी अनुदान संख्या 16-परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन

पूंजी अनुदान संख्या 16, अनुसंधान मंत्रालय की संपत्तियों के निर्माण, अधिग्रहण और प्रतिस्थापन पर होने वाले व्यय से संबंधित है। इस अनुदान के तीन खंड हैं और इसका वित्तपोषण चार अलग-अलग स्रोतों से होता है:

- **पूंजीगत सहायता** - भारत सरकार के आम बजट द्वारा दी जाने वाली अग्रिम बजटीय सहायता
- **रेलवे निधि** - तीन अलग-अलग आरक्षित[29] निधियों के अंतर्गत रखे गए आंतरिक संसाधन
- **रेलवे सुरक्षा निधि** - केंद्रीय सड़क निधि से रेलवे के डीजल उपकर के हिस्से द्वारा वित्तपोषित
- **राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष** - यह कोष 2017-18 से महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्यों के वित्तपोषण के लिए बनाया था। इस कोष में जीबीएस, आरएसएफ, डीआरएफ और राजस्व अधिशेष से राशि प्राप्त होगी।

खंडवार आवंटन और व्यय नीचे तालिका 2.6 में दिया गया है:

[29] आरक्षित निधियों में मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ), विकास निधि (डीएफ) और पूंजी निधि (सीएफ) शामिल थीं।

तालिका 2.6: अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत खंडवार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निधि (एम.एच)	विवरण	मूल	पूरक	संस्वीकृत	वास्तविक व्यय	अतिरिक्त(+) / बचत(-)
	दतमत्त						
1	5002-03	रेल मंत्रालय पर पूंजीगत व्यय	2,71,422.85	69.84	2,71,492.69	2,60,693.80	-10,798.89
2	8115 8117 8118	डीआरएफ, डीएफ, सीएफ	2,118.82	0	2,118.82	1,904.12	-214.70
3	8231	आरएसएफ़	45,596.84	0	45,596.84	45,861.39	264.55
4	8230	आरआरएसके	12,307.58	0	12,307.58	12,730.50	422.92
		कुल (दतमत्त)	**3,31,446.09**	**69.84**	**3,31,515.93**	**3,21,189.80**	**-10,326.13**
	प्रभारित						
5	5002-03	रेल मंत्रालय पर पूंजीगत व्यय	217.75	586.72	804.47	810.80	6.33
6	8115 8117 8118	डीआरएफ़, डीएफ़, सीएफ़	0	12.66	12.66	23.60	10.94
7	8231	आरएसएफ़	0	15.18	15.18	25.08	9.90
9	8230	आरआरएसके	1.54	4.98	6.52	75.19	68.67
		कुल (प्रभारित)	**219.29**	**619.54**	**838.83**	**934.67**	**95.84**
सकल योग (दतमत्त + प्रभारित)			**3,31,665.38**	**689.38**	**3,32,354.76**	**3,22,124.47**	**-10,230.29**

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

क) पूंजी

2023-24 में, परिसंपत्तियों/रोलिंग स्टॉक आदि के अधिग्रहण और निर्माण के लिए ₹ 3,32,354.76 करोड़ का प्रावधान किया गया। अनुदान के इस खंड में संस्वीकृत प्रावधान की अपेक्षा ₹ 10,230.29 करोड़ (संस्वीकृत अनुदान का 3.08 *प्रतिशत*) की शुद्ध बचत हुई। बचत के कारणों में कार्य की धीमी प्रगति, सामग्रियों की कम उपलब्धता, संविदात्मक भुगतानों में कमी, पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पूंजीगत

घटक के भुगतान में कमी, भंडार ऋणों के समायोजन में कमी, निर्माण एवं उत्पादन वस्तुओं की खरीद में कमी, वर्ष के दौरान निवेश में कमी, प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय में कमी और सामान्य प्रयोजनों के लिए भंडार की खरीद में वर्ष के दौरान अपेक्षा से कम होना शामिल थे।

ख) रेलवे निधियाँ

अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत 'रेलवे निधि' के लिए विनियोजन लेखे रेलवे मंत्रालय के आंतरिक संसाधनों से वित्तपोषित किए जाते हैं, या तो 'कार्य व्यय' (डीआरएफ) के माध्यम से या 'शुद्ध राजस्व अधिशेष' से। इस प्रकार, रेलवे मंत्रालय का प्रदर्शन और निधि लेखाओं में शेष राशि की उपलब्धता अनुदान के इस खंड के अंतर्गत व्यय की योजना को प्रभावित करती है। रेलवे निधि के अंतर्गत स्रोत-वार आवंटन और व्यय का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: रेलवे निधियों के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मूल	पूरक	कुल संस्वीकृत	वास्तविक व्यय	अतिरिक्त(+) / बचत(-)
	दतमत्त					
1	मूल्यह्रास आरक्षित निधि	1,118.82	0	1,118.82	968.76	-150.06
2	विकास निधि	1,000.00	0	1,000.00	935.36	-64.64
3	पूंजी निधि	0	0	0	0	0
	कुल दतमत्त	**2,118.82**	**0**	**2,118.82**	**1,904.12**	**-214.70**
	प्रभारित					
4	मूल्यह्रास आरक्षित निधि	0	0.36	0.36	6.03	5.67
5	विकास निधि	0	12.30	12.30	17.57	5.27
6	पूंजी निधि	0	0	0	0	0
	कुल प्रभारित	**0**	**12.66**	**12.66**	**23.60**	**10.94**

क्र. सं.	विवरण	मूल	पूरक	कुल संस्वीकृत	वास्तविक व्यय	अतिरिक्त(+) / बचत(-)
	सकल योग- दतमत्त और अनुपूरित	**2,118.82**	**12.66**	**2,131.48**	**1,927.72**	**-203.76**

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

अनुदान के इस खंड के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 214.70 करोड़ (संस्वीकृत अनुदान का 10.13 *प्रतिशत*) की शुद्ध बचत (दतमत्त) हुई।

ग) रेलवे सुरक्षा निधि

पूंजीगत व्यय का यह स्रोत केंद्रीय सड़क निधि में डीजल उपकर के रेल मंत्रालय के हिस्से से वित्त पोषित है। उपलब्ध निधि का उपयोग सड़क सुरक्षा कार्यों जैसे मानवरहित रेलवे पारपथ पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और सड़क उपरिगामी/भूमिगत पुल के निर्माण के लिए किया जाता है। 2023-24 के दौरान ₹ 45,596.84 करोड़ के संस्वीकृत अनुदान के मुकाबले ₹ 264.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय (दतमत्त) हुआ, जो 0.58 *प्रतिशत* है। रेल मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त व्यय का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है।

घ) राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के वित्तपोषण के लिए यह कोष 2017-18 से प्रभावी किया गया। इस कोष में जीबीएस, आरएसएफ, डीआरएफ और राजस्व अधिशेष से धनराशि प्राप्त होगी।

अनुदान के इस खंड के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 422.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय (₹ 12,307.58 करोड़ के संस्वीकृत अनुदान का 3.44 प्रतिशत) हुआ।

2.4 धन की निकासी/उपयोग

नीचे दी गई तालिका 2.8 में वर्ष 2023-24 के दौरान एम.एच. 85 - उपमुख्य शीर्ष - 12 के अंतर्गत निधियों से 'निधि आवंटन' और 'उपयोग की गई राशि' के संबंध में बजट अनुमानों और वास्तविकताओं की स्थिति दर्शाई गई है:

तालिका 2.8: 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रेलवे निधि के लिए विनियोजन और उसमें से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निधि	विवरण	2023-24
1	डीआरएफ़	निधि के लिए विनियोजन (बीई)	1,000.00
		निधि के लिए विनियोजन (वास्तविक)	800.00
		अधिक (+)/कम (-) विनियोजन	(-) 200.00
		निधि से व्यय/निकासी	667.94
2	डीएफ़	निधि के लिए विनियोजन (बीई)	1,210.00
		निधि के लिए विनियोजन (वास्तविक)	1,500.00
		अधिक (+)/कम (-) विनियोजन	290.00
		निधि से व्यय/निकासी	952.66
3	सीएफ़	निधि के लिए विनियोजन (बीई)	0.00
		निधि के लिए विनियोजन (वास्तविक)	0.00
		अधिक (+)/कम (-) विनियोजन	0.00
		निधि से व्यय/निकासी	0.00
4	पेंशन निधि	निधि के लिए विनियोजन (बीई)	70,616.00
		निधि के लिए विनियोजन (वास्तविक)	59,100.00
		अधिक (+)/कम (-) विनियोजन	(-) 11,516.00
		निधि से व्यय/निकासी	58,037.76
5	आरआर एसके	निधि के लिए विनियोजन (बीई)	1,000.00
		निधि के लिए विनियोजन (वास्तविक)*	11,759.68

क्र. सं.	निधि	विवरण	2023-24
		अतिरिक्त (+)/कमी (-) विनियोजन	759.68
		निधि से व्यय/निकासी	11,322.17

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

****अधिशेष से 1,759.68 करोड़ रुपये के अतिरिक्त, जीबीएस से 10,000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए।***

डीआरएफ और पेंशन फंड के लिए आवंटित राशि में उत्पादन इकाइयों के लिए आवंटित राशि शामिल नहीं है।

मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ), जो मौजूदा अधिक उम्र की संपत्तियों के नवीनीकरण/प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक निधि की पूर्ति हेतु बनाई गई है, का उपयोग संपत्तियों के जीवनकाल के अनुसार नहीं किया जा रहा है, बल्कि निधि में उतना ही आवंटन किया गया है जितना कि परिचालन व्यय वहन कर सकता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 800 करोड़ आवंटित किए गए जबकि राजस्व मद के अंतर्गत निधि से ₹ 667.94 करोड़ निकाले गए।

पट्टे पर ली गई संपत्तियों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी कोष (सीएफ) बनाया था। हालांकि, वर्ष 2023-24 के दौरान इस कोष में कोई राशि आवंटित नहीं की गई।

रेलवे परिवहन के उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं से संबंधित कार्यों, श्रमिक कल्याण कार्यों, पारिश्रमिक सहित परिचालन सुधार कार्यों आदि पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विकास कोष (डीएफ) बनाया था। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 1,500 करोड़ आवंटित किए गए जबकि कोष से ₹ 952.66 करोड़ निकाले गए।

2.5 पूरक प्रावधान

पूरक प्रावधानों सहित बजट आवंटन का विवरण इस प्रकार था:-

तालिका 2.9: पूरक अनुदान, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निधि	विवरण	मूल	पूरक	संस्वीकृत	वास्तविक व्यय	अतिरिक्त(+)/ बचत(-)
राजस्व							
1	एमएच 3002-03 - (07)	परिचालन व्यय -	0.06	17.48	17.54	46.40	28.86

क्र.सं.	निधि	विवरण	मूल	पूरक	संस्वीकृत	वास्तविक व्यय	अतिरिक्त(+)/ बचत(-)
		यातायात (प्रभारित)					
2	एमएच 3002-03 - (10)	विविध कार्य व्यय (प्रभारित)	411.46	64.62	476.08	450.51	-25.57
3	एमएच 3075 (60)-102	अन्य परिवहन सेवाएँ (दतमत्त)	1,267.51	0.01	1,267.52	3,212.67	1,945.15
पूंजी							
1	एमएच 5002-03	परिसंपत्तियाँ - अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन (दतमत्त)	3,31,446.09	69.84	3,31,515.93	3,21,189.80	-10,326.13
2	एमएच 5002-03	परिसंपत्तियाँ - अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन (प्रभारित)	219.29	619.54	838.83	934.67	95.84

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

i. एमएच 3002-03 - (07) (प्रभारित) के अंतर्गत ₹ 17.48 करोड़, एमएच 3002-03 - (10) (प्रभारित) के अंतर्गत ₹ 64.62 करोड़ और एमएच 3075 (60)-102 (दतमत्त) के अंतर्गत प्राप्त ₹ 0.01 करोड़ के पूरक प्रावधानों के बावजूद, उक्त राजस्व प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः ₹ 28.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, ₹ 25.57 करोड़ की बचत और ₹ 1,945.15 करोड़ की अधिकता थी।

ii. पूंजी अनुदान (5002-03) की दतमत्त और प्रभारित धाराओं के अंतर्गत क्रमशः ₹ 69.84 करोड़ और ₹ 619.54 करोड़ के पूरक प्रावधानों के बावजूद, उक्त पूंजी प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः ₹ 10,326.13 करोड़ की बचत और ₹ 95.84 करोड़ की अधिकता हुई।

पूंजी अनुदान (5002-03) (दतमत्त) के अंतर्गत पूरक अनुदान के वर्ष 2023-24 के दौरान विस्तृत उपयोग का विवरण निम्न है:-

(i) पूरक ₹ 69.84 करोड़ की अनुदान राशि अप्रयुक्त रही

अनुदान खाते के अनुसार, यह पाया गया कि अनुदान संख्या 85 एमएच 5002-03 (दतमत्त) के अंतर्गत दो योजना मदों में दी गई ₹ 69.84 करोड़ की संपूर्ण पूरक अनुदान राशि अप्रयुक्त रही। पूरक अनुदान राशि के 100 *प्रतिशत* से अधिक की बचत का विवरण निम्नलिखित है:

तालिका 2.10: अप्रयुक्त रहे पूरक अनुदान जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना शीर्ष	योजना शीर्ष का नाम	बीई	पूरक	संस्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	बचत	बचत के % से संस्वीकृत बजट	बचत(-) के % से पूरक अनुदान
1	4200	उत्पादन इकाइयों सहित कार्यशालाएँ	4,600.45	0.01	4,600.46	4,508.85	-91.61	-1.99	>100.00
2	6100	सरकारी उपक्रमों में निवेश	34,353.55	69.83	34,423.38	31,909.37	-2,514.01	-7.30	>100.00
	कुल		**38,954.00**	**69.84**	**39,023.84**	**36,418.22**	**2,605.62**	**-6.68**	**>100**

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

2.6 निर्धारित सीमा से अधिक की बचत/अतिरिक्त राशि

वर्ष 2023-24 के दौरान बजट संबंधी त्रुटियों के कारण पूर्व निर्धारित सीमा[30] से अधिक बचत/अतिरिक्त खर्च के कई मामले सामने आए। रेल मंत्रालय के लिए बजट संबंधी त्रुटियों के मामलों का सारांश निम्नलिखित है:

[30] भारतीय रेलवे वित्तीय संहिता (खंड-1) के अनुच्छेद 409 और 410 में अनुमेय परिवर्तनों की सीमा 10 प्रतिशत या ₹250 लाख, जो भी अधिक हो, निर्धारित की गई है।

तालिका 2.11: विभिन्न अनुदानों (दतमत्त) के अंतर्गत अधिशेष/बचत 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	मामलों की संख्या	अतिरिक्त राशि	मामलों की संख्या	बचत राशि
1	3001	0	0	5	739.68
2	3002-03(01)	5	189.52	3	196.63
3	3002-03(02)	4	1,676.87	3	104.71
4	3002-03(03)	3	1,077.52	1	28.67
5	3002-03(04)	5	3,249.30	2	60.30
6	3002-03(05)	5	862.70	3	66.49
7	3002-03(06)	5	2,149.82	2	635.34
8	3002-03(07)	4	1,107.95	2	7,028.84
9	3002-03(08)	1	803.70	1	344.01
10	3002-03(09)	2	515.19	3	101.90
11	3002-03(10)	4	956.38	2	130.18
12	3002-03(11)	1	41.61	7	3,697.21
13	5002-03	8	15,678.26	18	26,004.39
कुल मामले		**47**	**28,308.82**	**52**	**39,138.35**
कुल मामले		**99**	**67,447.17**		

स्रोत: रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे

तालिका 2.12: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत अधिशेष/बचत (प्रभारित) वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होने के दौरान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	मामलों की संख्या	अतिरिक्त राशि	मामलों की संख्या	बचत राशि
1	3002-03(05)	-	-	1	9.88
2	3002-03(07)	1	28.86	-	-
3	3002-03(09)	1	3.92	-	-
4	3002-03(10)	-	-	1	25.57
5	5002-03	-	-	1	6.33
कुल मामले		**2**	**32.78**	**3**	**41.78**
सकल कुल मामले		**5**	**74.56**		

क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर, वर्ष 2023-24 के दौरान बजट में त्रुटियों के कारण निर्धारित सीमा[31] से अधिक बचत/अधिक खर्च के कई मामले सामने आए। मध्य रेलवे (10 मामले), पूर्वी रेलवे (13 मामले), पूर्वी तट रेलवे (27 मामले), पूर्वी मध्य रेलवे (108 मामले), उत्तर मध्य रेलवे (82 मामले), उत्तर पूर्वी रेलवे (14 मामले), पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (85 मामले), उत्तरी रेलवे (77 मामले), उत्तर पश्चिमी रेलवे (6 मामले), दक्षिणी रेलवे (14 मामले), दक्षिण पूर्वी रेलवे (22 मामले), दक्षिण मध्य रेलवे (8 मामले), दक्षिण पश्चिमी रेलवे (14 मामले), पश्चिम मध्य रेलवे (2 मामले) और पश्चिमी रेलवे (11) में बजट में गंभीर खामियां पाई गईं। बजट में ऐसी सभी गंभीर त्रुटियों के उदाहरण अनुलग्नक-2.2 में दिए गए हैं।

रेल मंत्रालय को अपनी बजट प्रक्रिया पर व्यापक पुनर्विचार करने और अनुमानों को अधिक यथार्थवादी बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए निधियों का पूर्ण उपयोग हो। मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 13, 2023 में भी इसी प्रकार की आपत्तियां उठाई गई। रेल मंत्रालय ने ए. टी. एन. में कहा था कि बचत/अतिरिक्त व्यय की ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में स्थिति की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाएगी।

2.7 व्यय का गलत वर्गीकरण

व्यय के वर्गीकरण में गड़बड़ी और अन्य लेखांकन संबंधी त्रुटियाँ देखी गईं। इनमें राजस्व अनुदान से पूंजी अनुदान और इसके विपरीत तथा दतमत्त से प्रभारित और इसके विपरीत व्यय का वर्गीकरण शामिल था। राजस्व अनुदान के उप-प्रमुख मदों और पूंजी अनुदान के अंतर्गत रेलवे निधियों के बीच व्यय के वर्गीकरण में गड़बड़ी के मामले भी सामने आए। 2023-24 के दौरान क्षेत्रीय रेलवे के लेखाओं में व्यय के वर्गीकरण में गड़बड़ी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

---

[31] *भारतीय रेलवे वित्तीय संहिता (खंड-1) के अनुच्छेद 409 और 410 में अनुमेय परिवर्तनों की सीमा 10 प्रतिशत या ₹250 लाख, जो भी अधिक हो, निर्धारित की गई है।*

2.7.1 राजस्व और पूंजी अनुदान के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण

निम्नलिखित मामलों में व्यय का गलत वर्गीकरण शामिल है, जहां व्यय को गलती से पूंजी अनुदान के बजाय राजस्व अनुदान में दर्ज किया गया और इसके विपरीत भी दर्ज किया गया।

तालिका 2.13: राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
1	पू.सी.रे.	एसबीपी-वाराणसी द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस के फ्लैगिंग से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आकस्मिक व्यय के रूप में दर्ज किया गया।	5002-03	3002-03	6,19,500
2	उ.म.रे.	राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	3002-03	5002-03	1,40,000
3	उ.रे.	यात्री सुविधाओं के लिए किए गए ₹ 6,70,03,503 के व्यय का गलत वर्गीकरण किया गया, जिसे अनुदान संख्या 85-एमएच 5002-03-पूंजीगत-यात्री सुविधाएं (21-5300-27) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(02) के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया।	3002-03	5002-03	6,70,03,503
4	उ.रे.	विज्ञापन की लागत के रूप में ₹ 82,045 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(04) (06-0130-21) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 5002-03-आरआरएसके (29-4175-04)	5002-03	3002-03	82,045

क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
		के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया।			
5	आरपीयू	"लिफ्टिंग टकल असेंबली" की पहली बार खरीद पर व्यय की गलत प्रविष्टि, जिसके लिए विस्तृत अनुमान आरआरएसके के अंतर्गत संस्वीकृत किया गया, जिसे अनुदान संख्या 16_आरआरएसके (4100) के बजाय अनुदान संख्या 07 के अंतगत दर्ज किया गया।	3002-03	5002-03	17,52,300
6	आरपीयू	राजस्व अनुदान संख्या 7 के अंतर्गत अनुमान को संस्वीकृत किए जाने के बावजूद, अनुदान संख्या 7 के बजाय अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत कार किराए के शुल्क की अनियमित प्रविष्टि।	5002-03	3002-03	74,17,987
7	द.म.रे.	जीएनटी में जल आपूर्ति व्यवस्था को बढ़ाने के लिए किए गए व्यय को राजस्व के बजाय पूंजीगत मद में गलत तरीके से दर्ज किया गया।	5002-03	3002-03	21,90,728
8	द.म.रे.	भारतीय रेलवे समय सारिणी सम्मेलन (आईआरटीटीसी) के संबंध में किए गए व्यय की अनियमित प्रविष्टि राजस्व के बजाय पूंजी में की गई।	5002-03	3002-03	18,15,926
9	द.म.रे.	विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोहों पर किए गए व्यय को राजस्व के बजाय पूंजीगत मद में गलत तरीके से दर्ज किया गया।	5002-03	3002-03	43,75,544

क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
10	द.म.रे.	सीएफओ के शुल्क बिलों के नवीनीकरण पर किया गया व्यय राजस्व के बजाय पूंजीगत मद में गलत तरीके से दर्ज कर लिया गया।	5002-03	3002-03	10,70,000
11	द.म.रे.	एबीएसएस कार्यक्रम के लिए 50 एमबीपीएस कनेक्शन से संबंधित व्यय को गलती से पूंजीगत विभाग के बजाय राजस्व विभाग में दर्ज कर लिया गया।	3002-03	5002-03	2,31,898
12	द.रे.	₹ 40,85,952 के व्यय का गलत वर्गीकरण, जिसे कार्य अनुदान के बजाय राजस्व अनुदान में दर्ज किया गया - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/कार्यशाला के कारीगर कर्मचारियों को भुगतान की गई मजदूरी को राजस्व अनुदान में दर्ज करना	3002-03	5002-03	40,85,952
13	द.प.रे.	एसएमवीबी टर्मिनल के लिए आवश्यक मदों पर राजस्व व्यय को बीवाईपीएल- एच एसआरए डीएल परियोजना को आवंटित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ है।	5002-03	3002-03	23,58,011
14	द.प.रे.	फर्नीचर, फिटिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की खरीद पर किए गए व्यय को पूंजीगत मद के	3002-03	5002-03	21,63,361

क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
		बजाय राजस्व मद में दर्ज किया गया।			
15	द.प.रे.	सीओएफ़एमओडबल्यू द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार के लिए जमा की गई राशि को पूंजी मद (एम एवं पी मद) के बजाय राजस्व मद में प्रभारित किया गया।	3002-03	5002-03	89,27,570
		राशि सहित कुल मामलों की संख्या	**15**		**10,36,14,825**

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2023-24 के लिए अनुलग्नक 'जे'

2.7.2 दत्तमत्त और प्रभारित के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

निम्नलिखित मामलों में व्यय का गलत वर्गीकरण शामिल है, जहां व्यय को प्रभारित के बजाय दतमत्त अनुदान में गलत तरीके से दर्ज किया गया और इसके विपरीत भी।

तालिका 2.14: दत्तमत्त और प्रभारित के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
1	म.रे.	सहायक वाणिज्य प्रबंधक (दावे) ने पत्र संख्या सी.191/सी 16/ स्टोर /53/1 दिनांक 30.08.2023 के माध्यम से एफ़ए एवं सीएओ (व्यय) कार्यालय से भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में ₹ 9,000 के सेवा डाक टिकटों की खरीद के लिए एनईएफ़टी भुगतान की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिसका	प्रभारित	दतमत्त	9,000

क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
		सीओ6 क्रमांक 01010123004634 दिनांक 01.09.2023 (सीओ7 क्रमांक 01010123701071 दिनांक 01.09.2023 के माध्यम से पारित) था। इसे आवंटन संख्या 12021518 के अंतर्गत प्रभारित व्यय के रूप में दर्ज किया गया, न कि दतमत्त व्यय के अंतर्गत।			
2	पू.सी.रे.	मध्यस्थता शुल्क को दतमत्त व्यय के बजाय उपार्जित व्यय के रूप में दर्ज किया गया	प्रभारित	दतमत्त	25,66,477
3	उ.रे.	मध्यस्थता पुरस्कार पर व्यय के रूप में ₹ 11,26,562 की राशि के व्यय का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच दतमत्त के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच प्रभारित के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया गया।	दतमत्त	प्रभारित	11,26,562
4	उ.म.रे.	दतमत्त और प्रभारित के बीच गलत वर्गीकरण	दतमत्त	प्रभारित	55,73,727
5	उ.म.रे.	दतमत्त और प्रभारित के बीच गलत वर्गीकरण	दतमत्त	प्रभारित	7,52,669
6	आरपीयू	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुदान संख्या 16 (आरक्षित) के बजाय अनुदान संख्या 16 (दतमत्त) के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिग्रहण दावे के मामले की गलत प्रविष्टि।	प्रभारित	दतमत्त	1,97,17,545

क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
7	आरपीयू	मध्यस्थता पुरस्कार और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के पुरस्कार की गलत प्रविष्टि अनुदान संख्या 16 (दतमत्त) के अंतर्गत अनुदान संख्या 16 (प्रभारित) के बजाय।	दतमत्त	प्रभारित	1,10,94,789
8	द.म.रे.	किसी फर्म द्वारा किए गए सामान्य दावे को राजस्व व्यय के बजाय एसएमएच 01 के अंतर्गत प्रभारित व्यय के रूप में दर्ज किया गया।	प्रभारित	दतमत्त	1,62,305
9	द.म.रे.	अदालत के आदेशों पर कर्मचारी को भुगतान की गई राशि को प्रभारित व्यय के बजाय एसएमएच 01 के अंतर्गत दतमत्त व्यय के रूप में दर्ज किया गया।	दतमत्त	प्रभारित	59,513
10	द.रे.	प्रभारित व्यय के बजाय दतमत्त में व्यय की प्रविष्टि के कारण गलत वर्गीकरण - दक्षिणी रेलवे द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 8092/2023 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार टीएएनजीईडीसीओ को किया गया भुगतान प्रभारित व्यय के बजाय दतमत्त के अंतर्गत दर्ज किया गया।	दतमत्त	प्रभारित	16,78,20,000
11	द.रे.	दतमत्त में व्यय दर्ज करने के कारण गलत वर्गीकरण -	दतमत्त	प्रभारित	42,510

क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
		अदालत के आदेश के आधार पर यात्री को मानसिक पीड़ा के लिए किए गए खर्च और मुआवजे को दतमत्त में दर्ज किया गया, जबकि इसे प्रभारित व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।			
12	द.रे.	दतमत्त व्यय के बजाय प्रभारित व्यय में व्यय की प्रविष्टि के कारण गलत वर्गीकरण - मध्यस्थों को भुगतान किए गए शुल्क और पारिश्रमिक को मांग संख्या 12-322-99 के अंतर्गत प्रभारित व्यय के रूप में दर्ज किया गया, जबकि इसे 03-164 के अंतर्गत दतमत्त व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था।	प्रभारित	दतमत्त	1,31,569
13	द.रे.	उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के मामले (सीसी 6/2019) में आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करने के लिए शुल्क को दतमत्त व्यय के बजाय प्रभारित व्यय के रूप में दर्ज करने के कारण गलत वर्गीकरण।	प्रभारित	दतमत्त	40,000
14	द.प.रे.	अदालत में जमा की गई मध्यस्थता पुरस्कार राशि और भुगतान किए गए मुआवजे के दावों के भुगतान से संबंधित व्यय को प्रभारित व्यय के विरुद्ध दतमत्त के अंतर्गत दर्ज किया गया।	दतमत्त	प्रभारित	18,92,293

क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
15	प.म.रे.	रामगंजमंडी-भोपाल नई रेलवे लाइन परियोजना में न्यायालय के फैसले के अनुसार भूमि मालिकों को भूमि मुआवजे के भुगतान के संबंध में।	दतमत्त	प्रभारित	89,20,323
		राशि सहित कुल मामलों की संख्या	**15**		**21,99,09,282**

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2023-24 के लिए अनुलग्नक 'जे'

2.7.3 राजस्व अनुदान के उप-प्रमुख शीर्षों के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण

निम्नलिखित मामलों में राजस्व अनुदान (3002-03) के उप प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण शामिल है।

तालिका 2.15: राजस्व अनुदान के अंतर्गत व्यय के गलत वर्गीकरण के विविध मामले (उप मुख्य शीर्ष से उप मुख्य शीर्ष तक)

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
1	उ.रे.	वरिष्ठ डीएमई/सी एंड डब्ल्यू/एमबी स्टाफ के प्रशिक्षण अवधि के दौरान कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन और भत्तों के रूप में ₹ 2,88,276 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(10) के बजाय अनुदान संख्या	3002-03(04)	3002-03(10)	2,88,276

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
		85 एमएच 3002-03(04) में गलत प्रविष्टि की गई।			
2	उ.रे.	वरिष्ठ डीएमई/ओ एंड एफ/एमबी के अंतर्गत प्रशिक्षण अवधि के दौरान कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन और भत्ते के रूप में ₹ 15,51,565 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(06) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(10) में गलत प्रविष्टि की गई।	3002-03(06)	3002-03(10)	15,51,565
3	उ.रे.	सीनियर एसएसई/सी एंड डब्ल्यू/एमबी के प्रशिक्षण अवधि के दौरान कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन और भत्तों के रूप में ₹ 20,20,285 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(10) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(04) में गलत प्रविष्टि की गई थी।	3002-03(04)	3002-03(10)	20,20,285
4	उ.रे.	दुर्घटना के दौरान एआरटी/बीडी क्रेन कर्मचारियों को भुगतान किए गए आहार शुल्क की	3002-03(10)	3002-03(07)	14,525

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
		लागत के लिए ₹14,525 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(07) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(10) में गलत प्रविष्टि की गई थी।			
5	उ.रे.	प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर किए गए ₹ 85,15,000 के व्यय का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(04) के बजाय अनुदान संख्या 85एमएच 3002-03(10) के अंतर्गत गलत प्रविष्टि की गई थी।	3002-03(04)	3002-03(10)	85,15,000
6	उ.रे.	प्रशिक्षुओं को भुगतान किए गए वजीफे के रूप में ₹ 3,17,988 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(07) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(10) में गलत प्रविष्टि की गई थी।	3002-03(07)	3002-03(10)	3,17,988
7	उ.रे.	प्रशिक्षुओं को भुगतान किए गए वजीफे के रूप में ₹ 69,704 की व्यय राशि	3002-03(04)	3002-03(10)	69,704

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
		का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एम एच 3002-03(10) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(04) में गलत प्रविष्टि की गई थी।			
8	उ.रे.	प्रशिक्षुओं को भुगतान किए गए वजीफे के रूप में ₹ 4,56,047 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एम एच 3002-03(07) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(10) में गलत प्रविष्टि की गई थी।	3002-03(07)	3002-03(10)	4,56,047
9	उ.रे.	प्रशिक्षु को भुगतान किए गए वेतन एवं भत्ते तथा वजीफे के रूप में ₹ 1,33,906 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एम एच 3002-03(10) के बजाय अनुदान संख्या 85 एम एच 3002-03(07) में गलत प्रविष्टि की गई थी।	3002-03(07)	3002-03(10).	1,33,906
10	उ.रे.	प्रशिक्षु को भुगतान किए गए वेतन और भत्ते और वजीफे के रूप में ₹ 2,48,663 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच	3002-03(07)	3002-03(10)	2,48,663

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
		3002-03(10) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(07) में गलत प्रविष्टि की गई थी।			
11	उ.रे.	प्रशिक्षण लागत के लिए ₹ 27,00,000 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एम एच 3002-03(10) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(02) में गलत प्रविष्टि की गई थी।	3002-03(02)	3002-03(10)	27,00,000
12	उ.रे.	140 टन डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन (बीडी) के रखरखाव के लिए ₹ 4,37,793 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(05) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(06) में गलत प्रविष्टि की गई थी।	3002-03(06)	3002-03(05)	4,37,793
13	उ.रे.	वरिष्ठ डीएमई/ओ एंड एफ/एफजेडआर के अधीन कार्यरत मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के वेतन और भत्ते के लिए ₹ 19,22,646 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच	3002-03(07)	3002-03(06)	19,22,646

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
		3002-03(06) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(07) में गलत प्रविष्टि की गई थी।			
14	उ.रे.	लोकोमोटिव की मरम्मत और रखरखाव की लागत के रूप में ₹ 35,384 के व्यय का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(03) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(04) में गलत प्रविष्टि की गई थी।	3002-03(04)	3002-03(03)	35,384
15	उ.रे.	विद्युत विभाग के विज्ञापन की लागत के रूप में ₹ 3,24,873 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एम एच 3002-03(04) के बजाय अनुदान संख्या 85 एम एच 3002-03(05) में गलत प्रविष्टि की गई थी।	3002-03(05)	3002-03(04)	3,24,873
16	उ.रे.	लिनन की लागत के लिए ₹ 27,974 की व्यय राशि का गलत वर्गीकरण अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03-(04) के बजाय अनुदान संख्या 85 एमएच 3002-03(06) (08-0591-33) के अंतर्गत गलत प्रविष्टि की गई थी।	3002-03-(04)	3002-03(06)	27,974

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
17	उ.प.रे.	₹ 15,850 का मनोरंजन व्यय अनुदान 12 (उप मुख्य शीर्ष -10) के बजाय अनुदान 03 (उप मुख्य शीर्ष -01) को आवंटित किया गया है।	3002-03 (01)	3002-03 (10)	15,850
18	उ.प.रे.	रेलवे प्रशासन ने बिल यूनिट- 3302179 के जे- सिग्नल एवं टेलीकॉम प्रशिक्षु के वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹ 9,06,056 की राशि को अनुदान संख्या 07 (उप मुख्य शीर्ष -05) के विस्तृत शीर्ष 121 में प्रविष्टि कर की गई, जबकि इसे अनुदान संख्या 12 (उप मुख्य शीर्ष -10) के विस्तृत शीर्ष 512 में प्रविष्टि की जानी चाहिए थी। यह राजस्व अनुदानों का गलत वर्गीकरण है।	3002-03 (05)	3002-03 (10)	9,06,056
19	उ.प.रे.	रेलवे प्रशासन ने जयपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के नकद अग्रिम के रूप में देय ₹41,780 की राशि को अनुदान संख्या 03 (उप मुख्य शीर्ष -01) के विस्तृत शीर्ष 923 के बजाय अनुदान संख्या 09 (उप मुख्य शीर्ष -07) के	3002-03 (07)	3002-03 (01)	41,780

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
		विस्तृत शीर्ष 121 में प्रविष्टि कर ली गई, यह अनुदान 03 (उप मुख्य शीर्ष -01) और अनुदान 09 (उप मुख्य शीर्ष -07) के बीच गलत वर्गीकरण है।			
20	उ.प.रे.	अनुदान 12 (उप मुख्य शीर्ष -10) के विस्तृत शीर्ष 710 में मनोरंजन व्यय के लेखांकन का प्रावधान है। हालांकि, मनोरंजन व्यय के रूप में '12-710' के बजाय '06-130' को ₹ 7,000 आवंटित किए जाते हैं। यह अनुदान संख्या 12 (उप मुख्य शीर्ष -10) और 06 (उप मुख्य शीर्ष -04) के बीच गलत वर्गीकरण है।	3002-03 (04)	3002-03 (10)	7,000
21	आरपीयू	मेट्रो रेलवे अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक (प्रशिक्षण)/यातायात के वेतन एवं भत्तों को अनुदान संख्या 12 के बजाय अनुदान संख्या 07 के अंतर्गत गलत प्रविष्टि की गई।	3002-03-(05)	3002-03-(10)	19,72,916
22	आरपीयू	प्रशिक्षु जूनियर इंजीनियरों के वेतन और भत्तों का अनुदान संख्या 12 के	3002-03-(05)	3002-03-(10)	25,98,482

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
		बजाय अनुदान संख्या 07 के अंतर्गत गलत प्रविष्टि की गई।			
23	द.रे.	राजस्व अनुदान के अंतर्गत डेबिट का विलंबित समायोजन - 2022-23 से संबंधित स्थायी समिति की अध्ययन दौरे से संबंधित व्यय, जिसे 2023-24 के दौरान प्रविष्टि की गई थी।	3002-03-(01)	3002-03-(01)	3,41,242
24	द.रे.	राजस्व अनुदान के अंतर्गत गलत प्रविष्टि की गई- एसएमएच-10 के बजाय एसएमएच-11 के अंतर्गत प्रविष्टि किए गए डब्ल्यूसीए बिलों का भुगतान	3002-03-(11)	3002-03-(10)	1,14,367
25	द.रे.	राजस्व अनुदान के अंतर्गत गलत प्रविष्टि की गई- स्टाफ कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्ते एसएमएच-09 के बजाय एसएमएच-10 के अंतर्गत प्रविष्टि किए गए।	3002-03-(10)	3002-03-(9)	20,00,216
26	द.रे.	राजस्व अनुदान के अंतर्गत गलत प्रविष्टि की गई- प्रशिक्षु कनिष्ठ अभियंताओं को भुगतान किए गए वजीफे की एसएमएच-10 के बजाय	3002-03-(05)	3002-03-(10)	27,07,180

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
		एसएम एच-05 में गलत प्रविष्टि की गई।			
27	प.रे.	सांविधिक लेखापरीक्षा लागत में विसंगति पाई गई। लेखापरीक्षा व्यय के आंकड़ों में गलती से एनपीएस (सरकारी अंशदान) की राशि शामिल कर ली गई थी। भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2022 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एनपीएस में सरकार का अंशदान पेंशन प्रभार का हिस्सा है। इसके अलावा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र 2024-25 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एनपीएस में सरकार का योगदान पेंशन प्रभार का हिस्सा है। इस संदर्भ में, यह अनुरोध किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मांग संख्या 2 के बजाय पेंशन प्रभार के अंतर्गत एनपीएस राशि को संशोधित और दर्ज किया जाए।	3001 (02)	3002-03-(11)	84,84,567

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
		राशि सहित मामलों की कुल संख्या	**27**		**3,82,54,285**

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2023-24 के अनुलग्नक 'जे'

2.7.4 पूंजी अनुदान के अंतर्गत रेलवे निधियों के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण

निम्नलिखित मामलों में पूंजी अनुदान (5002-03) के अंतर्गत रेलवे निधियों के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण पाया गया है।

तालिका 2.16: पूंजी अनुदान 5002-03 (रेलवे निधि के बीच) के अंतर्गत व्यय के गलत वर्गीकरण के विविध मामले

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
1	सीएलडब्ल्यू	स्टोरों का भंडारण सत्यापन- वर्ष 2023-24 के दौरान समायोजित राशि	5002-03-7100	5002-03-7200	3,52,19,000
2	पू.त.रे.	रेल विहार कॉलोनी स्थित फुलवारी स्कूल के सुधार और नवीनीकरण से संबंधित व्यय को विकास निधि के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय पूंजीगत व्यय के अंतगत आकस्मिक व्यय के रूप में दर्ज किया गया।	5002-03-20 (पूंजी)	5002-03-23 (डीऍफ़)	37,71,293
3	उ.प.रे.	अनुदान 16 (मुख्य शीर्ष - 5002) का विस्तृत शीर्ष 1644 यातायात सुविधाओं से संबंधित कार्य के संबंध में गिट्टी आपूर्ति पर व्यय के लेखांकन के लिए	5002-03-20-1600	5002-03-20-1644	21,42,009

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
		निर्धारित किया गया है। हालांकि गिट्टी आपूर्ति से संबंधित ₹ 21,42,009 को अनुदान संख्या 16 (मुख्य शीर्ष - 5002) के 1644 के बजाय विस्तृत शीर्ष 1662 में आवंटित किया गया।			
4	उ.प.रे.	अनुदान 16 (मुख्य शीर्ष - 5002) का विस्तृत शीर्ष 3144 ट्रैक नवीनीकरण से संबंधित कार्य के संबंध में गिट्टी आपूर्ति पर व्यय के लेखांकन के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि गिट्टी आपूर्ति से संबंधित ₹ 36,94,831 को अनुदान संख्या 16 (मुख्य शीर्ष - 5002) के 3144 के बजाय विस्तृत शीर्ष 3141 में आवंटित किया गया। अतः, गिट्टी की आपूर्ति से संबंधित ₹ 58,36,840 का कुल व्यय गलत वर्गीकृत किया गया।	5002-03-26-3141	5002-03-26-3144	36,94,831
5	उ.प.रे.	अनुदान 16 (मुख्य शीर्ष - 5002) का विस्तृत शीर्ष 6546 खेल और खेलों से संबंधित व्यय के लेखांकन के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि, रेलवे	5002-03-20-1100	5002-03-20-6500	59,800

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
		प्रशासन ने उसी कार्य से संबंधित सीओ6 संख्या 33090223001076 दिनांक 25/09/2023 के माध्यम से ₹ 59,800 की राशि अनुदान संख्या 16 (मुख्य शीर्ष -5002) के 6546 के बजाय विस्तृत शीर्ष 1162 के अंतर्गत दर्ज की है। यह योजना शीर्ष 1100 और 6500 के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण है।			
6	आरपीयू	एएफसी-पीसी प्रणाली हेतु ईसीयू की लागत को डीआरएफ के बजाय आरआरएसके के अंतर्गत गलत दर्ज किया गया।	5002-03-29-5300	5002-03-21-5300	1,71,31,482
7	आरपीयू	मेट्रो रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर एयर वेंटिलेशन, एयर वॉशरी तथा मिड-पॉइंट शाफ्ट के संपूर्ण नवीनीकरण की लागत को गलत डीएफ (योजना मद 53) के बजाय पूंजी (योजना मद 42) के अंतर्गत दर्ज किया गया, जबकि मूल अनुमान डीएफ के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था।	5002-03-20-4200	5002-03-(डीऍफ़) -5300	69,69,188

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
8	आरपीयू	एएसकेए वाटर मिस्ट पर आरआईटीईईएस से संबंधित निरीक्षण बिल को डीएफ/आरआरएसके के अंतर्गत दर्ज किए जाने के स्थान पर त्रुटिवश पूंजी के अंतर्गत गलत दर्ज कर दिया गया|	5002-03-20-8100	5002-03-23/29-8100	2,61,473
9	आरपीयू	वर्ष 2023-24 में ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के संबंध में पूंजी से आरआरएसके/आरएसएफ को जारी किए गए 60 किलोग्राम रेल की लागत का समायोजन न करना; जिसके परिणामस्वरूप पूंजी का अधिक आकलन और फलस्वरूप आरआरएसके/आरएसएफ का कम आकलन हुआ, अनुदान संख्या 16 (पूंजी) के अंतर्गत लेखांकन में गलती थी।	5002-03-20-8100	5002-03-29/26-3100	5,77,61,782
10	द.रे.	निर्माणकार्य अनुदान के अंतर्गत निधि के विभिन्न स्रोतों में गलत प्रविष्टि - सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के लिए पूंजी में ऋण का समायोजन न किया जाना।	5002-03 - 20	5002-03 - 21	3,05,33,49,342

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में दर्ज किया गया	दर्ज किया जाना चाहिए था	राशि (₹ में)
11	द.रे.	निर्माणाकार्य अनुदान के अंतर्गत निधि के विभिन्न स्रोतों में गलत प्रविष्टि - पेरम्बूर रेलवे अस्पताल के लिए एचएमआईएस की प्रविष्टि योजना मद 17 (पूंजी) के बजाय योजना मद 51 (डीएफ-II) के अंतर्गत गलत प्रविष्टि की गई।	5002-03-23-5100	5002-03-20-1700	18,78,831
12	द.रे.	निर्माणाकार्य अनुदान में गलत योजना शीर्ष/कार्य के अंतर्गत प्रविष्टि - एस एंड टी प्रशिक्षण केंद्र/पीटीजे से संबंधित कार्य की लागत, योजना शीर्ष 65 के स्थान पर सिग्नल कार्य (योजना शीर्ष 33) में प्रविष्टि की गई।	5002-03-3300	5002-03-6500	78,29,728
13	द.रे.	निर्माणाकार्य अनुदान में गलत योजना शीर्ष/कार्य के अंतर्गत प्रविष्टि - कार्य कोड 30182 के स्थान पर कार्य कोड 30224 के अंतर्गत व्यय की गलत प्रविष्टि की गई।	5002-03 डब्ल्यूसी: 30224	5002-03 डब्ल्यूसी: 30182	33,23,000
		राशि सहित मामलों की कुल संख्या	**13**		**3,19,33,91,759**

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2023-24 के अनुलग्नक 'जे' से।

2.7.5 राजस्व अनुदान 3002-03 और आय के अंतर्गत व्यय के गलत वर्गीकरण के विविध मामले

निम्नलिखित मामलों में राजस्व अनुदान और आय के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण शामिल है।

तालिका 2.17: राजस्व अनुदान 3002-03 और आय के अंतर्गत व्यय के गलत वर्गीकरण के विविध मामले

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
1	आरपीयू	कंडेम्ड सी.आई. बेयरिंग प्लेट, पी-वे फिटिंग्स तथा कंडेम्ड एक्सएलपीई केबलों की बिक्री से प्राप्त आय को पूंजीगत आय (पूंजीगत लेखे पर प्राप्ति अर्थात आरओसीए) के स्थान पर राजस्व आय (विविध अन्य आय–93-500) के अंतर्गत अनियमित रूप से जमा किया गया।	93-500	5002-03-20-8100	90,24,454
2	द.रे.	रेलटेल से प्राप्त राजस्व हिस्सेदारी, आरसीआईएल को एसएमएच-05 (07-720) -लाइन वायर और ओएफसी रखरखाव प्रभार के अंतर्गत क्रेडिट के रूप में प्रविष्टि की जानी चाहिए थी, न कि आय 93-652 के रूप में प्रविष्टि की जानी चाहिए थी।	3002-03-(05)	आय 93-652	5,17,25,462

क्रम सं.	क्षेत्र	मामले का विवरण	वास्तव में की गई प्रविष्टि	प्रविष्टि की जानी चाहिए थी	राशि (₹ में)
3	द.रे.	आरएमसी यातायात पर माल भाड़ा प्रभार, एसएमएच-10 के बजाय आय में प्रविष्टि किया जाना था।	आय -91	3002-03-(10)	23,98,70,285
		राशि सहित मामलों की कुल संख्या	**3**		**30,06,20,201**

स्रोत: रेल मंत्रालय के वर्ष 2023-24 के अनुलग्नक 'जे' से।

2.8 अस्वीकृत व्यय

भारतीय रेल द्वारा किए गए सभी अनियमित व्यय, जैसे कि स्वीकृत अनुमानों से अधिक व्यय, विस्तृत अनुमानों के बिना किया गया व्यय और विविध अधिक भुगतान आदि, क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा आपत्तिजनक मदों (ओआईबी) की बही में दर्ज किए जाते हैं और इन्हें अस्वीकृत व्यय माना जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय रेल द्वारा 1,999 मामलों में ₹ 9,122.24 करोड़ का अस्वीकृत व्यय किया गया, जो उस वर्ष के कुल व्यय का 1.24 *प्रतिशत* था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान अस्वीकृत व्यय की प्रवृत्ति **चित्र 2.2** से देखी जा सकती है।

अस्वीकृत व्यय में वर्ष 2020-21 तक कमी की प्रवृत्ति देखी गई, किंतु 2020-21 के बाद इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। वर्ष 2023-24 में अस्वीकृत व्यय में 40.69 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। रेलवे को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे व्ययों को न्यूनतम स्तर तक कम किया जाए।

चित्र-2.2 अस्वीकृत व्यय

(₹ करोड़ में)

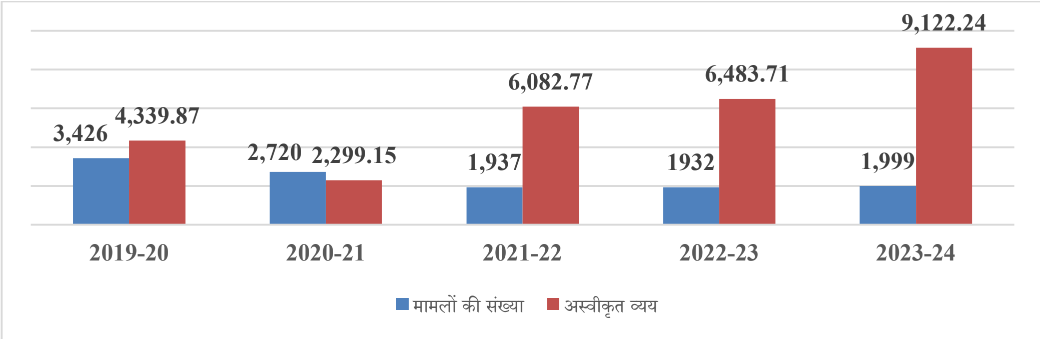

स्रोत: रेल मंत्रालय के अस्वीकृत व्यय विवरण, 2023-24

2.9 निष्कर्ष

विनियोजन लेखे में संसद द्वारा दत्तमत्त अनुदानों तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विनियोजनों की राशि की तुलना वास्तविक व्यय से प्रदर्शित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 114(3) में प्रावधान है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त भारत की संचित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियम 52(3) में यह प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष में संसद द्वारा अधिकृत कुल अनुदान या विनियोजन से अधिक राशि का भुगतान, पूरक अनुदान प्राप्त किए बिना अथवा आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिए बिना, नहीं किया जा सकता।

रेल मंत्रालय (एमओआर) ने वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व अनुदान (एम.एच. 3001, 3002, 3003, 3006, 3075) और एक पूंजी अनुदान (5002-03) के संबंध में स्वीकृत अनुदान[32] ₹ 7,72,401.08 करोड़ के मुकाबले ₹ 7,33,559.81 करोड़ का व्यय किया, जिससे ₹ 38,841.27 करोड़ की शुद्ध बचत दर्ज की गई। अनुदान-वार व्यय के विश्लेषण (अनुलग्नक-2.1) से ज्ञात हुआ कि कि ₹ 38,841.27 करोड़ की शुद्ध बचत, ₹ 51,426.99 करोड़ की बचत के कारण थी, जिसमें राजस्व अनुदान (एम.एच. 3002-03) के दत्तमत्त एवं प्रभारित विनियोजनों[33] के छह खंड तथा पूंजी (एम.एच. 5002-03) के छह (दत्तमत्त) घटक शामिल थे, जिसे

[32] मूल तथा अनुपूरक अनुदानों का योग

[33] विनियोजन से अभिप्राय भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय से है।

₹ 12,585.72 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा समायोजित किया गया, जिसमें राजस्व अनुदान (एम.एच. 3002-03) के दत्तमत्त विनियोजनों के दस खंड तथा प्रभारित विनियोजनों के सात खंड और पूंजी विनियोजन (एम.एच. 5002-03) के दो घटक (स्वीकृत) तथा प्रभारित विनियोजनों के पाँच खंड शामिल थे।

राजस्व अनुदान तथा पूंजी अनुदान में हुई बचत से यह संकेत मिलता है कि जिन मुख्य गतिविधियों (यात्री एवं मालगाड़ियों का परिचालन तथा उनके परिचालन से राजस्व अर्जन), परिसंपत्तियों के सृजन और मूल्यवर्धन के लिए अनुदानों की मांग के माध्यम से निधि मांगी गई थी, वे कार्य अपेक्षित रूप से नहीं किए गए और रेलवे द्वारा वांछित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। साथ ही, स्वीकृत अनुदानों से अधिक ₹ 28,341.60 करोड़ का व्यय किया जाना यह दर्शाता है कि अनधिकृत व्यय किया गया। इसे संसद द्वारा नियमित किया जाना आवश्यक है।

रेल मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले एक पुनरावृत्त होने वाली प्रवृत्ति के रूप में सामने आए। व्यय करने वाली इकाइयों द्वारा व्यय के गलत वर्गीकरण की घटनाओं को रोकने/समाप्त करने के लिए रेल मंत्रालय को गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

वर्तमान वर्ष 2023-24 के दौरान, वर्ष 2022-23 की तुलना में अस्वीकृत व्यय में 40.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.10 अनुशंसाएँ

रेल मंत्रालय को चाहिए कि:

i. व्यय के प्रवाह तथा बजट आवंटन के प्रवाह की नियमित निगरानी के लिए बजट नियंत्रक प्राधिकरणों पर पर्यवेक्षण करें तथा अतिरिक्त निधि की मांग/आवंटित निधि को वापस लेने के लिए त्वरित कार्रवाई करें, ताकि निधियों का इच्छित उद्देश्यों के लिए न्यायसंगत रूप से उपयोग किया जा सके।

ii. व्यय के गलत वर्गीकरण की घटनाओं को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए। प्रमुख नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर अधिक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निवारक दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएँ।

iii. सभी अस्वीकृत व्ययों का प्राथमिकता के आधार पर नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाए।

अध्याय - 3

भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

अध्याय 3	भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

3.1 परिचय

इस अध्याय में वर्ष 2023-24 के लिए रेल मंत्रालय (रेल मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के वित्तीय निष्पादन की सामान्य रूपरेखा सम्मिलित है। भारतीय रेलवे (आईआर) के पीएसई में रेल मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली सरकारी कंपनियां[34] (जिसे इसके बाद रेलवे कंपनियां कहा गया है), रेलवे कंपनियों की सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और विशेष प्रयोजन वाहन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा बढ़ावा दिया गया है या स्वामित्व या नियंत्रित हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित हैं।

3.2 रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें *प्रदत्त* शेयर पूंजी का कम-से-कम 51 *प्रतिशत* केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है, और इसमें वह कंपनी भी सम्मिलित है जो एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

***

[34] *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में एक सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है और इसमें ऐसी कंपनी सम्मिलित होती है जो सरकार की सहायक कंपनी है।*

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 2 (6) एक सहयोगी कंपनी को, किसी अन्य कंपनी के संबंध में, एक कंपनी के रूप में परिभाषित करती है जिसमें उस अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव[35] है लेकिन जो ऐसी प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्‌यम कंपनी भी सम्मिलित है।

31 मार्च 2024 तक, 47 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्‌यम[36] थे जो रेल मंत्रालय **(अनुलग्नक-3.1)** के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत थे और उन्हें रेल मंत्रालय द्‌वारा बढ़ावा दिया गया था। इनमें रेल मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 15 रेलवे कंपनियां, इन रेलवे कंपनियों की 20 सहायक कंपनियां, पांच संयुक्त उद्‌यमों (जेवी) और सात विशेष प्रयोजन सहयोगी कंपनियां (एसपीवी) सम्मिलित थीं, जिन्हें केंद्र सरकार द्‌वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्‌वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया गया था या स्वामित्व या नियंत्रित किया गया था। भारतीय रेलवे के इन सभी पीएसई में प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और स्वतंत्र निदेशकों को रेल मंत्रालय द्‌वारा नियुक्त किया गया है।

---

[35] इस खंड के प्रयोजनों के लिए 'महत्वपूर्ण प्रभाव' का अर्थ है कुल शेयर पूंजी का कम से कम बीस प्रतिशत नियंत्रण, या एक समझौते के अंतर्गत व्यावसायिक निर्णयों का नियंत्रण।

[36] बर्न स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को छोड़कर, जो क्रमशः 22 सितंबर 2022 और 5 जुलाई 2022 को भंग कर दिये गए थे और जिनका नाम कंपनी की पंजिका से काट दिया गया था।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2024 तक भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या

रेलवे सार्वजनिक उद्यम	कार्यशील रेलवे सार्वजनिक उद्यम[37]	अकार्यशील रेलवे सार्वजनिक उद्यम [38]	कुल
रेलवे कंपनियाँ[39]	13	2	15
सहायक कंपनियाँ	20[40]	0	20
संयुक्त उद्यम	5	0	5
विशेष प्रयोजन वाहन	7	0	7
योग	**45**	**2**	**47**

3.2.1 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवेश, लाभप्रदता, लाभांश, शेयर पूंजी आदि का विवरण 2023-24 की अवधि के लिए **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है। 2019-20 से 2023-24 तक कंपनीवार विवरण **अनुलग्नक 3.2 से 3.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय स्थिति

		(₹ करोड़ में)
(1) प्रदत्त पूंजी (इक्विटी)	भारत सरकार	48,959.14
	वित्तीय संस्थान और अन्य	3,544.57
	केन्द्रीय सरकारी कंपनियाँ	3,507.08
	राज्य सरकारें	6,824.21
	राज्य सरकारी कंपनियाँ	390.15
	कुल (1)	**63,225.15**
(2) दीर्घकालिक ऋण	भारत सरकार	2,131.60
	वित्तीय संस्थान और अन्य	4,57,125.58

[37] रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड भी सम्मिलित है, जो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निगमित एक कंपनी है, जो बिना किसी शेयर पूंजी के 'गारंटी द्वारा सीमित कंपनी' 'प्रत्याभूति द्वारा कंपनी लिमिटेड' के रूप में पंजीकृत है।

[38] अकार्यशील रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वे उपक्रम हैं जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है, अर्थात वैगन इंडिया लिमिटेड। एनआरटीयू फाउंडेशन ने अपना परिचालन बंद कर दिया है और जनवरी 2024 से परिसमापन के अधीन है।

[39] रेल मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कंपनियां।

[40] इसमें 5 जनवरी 2023 को निगमित ब्रेथवेट एनसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड (ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी) सम्मिलित है, लेकिन इसमें आईआरसीटीसी की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड सम्मिलित नहीं है, जिसे फरवरी 2024 में सम्मिलित किया गया था। 31 मार्च 2024 तक आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए थे।

	केन्द्रीय सरकारी कंपनियाँ		5794.45
	राज्य सरकारें		0
	राज्य सरकारी कंपनियाँ		0
	कुल (2)		**465051.63**
प्रदत्त पूंजी और दीर्घकालिक ऋणों का कुल	**कुल (1)+ (2)**		**528276.78**
लाभप्रदता	लाभ	35 कंपनियाँ	12837.56
	हानि	10 कंपनियाँ	-100.41
	अकार्यशील	1 कंपनी	-
	कुल		**12737.15**
लाभांश का भुगतान	12 कंपनियाँ		**4616.59**

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित।

उपर्युक्त से, यह देखा जा सकता है कि मार्च 2024 के अंत तक रेलवे पीएसई में इक्विटी और ऋण का निवेश **(अनुलग्नक - 3.2 और 3.3)** ₹ 5,28,276.78 करोड़ था, जिसमें ₹ 63,225.15 करोड़ की प्रदत्त पूंजी और ₹ 4,65,051.63 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित थे।

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) ने रेलवे पीएसई में प्रदत्त पूंजी का ₹48,959.14 करोड़ का योगदान दिया था। रेलवे पीएसई की कुल प्रदत्त पूंजी में वित्तीय संस्थानों का योगदान ₹ 3,544.57 करोड़ और केंद्र सरकार की कंपनियों का योगदान ₹ 3,507.08 करोड़ और राज्य सरकारों / राज्य सरकार की कंपनियों का योगदान ₹ 7,214.36 करोड़ था जैसा कि निम्नलिखित **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.1 मार्च 2024 तक रेलवे पीएसई (प्रतिशत) में प्रदत्त पूंजी का योगदान

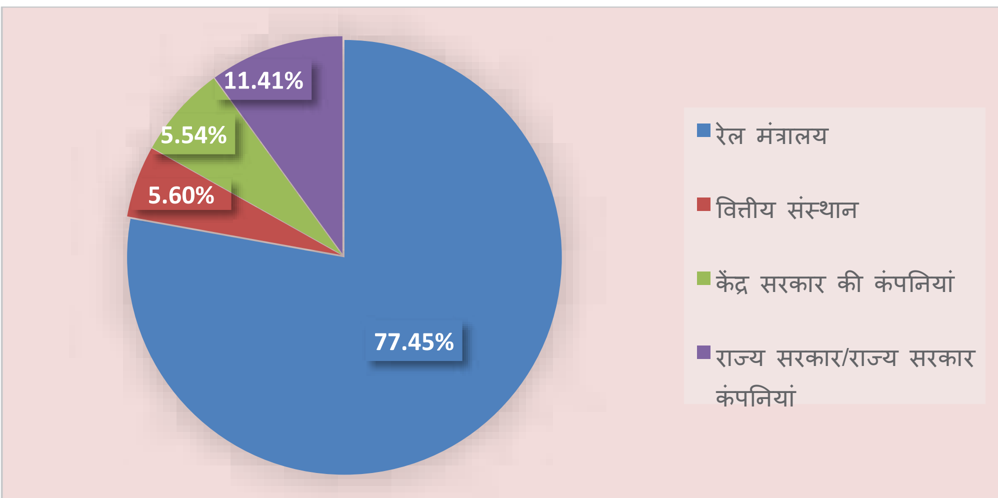

रेलवे पीएसई की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 2019-20 में ₹ 48,289.51 की राशि में ₹ 14,935.64 करोड़ की वृद्धि के साथ 2023-24 में ₹ 63,225.15 करोड़ हो गई थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार और/या राज्य सरकारों द्वारा रेलवे पीएसई में शेयर पूंजी योगदान में वृद्धि के कारण हुई। 2019-20 के बाद से रेलवे पीएसई में भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शेयर पूंजी में महत्वपूर्ण वृद्धि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 7,426 करोड़), कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 2,358.62 करोड़), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 1,652.36 करोड़), इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,188.05 करोड़), कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹502.55 करोड़), हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड (₹ 236.64 करोड़), कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड (₹ 571 करोड़) और अंगुल सुकिंडा रेलवे लिमिटेड (₹ 337.04 करोड़) में हुई थी।

मार्च 2024 तक, कुल दीर्घकालिक ऋण ₹ 4,65,051.63 करोड़ था, जो मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों और अन्य (₹ 4,57,125.58 करोड़) से प्राप्त किया गया था। शेष ऋण भारत सरकार (₹ 2,131.60 करोड़) और केंद्र सरकार की कंपनियों (₹ 5,794.45 करोड़) से प्राप्त किया गया था। वित्तीय संस्थानों और अन्य से लिए गए ऋण मुख्य रूप से आईआरएफसी (₹ 3,99,383.06 करोड़), डीएफसीसीआईएल (₹ 44,095.14 करोड़) और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 2,373.68 करोड़) **(अनुलग्नक-3.3)** में निवेश किए गए थे।

मार्च 2024 तक, रेलवे पीएसई का कुल निवल लाभ ₹ 12,737.15 करोड़ था। लाभ में की स्थिति में वृद्धि पायी गई, जो 2019-20 में ₹ 6,482.28 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 12,737.15 करोड़ हो गई **(अनुलग्नक-3.4)** थी। 19.30 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ यह अवधि में 96.49 *प्रतिशत* की वृद्धि को दर्शाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 45 कार्यशील रेलवे पीएसई में से 35 ने कुल ₹ 12,837.56 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जबकि 10 रेलवे पीएसई को कुल ₹ 100.41 करोड़ की हानि हुई थी।

3.3 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ और भुगतान किया गया लाभांश

पिछले पांच वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक रेलवे पीएसई द्वारा अर्जित लाभ और भुगतान किए गए लाभांश का विवरण **अनुलग्नक-3.4** में दिया गया है।

3.3.1 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लाभप्रदता

कुल 45 कार्यशील रेलवे पीएसई में से, 35 रेलवे पीएसई ने 2023-24 के दौरान लाभ अर्जित किया, जिसमें 10 रेलवे कंपनियां, 14 सहायक कंपनियां, 5 संयुक्त उद्यमों और 6 विशेष प्रयोजन वाहन (**अनुलग्नक-3.4**) सम्मिलित थे।

पिछले पांच वर्षों के दौरान 46 रेलवे पीएसई के लाभ में वृद्धि और उसके सापेक्ष भुगतान किए गए लाभांश को **चित्र 3.1** में दर्शाया गया है।

चित्र 3.1

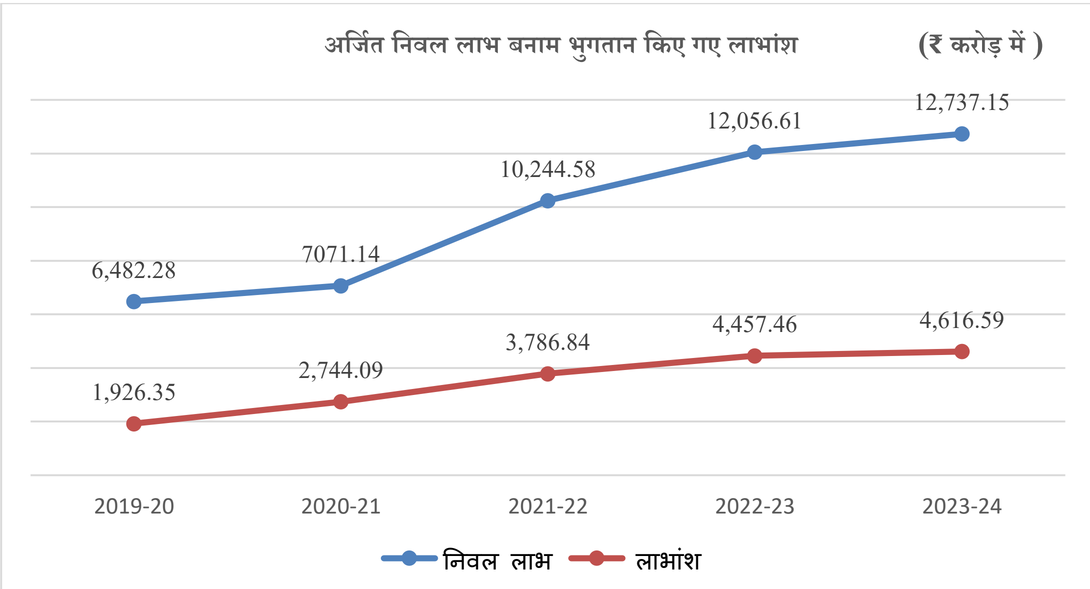

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित

उपर्युक्त चार्ट से, यह देखा जा सकता है कि निवल लाभ[41] 2023-24 में बढ़कर ₹ 12,737.15 करोड़ हो गया था, जो पांच वर्षों में 96.49 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाता

[41] 45 कार्यशील रेलवे पीएसई में से 35 ने कुल ₹ 12,837.56 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जबकि 10 रेलवे पीएसई को कुल ₹ 100.41 करोड़ का घाटा हुआ था।

है और रेलवे पीएसई द्वारा भुगतान किए गए लाभांश में इसी अवधि में 139.65 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान शीर्ष पांच लाभ कमाने वाले रेलवे पीएसई आईआरएफसी (₹ 6,412.10 करोड़), आरवीएनएल (₹ 1,462.95 करोड़), कॉनकोर (₹ 1,230.79 करोड़), आईआरसीटीसी (₹ 1,111.26 करोड़) और इरकॉन (₹ 862.90 करोड़) थे। इन रेलवे पीएसई ने 2023-24 के दौरान कुल ₹ 3,912.47 करोड़ का लाभांश घोषित किया था। **(अनुलग्नक-3.4)**।

पिछले पांच वर्षों 2019-20 से 2023-24 के दौरान सात सूचीबद्ध रेलवे पीएसई ने प्रत्येक वर्ष ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का लाभ अर्जित किया, जैसा कि **तालिका 3.3** में विस्तृत है:

तालिका 3.3: ₹ 100 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने वाले रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

क्र. सं.	रेलवे पीएसई के नाम	अर्जित लाभ *(₹ करोड़ में)*				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	375.78	503.33	1062.34	1,169.08	1,230.79
2.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,692.42	4,416.13	6,089.84	6,337.01	6,412.10
3.	रेल विकास निगम लिमिटेड	789.86	940.55	1,087.35	1,267.97	1,462.95
4.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	513.11	189.90	659.55	1,005.88	1,111.26
5.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	489.79	404.56	544.32	776.83	862.9
6.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	138.35	140.41	208.34	187.38	246.21
7.	राइट्स लिमिटेड	596.39	424.35	497.10	530.54	454.11
	कुल	**6,595.70**	**7,019.23**	**10,148.84**	**11,274.69**	**11,780.32**

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक उद्यम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित

सभी सात सूचीबद्ध रेलवे कंपनियों ने 2019-20 से 2023-24 के दौरान हर वर्ष ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का लाभ अर्जित किया था। वर्ष 2023-24 के दौरान सभी रेलवे पीएसई द्वारा अर्जित कुल शुद्ध लाभ ₹ 12,737.15 करोड़ में से, लाभ का

एक बड़ा हिस्सा, अर्थात, ₹ 11,780.32 करोड़ (92.49 *प्रतिशत*) सात सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अर्जित किया गया था।

2019-20 के बाद के पांच वर्ष की अवधि में, कोंकण रेलवे कंपनी लिमिटेड ने दो वर्षों में ₹ 100 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया (अर्थात, 2022-23 में ₹ 278.93 करोड़ और 2023-2024 में ₹ 301.74 करोड़) था। मुंबई रेल विकास निगम और कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड ने भी 2023-24 में ₹ 100 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया था।

3.3.2 घाटे में चल रहे रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

वर्ष 2023-24 के दौरान, दस रेलवे पीएसई को घाटा हुआ था। घाटे वाली रेलवे पीएसई में चार रेलवे कंपनियां, पांच सहायक कंपनियां और एक एसपीवी सम्मिलित हैं। **(अनुलग्नक-3.4)**।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान अधिक घाटे में चल रही चार रेलवे पीएसई द्वारा उठाई गयी हानि का विवरण **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: अधिक घाटे में रहने वाले रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-90.52	112.45	-16.15	-19.70	-29.58
2.	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-17.18	-21.38	-24.62	-17.17	-7.76
3.	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	-30.83	-14.06	-12.05	-14.34	-6.39
4.	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	0.28	0.70	0.53	0.44	-48.48

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन), एक सूचीबद्ध नवरत्न कंपनी की दो सहायक कंपनियां अर्थात, इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड और इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ने पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान लगातार नुकसान उठाया था।

डीएफसीसीआईएल एक ऋण-आधारित कंपनी है जिसकी गारंटी रेल मंत्रालय द्वारा दी जाती है। पिछले पांच वर्षों में इसे चार वर्षों (अर्थात, 2019-20, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) के दौरान हानि हुई थी। हालांकि 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान डीएफसीसीआईएल के परिचालन[42] से राजस्व में वृद्धि हुई, लेकिन कंपनी का घाटा भी 2021-22 में ₹ 16.15 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 29.58 करोड़ हो गया था।

3.3.3 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान

2019-20 से 2023-24 के दौरान रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ और भुगतान किए गए लाभांश का विवरण **अनुलग्नक-3.4** में दिया गया है।

2023-24 के दौरान, 35 रेलवे पीएसई ने लाभ अर्जित किया (₹ 12,837.56 करोड़) जिसमें से केवल 12 रेलवे पीएसई[43] (7 रेलवे कंपनियां, 2 सहायक कंपनियां, 1 संयुक्त उद्यम और 2 एसपीवी) ने लाभांश (₹ 4,616.59 करोड़) घोषित किया था। इसकी तुलना में, 2022-23 के दौरान 33 रेलवे पीएसई ने ₹ 12,145.98 करोड़ का लाभ अर्जित किया था, जिसमें से 11 रेलवे पीएसई ने लाभांश (₹ 4,457.46 करोड़) घोषित किया था।

3.3.3.1 रेलवे कंपनियों द्वारा लाभांश के भुगतान पर दीपम दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान रेलवे कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ और भुगतान किए गए लाभांश का विवरण **चित्र 3.2** में दर्शाया गया है।

---

[42] डीएफसीसीआईएल के परिचालन से राजस्व; 2023-24- ₹4,484.90 करोड़, 2022-23- ₹3,141.48 करोड़, 2021-22- ₹1,949.15 करोड़, 2020-21- ₹ 289.89 करोड़, 2019-20- शून्य

[43] कॉनकॉर, आईआरसीटीसी, इरकॉन, आईआरएफसी, राइट्स, आरवीएनएल, आरसीआईएल, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, आरईएमसी लिमिटेड, हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड, भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड और सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड।

चित्र 3.2: रेलवे कंपनियों द्वारा अर्जित निवल लाभ और भुगतान किया गया लाभांश

(₹ करोड़ में)

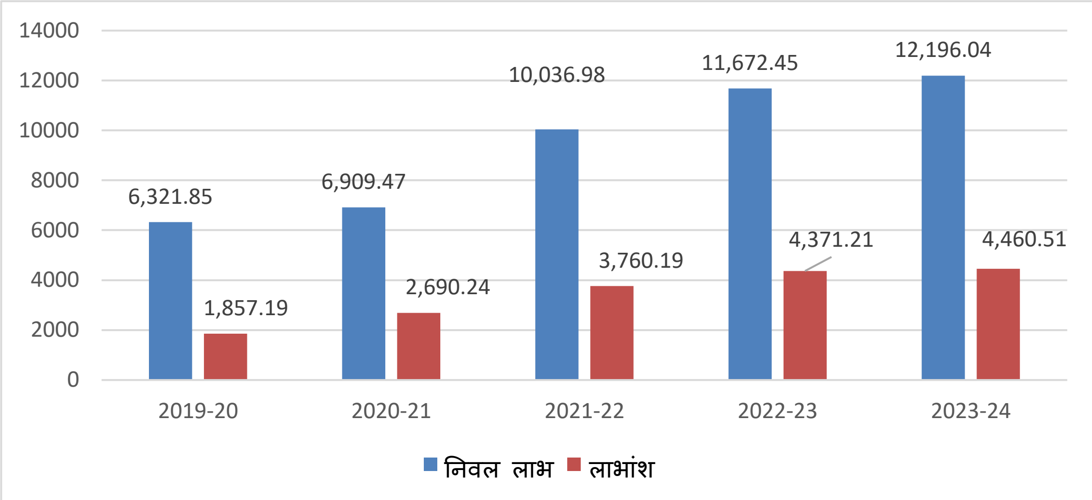

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक उद्यमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने निर्देश जारी किए (मई 2016) कि प्रत्येक सीपीएसई मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन, कर के बाद लाभ के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30 *प्रतिशत* या निवल मूल्य का पांच *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा। 2023-24 में विभिन्न रेलवे कंपनियों द्वारा देय और भुगतान किए गए लाभांश का विवरण **अनुलग्नक-3.5** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) 12 रेलवे कंपनियों को दीपम के उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार लाभांश का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, इनमें से केवल सात रेलवे कंपनियों ने वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान किया था। लाभांश का भुगतान करने वाली सभी सात रेलवे कंपनियाँ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। हालांकि, दीपम के अनुदेशों के अनुसार आईआरएफसी द्वारा लाभांश के भुगतान में ₹ 498.65 करोड़ की कमी आई थी।

(ii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड[44] और मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए लाभांश के भुगतान से छूट दी गई है। मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए के

[44] दीपम द्वारा कैपेक्स आवश्यकता और कंपनी के हालिया बेहतर निष्पादन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 और 2023-24 के लिए लाभांश के भुगतान से छूट दी गई थी।

अंतर्गत पंजीकृत है और इसलिए अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण से निषिद्ध है।

(iii) डीएफसीसीआईएल, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया था।

रेल मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2025) कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लाभांश का भुगतान नहीं किया क्योंकि उसे संचित नुकसान हो रहा था।

3.3.3.2 सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा लाभांश के भुगतान पर दीपम दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना

दीपम ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को, सीपीएसई की सहायक कंपनियों /संयुक्त उद्यम द्वारा लाभांश के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित[45] किया था। रेल मंत्रालय ने भी सभी सीपीएसई को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश[46] दिया था (मार्च 2018) कि उनकी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम/ एसपीवी द्वारा लाभांश के भुगतान के संबंध में कार्यालय ज्ञापन फ़ाइल. सं. 5/2/2016-नीति दिनांक 1 फरवरी 2018 में निहित दीपम के अनुदेशों का पालन किया जाए। रेल मंत्रालय ने फरवरी 2023 में सभी सीपीएसई को इन अनुदेशों को दोहराया[47] था।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और एसपीवी द्वारा अर्जित लाभ[48] और भुगतान किए गए लाभांश का विवरण **अनुलग्नक 3.4** में दिया गया है और इसे नीचे **चित्र 3.3** में दर्शाया गया है:

---

[45] कार्यालत ज्ञापन दिनांक 01.02.2018 के द्वारा

[46] पत्र संख्या 2013 / पीएल / 57 / 1 (पीटी.II) दिनांकित 1 मार्च 2018 द्वारा

[47] रेल मंत्रालय पत्र संख्या 2023 / पीएल / 57 / 1 दिनांकित 16 फरवरी 2023 द्वारा।

[48] 14 सहायक कंपनियों ने ₹204.88 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 5 सहायक कंपनियों को ₹15.63 करोड़ का घाटा हुआ था। इसी तरह, छह एसपीवी ने ₹280.55 करोड़ का लाभ अर्जित किया और एक एसपीवी को ₹48.48 करोड़ का घाटा हुआ था।

चित्र 3.3: 2023-24 में सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और एसपीवी द्वारा अर्जित निवल लाभ और भुगतान किया गया लाभांश (₹ करोड़ में)

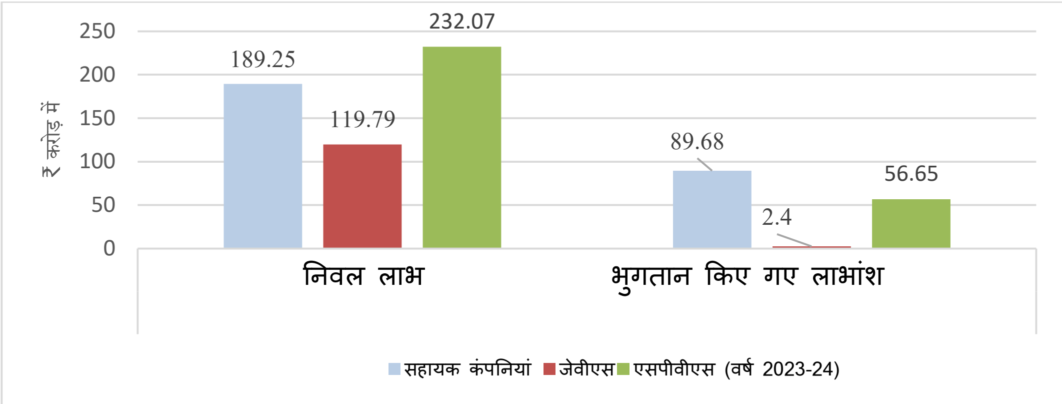

स्रोत: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से संकलित

यह पाया गया कि:

(i) रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 20 में से 14 सहायक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 204.88 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें से केवल दो सहायक कंपनियों आरईएमसी लिमिटेड और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड ने लाभांश (₹ 97.03 करोड़) घोषित किया था।

(ii) 2023-24 के दौरान सात में से छः एसपीवी ने लाभ अर्जित किया था। इन छः एसपीवी द्वारा अर्जित कुल लाभ ₹ 280.54 करोड़ था। हालांकि केवल दो एसपीवी (हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड और भरूच दहेज रेल कंपनी लिमिटेड) ने दीपम के उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार ₹ 56.65 करोड़ का कुल लाभांश घोषित किया था। शेष चार एसपीवी (कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड, कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड, पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड) ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया था, हालांकि उन्होंने ₹ 170.21 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया था।

रेल मंत्रालय ने (अगस्त 2025) कहा कि कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड ने संचित नुकसान के कारण 2023-24 के दौरान लाभांश घोषित नहीं किया था।

(iii) पांच संयुक्त उद्यमों में से एक (सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड) ने 2023-24 के दौरान ₹ 2.40 करोड़ का लाभांश घोषित किया था।

शेष चार संयुक्त उद्यमों ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया था, हालांकि उन्होंने ₹ 111.73 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

इस प्रकार, दीपम के दिशानिर्देशों और रेल मंत्रालय (फरवरी 2023) के अनुदेशों के बावजूद, कुछ सहायक कंपनियों, एसपीवी और संयुक्त उद्यमों ने न तो प्रमोटर्स को लाभांश घोषित किया है और न ही अर्जित लाभ का पुनर्निवेश किया है।

3.3.3.3 इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

'बाजार पूंजीकरण', स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के शेयरों का बाजार मूल्य है। 31 मार्च 2024 तक, निम्नलिखित सात रेलवे सार्वजनिक उद्यमों के शेयर भारत में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध थे।

- कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (मई 1997 से सूचीबद्ध);
- राइट्स लिमिटेड (जुलाई 2018 में सूचीबद्ध);
- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सितंबर 2018 में सूचीबद्ध);
- रेल विकास निगम लिमिटेड (अप्रैल 2019 में सूचीबद्ध);
- इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (अक्टूबर 2019 में सूचीबद्ध);
- रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (फरवरी 2021 में सूचीबद्ध); और
- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (जनवरी 2021 में सूचीबद्ध)

इन सात रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण, 31 मार्च 2024 तक ₹ 4,16,122.88 करोड़ था।

पिछले वर्ष की तुलना में समग्र बाजार पूंजीकरण में 182.36 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बाजार पूंजीकरण की स्थिति **तालिका 3.5** में दी गई है:

तालिका 3.5: रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का बाजार पूंजीकरण

रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	*(₹ करोड़ में)*					2023 की तुलना में 2024 में बदलाव (%)	मूल्य-अर्जन अनुपात (2024)
	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक		
1	2	3	4	5	6	7= (6-5) /5*100	8
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	20,207.25	36,435.80	40,953.72	35,354.30	53,745.85	52.03	43.67
राइट्स लिमिटेड	6,152.50	5,786.42	6,229.00	8,536.00	15,908	86.36	35.02
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	3,583.84	4,152.38	3,743.25	5,266.89	20,658.43	292.23	23.95
रेल विकास निगम लिमिटेड	2,668.83	6,067.41	6,818.02	14,303.24	52,730.16	268.66	33.50
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15,718.40	28,099.20	61,968.00	45,840.00	74,396.00	62.29	66.95
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं	4,069.50	2,699.09	3,245.00	11,674.13	259.76	62.29
इंडियन रेलवे फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लागू नहीं	29,926.88	28,031.95	34,827.57	1,87,010.32	436.96	29.14
कुल	**48330.83**	**114537.60**	**150443.03**	**147373.00**	**416122.88**	**182.36**	

स्रोत: रेलवे पीएसईएस द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित।

एस एंड पी, बीएसई-सीपीएसई इंडेक्स की तुलना में वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सूचीबद्ध रेलवे कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण का ट्रेंड **चित्र 3.4** में दर्शाया गया है।

चित्र 3.4: एस एंड पी, बीएसई-सीपीएसई इंडेक्स की तुलना में रेलवे कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का ट्रेंड

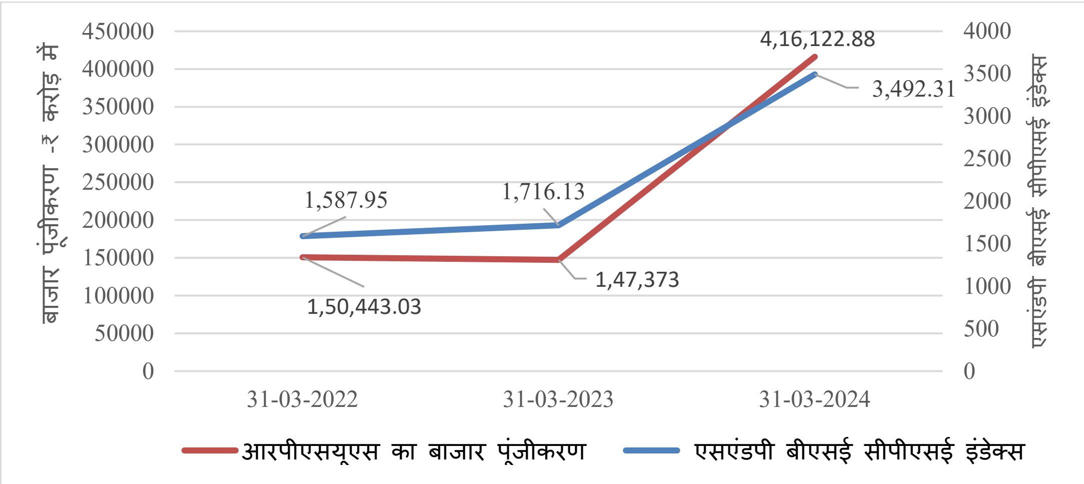

यह पाया गया कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान रेलवे कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण का ट्रेंड एसएंडपी बीएसई-सीपीएसई इंडेक्स के समान था।

यह भी पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक सूचीबद्ध सभी रेलवे कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में सकारात्मक बदलाव आया था।

3.4: वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए रेलटेल की व्यावसायिक जवाबदेही और सतत विकास रिपोर्टिंग (बीआरएसआर)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई 2011 में 'व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तरदायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश' जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में कंपनियों द्वारा अपने व्यावसायिक तौर-तरीकों के हिस्से के रूप में अपनाए जाने वाले व्यापक सिद्धांत सम्मिलित हैं और एक संरचित व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग प्रारूप जिसमें कुछ निर्दिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, जो उक्त सिद्धांतों को लागू करने के लिए कंपनियों द्वारा उठाए गए कदमों को दर्शाता है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक प्रतिवेदन के हिस्से के रूप में 'व्यावसाय उत्तरदायित्व प्रतिवेदन' को सम्मिलित करने का निर्णय लिया (अगस्त 2012) था। हालांकि, सेबी ने (मई 2021) शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण के अनुसार) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से पर्यावरणीय सामाजिक और शासन (ईएसजी)

मानकों अर्थात, 'बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट' (बीआरएसआर) पर नई रिपोर्टिंग आवश्यकताएं प्रस्तुत की थी।

सेबी ने आगे (जुलाई 2023) बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट के स्थान पर 'बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग' (बीआरएसआर) दिशानिर्देश प्रस्तुत किए थे। बीआरएसआर एक व्यापक ढांचा है जिसे सतत व्यावसायिक प्रक्रियाओं, उत्तरदायी पर्यावरणीय प्रबंधन और मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रकटीकरण के प्रमुख क्षेत्रों में कंपनी के प्रचालन और निष्पादन से संबंधित पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) कारक सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 से, शीर्ष 1000 सूचीबद्ध इकाइयां (बाजार पूंजीकरण द्वारा) अपने वार्षिक प्रतिवेदन में अद्यतित बीआरएसआर प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण करेंगी:

खंड क- इकाई की व्यावसायिक गतिविधियों, उत्पादों/सेवाओं, प्रचालन, कर्मचारी विवरण, सीएसआर, पारदर्शिता का **सामान्य प्रकटीकरण** और प्रकटीकरण अनुपालन एवं इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण के मुद्दों की सामान्य रूपरेखा।

खंड ख- नीति और प्रबंधन प्रक्रिया, शासन, नेतृत्व और चूक के विषय में **प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण**; और

धारा ग - नौ सिद्धांतों पर **सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण** जिसमें नैतिक, पारदर्शी, जवाबदेह व्यवसाय आचरण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास, कर्मचारियों का कल्याण, पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए व्यवसाय के प्रयास, साम्यापूर्ण विकास और ग्राहकों को महत्व प्रदान करना सम्मिलित है।

भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सात रेलवे पीएसई सूचीबद्ध[49] हैं। ये सात सूचीबद्ध रेलवे पीएसई मार्च 2024 तक शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। इन सात सूचीबद्ध पीएसई में से, लेखापरीक्षा ने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेलटेल)[50] द्वारा वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान सेबी की बीआरएसआर

---

[49] कांकोर, राइट्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, रेलटेल कारपोरेशन और इंडिया लिमिटेड और आईआरएफसी ।

[50] एन एस सी के अनुसार, रेलटेल की रैंकिंग बाज़ार पूँजीकरण के आधार पर 2023-24 और 2022-23 के दौरान शीर्ष सूचीबद्ध कम्पनियों में क्रमश: 406 और 591 वें स्थान पर रही।

आवश्यकताओं के अनुसार ईएसजी ढांचे के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रकटीकरण की जांच की और पाया कि:

3.4.1 वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए बीआरएसआर प्रतिवेदन के प्रारूप की धारा-ए के अंतर्गत 'सामान्य प्रकटीकरण', इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण के मुद्दों की सामान्य रूपरेखा, कंपनी को उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण और सतत्त विकास से संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है जो इसके प्रचालन के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना, जोखिम/अवसर की पहचान करने के लिए कंपनी का तर्क और जोखिम को अनुकूलित या कम करने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण सम्मिलित था। कंपनी को वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक और नकारात्मक दोनों) इंगित करने की भी आवश्यकता है।

यह पाया गया कि यद्यपि रेलटेल ने महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की थी और जोखिम या अवसर की पहचान करने के लिए तर्क दिया था, तथापि उसने अवसर या जोखिम के मामले में वित्तीय निहितार्थ नहीं दिया था।

इस चूक ने सामग्री सतत विकास जोखिमों और अवसरों के अपूर्ण प्रकटीकरण का संकेत दिया जो हितधारकों को कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर ईएसजी-संबंधित जोखिमों और अवसरों के प्रभाव का सटीक निर्धारण करने से रोक सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रारूप के अंतर्गत, रेलटेल ने अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को अपने 'अवसर' के रूप में यह कहते हुए दर्शाया था कि, भारत सरकार द्वारा स्थापित ई- कचरा नीतियों और प्रक्रियाओं का रेलटेल द्वारा पालन, अपशिष्ट में कमी, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव डालेगा।

हालांकि, यह पाया गया कि रेलटेल के पास ई-कचरे के निपटान के लिए कोई अलग नीति नहीं थी। कंपनी अपने ई-कचरे का निपटान 25 फरवरी 2014 की अपनी 'स्क्रैप निपटान नीति' के अंतर्गत कर रही थी, जो केवल कचरा निपटान के लिए प्रक्रियाओं

की रूपरेखा तैयार करती है, नाकि ई-कचरा निपटान की । ई-कचरे का निपटान 'ई-कचरा (प्रबंधन), नियम, 2022' के अनुसार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा 22 अगस्त 2022 को अधिसूचित बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के नियम संख्या 5 के अनुसार, उपभोक्ता निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं:

- अन्य अपशिष्ट धाराओं से पृथक रूप से अपशिष्ट बैटरियों का निपटान, विशेष रूप से मिश्रित या घरेलू कचरे से।
- अपशिष्ट बैटरियों को संग्रह, नवीनीकरण या पुनर्चक्रण में लगी एक अधिकृत इकाई को सौंपकर यह सुनिश्चित करना कि उनका निपटान पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाए।

यह पाया गया कि रेलटेल पुरानी बैटरियों का निपटान या तो बाय-बैक प्रक्रिया के माध्यम से करता है या अन्य कचरे के साथ "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर करता है जो एमओईएफसीसी नियमों के अनुरूप नहीं है। यह अभ्यास यह सुनिश्चित नहीं करता है कि अपशिष्ट बैटरियों का प्रबंधन अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जिससे निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं होता है।

इस प्रकार, अनुचित निपटान और भारत सरकार के दिशानिर्देशों और नियमों का अनुपालन न करने का जोखिम था।
रेल मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितंबर 2025)।

3.5 रेल मंत्रालय की प्रतिक्रिया

तथ्यों और आंकड़ों को टिप्पणियों और पुष्टि के लिए 'रेल सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय सामान्य रूपरेखा' (26 जून 2025) जारी की गयी थी। 8 अगस्त 2025 को रेल मंत्रालय का उत्तर प्राप्त हुआ था।

रेल मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों को विधिवत रूप से ध्यान में रखते हुए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

3.6 सारांश

- मार्च 2024 तक, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के पास ₹5,28,276.78 करोड़ का कुल निवेश था, जिसमें भारत सरकार ने प्रदत्त शेयर पूंजी का 77.45 *प्रतिशत* योगदान दिया था।

- उल्लेखनीय है कि 2019-20 के बाद से रेलवे पीएसई का लाभ लगभग दोगुना हो गया है, जो 96.49 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाता है, जबकि इसी अवधि के दौरान भुगतान किए गए लाभांश में 139.16 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी। पिछले पांच वर्षों में सात सूचीबद्ध रेलवे कंपनियों ने लगातार सालाना ₹100 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, चार रेलवे कंपनियों, पांच सहायक कंपनियों और एक एसपीवी को नुकसान हुआ था।
- दीपम के अनुदेशों और रेल मंत्रालय (एमओआर) के सीपीएसई से आग्रह करने के बावजूद कि वे अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और एसपीवी द्वारा लाभांश भुगतान सुनिश्चित करें, 14 लाभ कमाने वाली सहायक कंपनियों में से केवल दो, छः एसपीवी में से दो और पांच संयुक्त उद्यमों में से एक ने 2023-24 में लाभांश घोषित किया था।
- रेलटेल के पास ई-कचरे के निपटान के लिए कोई अलग नीति नहीं थी। कंपनी अपने 25 फरवरी 2014 की 'स्क्रैप निपटान नीति' के अंतर्गत अपने ई-कचरे का निपटान कर रही थी, जो केवल कचरा निपटान के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है, ना कि ई-कचरा निपटान की। ई-कचरे का निपटान 'ई-कचरा (प्रबंधन), नियम, 2022' के अनुसार किया जाना चाहिए।
- रेलटेल या तो बाय-बैक प्रक्रिया के माध्यम से या "जैसा है जहाँ है" के आधार पर अन्य कचरे के साथ पुरानी बैटरियों का निपटान करता है जो पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के अनुरूप नहीं है। यह अभ्यास यह सुनिश्चित नहीं करता है कि अपशिष्ट बैटरियों का प्रबंधन अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जिससे निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं होता है।

3.7 अनुशंसाएँ

(i) रेल मंत्रालय दीपम के अनुदेशों के अनुसार सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और एसपीवी द्वारा लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करे ।

(ii) रेलटेल को ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुसार अपनी ई-कचरा प्रबंधन नीति का अद्यतन करना चाहिए, जो अधिकृत तरीकों के माध्यम से उचित संग्रह, पुनर्चक्रण और निपटान पर जोर देता है।

3.8 निष्कर्ष

2023-24 के दौरान, भारतीय रेलवे ने परिचालन अनुपात 98.43 *प्रतिशत* दर्ज किया, जो 2022-23 में 98.10 *प्रतिशत* से थोड़ा अधिक है, जो परिचालन दक्षता में निरंतर वित्तीय तनाव का संकेत देता है। मूल्यह्रास के लिए अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 तक ₹ 30,921 करोड़ की राशि के नवीनीकरण और पुरानी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन से संबंधित "थ्रो फॉरवर्ड" कार्यों का संचय हुआ है।

माल ढुलाई बास्केट अत्यधिक केंद्रित है, जिसमें कोयला कुल माल ढुलाई आय का 51.32 *प्रतिशत* है, जो दीर्घकालिक वित्तीय संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

2023-24 के दौरान, राजस्व अनुदान (3002-03) के अंतर्गत, रेल मंत्रालय (एमओआर) ने ₹ 1,28,852.28 करोड़ के स्वीकृत प्रावधान से ₹ 9,797.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया था। साथ ही, पांच अनुदानों (राजस्व और पूंजी) में ₹ 50,694.82 करोड़ की बचत हुई थी, जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹100 करोड़ से अधिक थी, जो वित्तीय योजना और अनुमान में कमियों को दर्शाती थी। दोषपूर्ण बजट के परिणामस्वरूप निर्धारित सीमाओं से आधिक्य/बचत के अनेक मामले पाये गए थे। राजस्व और पूंजीगत अनुदान, दत्तमत और प्रभारित शीर्षों और विभिन्न उप-प्रमुख शीर्षों और रेलवे निधियों के बीच व्यय के गलत वर्गीकरण के उदाहरण भी देखे गए, जो वित्तीय नियंत्रण तंत्र में कमियों को दर्शाते हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय औचित्य मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, 2023-24 के दौरान 1,999 मामलों को समावेशित करते हुए और कुल व्यय का 1.24 *प्रतिशत* अर्थात, ₹9,122.24 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया गया था।

मार्च 2024 तक, 45 रेलवे पीएसई में इक्विटी और ऋण का निवेश ₹ 5,28,276.78 करोड़ था, जिसमें ₹ 63,225.15 करोड़ की प्रदत्त पूंजी और ₹ 4,65,051.63 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित थे। 35 रेलवे पीएसई ने 2023-24 के दौरान ₹ 12,737.15 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें 10 रेलवे कंपनियां, 14 सहायक कंपनियां, 5 संयुक्त उद्यमों और 6 एसपीवी सम्मिलित थे। 35 लाभ कमाने वाले रेलवे पीएसई में से केवल 12 (7 रेलवे कंपनियां, 2 सहायक कंपनियां, 01 संयुक्त उद्यम और 2 एसपीवी) ने मई 2016 के दीपम अनुदेशों के अनुसार लाभांश (₹ 4,616.59 करोड़) घोषित किया था। सात रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण 31 मार्च 2024 तक ₹ 4,16,122.88 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में बाजार पूंजीकरण में 182.36 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी।

नई दिल्ली | **(प्रवीर पाण्डेय)**

दिनांक: 27 मार्च 2026 | **अपर उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 27 मार्च 2026 | **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

पारिभाषिक शब्दावली

पारिभाषिक शब्दावली

शब्द	*विवरण*
औसत लीड	यात्री अथवा प्रति टन माल की औसत ढुलाई दूरी
पूंजीगत व्यय	परिसंपत्तियों के सृजन, अधिग्रहण, निर्माण तथा प्रतिस्थापन के लिए किया गया व्यय
वसूली योग्य मांग	भूमि एवं भवन के किराया/पट्टा, ब्याज तथा साइडिंग के रखरखाव शुल्क आदि के संबंध में वसूल की जाने वाली अप्राप्त आय।
अतिरिक्त बजटीय संसाधन	सामान्य बजटीय सहायता तथा आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों के अतिरिक्त भारतीय रेल के संसाधन।
माल भाडा आय	रेल द्वारा माल भाडा से होने वाली आय
सकल यातायात प्राप्तियां	रेलवे परिचालन से होने वाली प्राप्तियाँ
शुद्ध अधिशेष	सकल आय और कार्यकारी व्यय के बीच का अंतर"
नई लाइनें	नए रेलवे लिंक/लाइन का निर्माण/ बिछाई गई लाइनें जो पहले अस्तित्व में नहीं थीं
परिचालन अनुपात	सकल आय के सापेक्ष कार्यशील व्ययों (निलंबित निधि को छोड़कर, लेकिन मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि के लिए विनियोजन सहित) का अनुपात।
सामान्य कार्यकारी व्यय	प्रशासन, परिचालन, अनुरक्षण एवं मरम्मत व्यय तथा मूल्यह्रास एवं पेंशन निधियों हेतु योगदान"
अन्य प्रशिक्षण आय	सामान, लगेज, डाक सेवा तथा खानपान आदि से प्राप्त राजस्व
यात्री आय	यात्रियों के परिवहन से प्राप्त राजस्व
राजस्व व्यय	रेलवे के दैनिक संचालन, अनुरक्षण तथा लाभांश भुगतान सहित किए गए व्यय

कर्मचारी उत्पादकता	इसे प्रति हजार कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किए गए यातायात की मात्रा (एनटीकेएम के संदर्भ में) के आधार पर मापा जाता है।
यातायात व्यय	रेलवे की अप्राप्त परिचालन आय
कुल परिचालन व्यय	साधारण कार्यकारी व्यय तथा मूल्यह्रास निधि और पेंशन निधि के लिए विनियोजन

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

बीई	**बजट अनुमान**
म.रे.	मध्य रेलवे
डीआईपीएएम	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
ईबीआर	अतिरिक्त बजटीय संसाधन
ईबीआर(आइएफ़)	अतिरिक्त बजटीय संसाधन (संस्थागत वित्त)
ईबीआर-आइएफ़	अतिरिक्त बजटीय संसाधन - संस्थागत वित्त
पू.त.रे.	पूर्व तट रेलवे
पू.म.रे.	पूर्व मध्य रेलवे
पू.रे.	पूर्व रेलवे
एफजी	अंतिम अनुदान
एमएच	मुख्य शीर्ष
एमओआर	रेलवे मंत्रालय
एम आर	मेट्रो रेलवे, कोलकाता
उ.म.रे.	उत्तर मध्य रेलवे
एनई एफआर/पू.स.रे.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
उ.पू.रे.	उत्तर पूर्व रेलवे
उ.रे.	उत्तर रेलवे
उ.प.रे.	उत्तर पश्चिम रेलवे
उ.प.रे.	उत्तर पश्चिम रेलवे
ओबीजी	मूल बजट अनुदान
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
आरबी	रेलवे बोर्ड
द.म.रे.	दक्षिण मध्य रेलवे
द.पू.म.रे.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
द.पू.म.रे.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

द.पू.रे.	दक्षिण पूर्व रेलवे
द.रे.	दक्षिणी रेलवे
द.प.रे.	दक्षिण पश्चिम रेलवे
द.प.रे.	दक्षिण पश्चिम रेलवे
प.म.रे.	पश्चिम मध्य रेलवे
प.रे.	पश्चिम रेलवे
जेड आर	क्षेत्रीय रेलवे
पीओएच	आवधिक मरम्मत
आईओएच	मध्यवर्ती मरम्मत
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबल
एच.एस.डी.	हाई स्पीड डीजल

अनुलग्नक

अनुलग्नक - 1.1
(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 1.3)
यात्री एवं अन्य कोचिंग सेवाओं का क्रॉस -सब्सिडीकरण

	मरे	पूरे	पूमरे	पूतरे	उरे	उमरे	उपूरे	उसीरे	उपरे	दरे	दमरे	दपूरे	दपूमरे	दपरे	परे	पमरे	मैट्रो	कुल (रेलवे+लो.उ.)
यातायात राजस्व																		
(क) कोचिंग	7416.14	2982.60	3652.04	2171.15	8468.57	6890.91	2403.50	1887.32	3258.71	6273.52	7342.87	2209.58	1464.68	2388.39	6692.24	4905.45	285.65	70693.33
(ख) अन्य कोचिंग	816.79	347.49	323.43	200.64	1078.80	224.02	163.10	352.29	298.10	624.77	512.15	261.23	132.61	325.31	900.14	165.86	0.50	6727.25
(ग) कोचिंग के लिए विविध मद	433.08	301.13	157.91	183.92	715.85	158.96	110.07	1203.11	326.18	463.18	274.87	217.27	76.70	232.83	652.90	131.56	54.86	5694.39
कुल (क + ख + ग)	**8666.01**	**3631.22**	**4133.38**	**2555.71**	**10263.22**	**7273.89**	**2676.68**	**3442.73**	**3883.00**	**7361.47**	**8129.89**	**2688.08**	**1673.99**	**2946.54**	**8245.27**	**5202.87**	**341.01**	**83114.96**
(घ) वस्तुएँ	10633.21	6569.13	15163.30	21614.50	10998.11	14203.12	1775.43	3003.25	7024.17	3633.97	14802.13	15858.63	18144.83	4553.09	8508.49	11807.91	0.00	168293.29
(ङ) वस्तुओं के लिए विविध मद	262.25	169.30	110.16	63.34	276.70	141.17	76.85	1208.43	293.11	259.24	200.00	172.11	66.39	171.53	388.77	98.71	0.00	3958.05
कुल वस्तुएँ	**10895.47**	**6738.44**	**15273.46**	**21677.84**	**11274.80**	**14344.29**	**1852.28**	**4211.68**	**7317.28**	**3893.21**	**15002.13**	**16030.74**	**18211.21**	**4724.62**	**8897.26**	**11906.62**	**0.00**	**172251.34**
कुल राजस्व प्राप्ति	**19561.48**	**10369.55**	**19406.84**	**24233.55**	**21538.02**	**21618.19**	**4528.96**	**7654.41**	**11200.27**	**11254.69**	**23132.03**	**18718.82**	**19885.21**	**7671.16**	**17142.53**	**17109.49**	**341.01**	**255366.30**
व्यय वस्तुएँ																		
बीजी/वस्तुएँ	7908.29	7974.26	12204.97	9665.45	10623.03	5465.21	2830.67	4602.17	6101.69	4587.16	9975.55	8390.41	7860.28	4657.87	6979.54	6535.74	0.00	116362.27
एमजी/ वस्तुएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एनजी/ वस्तुएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वस्तुओं पर कुल व्यय	**7908.29**	**7974.26**	**12204.97**	**9665.45**	**10623.03**	**5465.21**	**2830.67**	**4602.17**	**6101.69**	**4587.16**	**9975.55**	**8390.41**	**7860.28**	**4657.87**	**6979.54**	**6535.74**	**0.00**	**116362.27**
व्यय कोचिंग																		
बीजी/कोचिंग	14916.47	12788.06	9105.36	3028.79	20062.50	11115.39	4976.51	7257.48	7850.10	13857.22	11443.16	5277.35	2396.68	5154.47	10795.88	5839.55	811.36	146676.35
एमजी/कोचिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.44	0.00	49.93	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32	0.00	0.00	519.22

एनजी/कोचिंग	136.67	0.00	0.00	0.00	313.22	0.00	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	489.33
कोचिंग पर कुल व्यय	**15053.15**	**12788.06**	**9105.36**	**3028.79**	**20375.72**	**11115.39**	**5282.94**	**7289.22**	**7900.03**	**13913.76**	**11443.16**	**5277.35**	**2396.68**	**5154.47**	**10909.90**	**5839.55**	**811.36**	**147684.90**
सेवाओं पर लाभ/हानि																		
कोचिंग पर हानि	**-6387.13**	**-9156.85**	**-4971.98**	**-473.08**	**-10112.50**	**-3841.50**	**-2606.26**	**-3846.50**	**-4017.03**	**-6552.29**	**-3313.27**	**-2589.27**	**-722.68**	**-2207.93**	**-2664.63**	**-636.68**	**-470.35**	**-64569.94**
वस्तुओं पर लाभ	**2987.17**	**-1235.82**	**3068.50**	**12012.39**	**651.78**	**8879.09**	**-978.39**	**-390.49**	**1215.58**	**-693.95**	**5026.58**	**7640.34**	**10350.93**	**66.75**	**1917.72**	**5370.88**	**0.00**	**55889.07**

अनुलग्नक -2.1- विनियोजन लेखें 2023-24
(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 2.1)

(₹ में)

अनुदान और विनियोगों के आधार पर विनियोग लेखों का व्यापक सारांश-2023-24

मुख्य शीर्ष	प्रमुख शीर्ष का नाम	वी/सी	वास्तविक	पूरक	योग अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय	अंतर
3001(1)	रेलवे बोर्ड	वी	4494280000	0	4494280000	4462910933	-31369067
		सी					
3001 (02)	विविध व्यय	वी	21450820000	0	21450820000	14079258509	-7371561491
		सी	55000000	0	55000000	45545484	-9454516
3002-3003 (01)	सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएँ	वी	96311899000	0	96311899000	96248857190	-63041810
		सी	29270000	0	29270000	26391750	-2878250
3002-3003 (02)	पटरी का अनुरक्षण एवं रखरखाव	वी	187256997000	0	187256997000	202978603858	15721606858
		सी	4065000	0	4065000	239262277	235197277
3002-3003 (03)	प्रेरक शक्ति का अनुरक्षण एवं रखरखाव	वी	68832519000	0	68832519000	79317473900	10484954900
		सी	0	0	0	2833653	2833653
3002-3003 (04)	गाड़ियों और वैगनों का अनुरक्षण एवं रखरखाव	वी	197428371000	0	197428371000	229318404680	31890033680
		सी	0	0	0	502923	502923
3002-3003 (05)	संयंत्र एवं उपकरण का अनुरक्षण एवं रखरखाव	वी	99755855000	0	99755855000	107717918012	7962063012
		सी	100000000	0	100000000	1157501	-98842499
3002-3003 (06)		वी	211274387000	0	211274387000	226418528313	15144141313
		सी	0	0	0	18396714	18396714
		वी	456959529000	0	456959529000	397741734157	-59217794843

3002-3003 (07)	यातायात परिचालन व्यय -	सी	600000	174800000	175400000	464019686	288619686
3002-3003 (08)	परिचालन व्यय - ईंधन	वी	348891904000	0	348891904000	353468937462	4577033462
		सी	26000000	0	26000000	8957204	-17042796
3002-3003 (09)	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	वी	90948645000	0	90948645000	95071158701	4122513701
		सी	300000	0	300000	39461037	39161037
3002-3003 (10)	विविध परिचालन व्यय	वी	84135104000	0	84135104000	92205366343	8070262343
		सी	4114555000	646200000	4760755000	4505066080	-255688920
3002-3003 (11)	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	वी	686998790000	0	686998790000	650442786427	-36556003573
		सी	1210000	0	1210000	16584277	15374277
3002-3003 &3006	निधि के लिए आवंटन	वी	738260000000	0	738260000000	631596788022	-106663211978
		सी	0	0	0	0	0
3075	अन्य परिवहन सेवाएं	वी	12675100000	100000	12675200000	32126692428	19451492428
		सी	0	0	0	0	0
5002 & 5003	**परिसंपत्तियाँ - अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन**						
	ओपन लाइन कार्य राजस्व	वी	0	0	0	0	0
		सी	0	0	0	0	0
	पूंजी	वी	2714228500000	698400000	2714926900000	2606937972899	-107988927101
		सी	2177500000	5867212000	8044712000	8107975092	632663092
	रेलवे निधि, डीआरएफ, सीएफ और डीएफ						
		वी	11188200000	0	11188200000	9687568127	-1500631873

	डीआरएफ	सी	0	3618000	3618000	60330812	56712812
	डी.एफ.	वी	10000000000	0	10000000000	9353615996	-646384004
		सी	0	122959000	122959000	175675452	52716452
	पूजी निधि	वी	0	0	0	0	0
		सी	0		0	0	0
	आरएसएफ	वी	455968400000	0	455968400000	458613849671	2645449671
		सी	0	151808000	151808000	250752435	98944435
	आरआरएसके में अंतरण	वी	100000000000	0	100000000000	100000000000	0
		सी	0	0	0	0	0
	आरएसएफ में अंतरण	वी	450000000000	0	450000000000	450000000000	0
		सी	0	0	0	0	0
	एसजीएफ में अंतरण	वी	124790000000	0	124790000000	124789853179	-146821
		सी	0	0	0	0	0
	आरआरएसके	वी	123075800000	0	123075800000	127305001769	4229201769
		सी	15400000	49803000	65203000	751935229	686732229
	सीआईआरएफ में अंतरण	वी	120497000000	0	120497000000	110000000000	-10497000000
		सी	0	0	0	0	0
	एनआईएफ में अंतरण	वी	294349900000	0	294349900000	111000000000	-183349900000
		सी	0	0	0	0	0
	योग रेलवे निधि, डीआरएफ, सीएफ और डीएफ	वी	1689869300000	0	1689869300000	1500749888742	-189119411258
		सी	15400000	328188000	343588000	1238693928	895105928
		वी	7709772000000	698500000	7710470500000	7320883280576	-389587219424

	योग	**सी**	**6523900000**	**7016400000**	**13540300000**	**14714847606**	**1174547606**
	सकल योग वी एवं सी		**7716295900000**	**7714900000**	**7724010800000**	**7335598128182**	**-388412671818**

अनुलग्नक -2.2- विनियोजन लेखें 2023-24
(संदर्भ पैराग्राफ संख्या 2.6)

(करोड़ रुपये में))

क्षेत्र	दत्तमत /प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
	(वी/सी)		अतिरिक्त		बचत	
म.रे.	वी	3001			2	5.96
		5002-03	2	8.19	3	279.21
		सिविल अनुदान	1	0.15	1	0.13
	वी योग		**3**	**8.34**	**6**	**285.30**
	सी	5002-03	1	0.22		
	सी योग		**1**	**0.22**		
	म.रे. योग		**4**	**8.56**	**6**	**285.30**
पू.त.रे.	वी	3001			1	16.59
		3002-03(1)	1	4.72		
		3002-03(2)	1	22.97		
		3002-03(3)	1	31.41		
		3002-03(4)	2	111.32		
		3002-03(5)	1	12.80		
		3002-03(6)	1	232.57		
		3002-03(10)	1	16.37		
		3002-03(11)			1	30.31
		5002-03	7	3141.52	9	1929.28
		सिविल अनुदान			1	6.91
	वी योग		**15**	**3573.69**	**12**	**1983.06**
	पू.त.रे. योग		**15**	**3573.69**	**12**	**1983.06**
पू.म.रे.	वी	3002-03(1)	2	13.07	4	40.81
		3002-03(2)	4	48.64	2	7.54
		3002-03(3)	1	26.40	1	12.43
		3002-03(4)	4	332.22		
		3002-03(5)	8	142.73		
		3002-03(6)	3	143.38		
		3002-03(7)	2	1320.56	4	7.66
		3002-03(8)	1	189.08		
		3002-03(9)	2	14.07	3	29.12
		3002-03(10)	6	139.76		
		3002-03(11)	1	2.93	7	599.62
		5002-03	29	6411.95	24	661.31
	वी योग		**63**	**8784.81**	**45**	**1358.49**
	पू.म.रे. योग		**63**	**8784.81**	**45**	**1358.49**

क्षेत्र	दत्तमत /प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
	(वी/सी)		अतिरिक्त		बचत	
पू.रे.	वी	3001	1	5.94	1	9.92
		3002-03(1)			1	46.64
		3002-03(2)	1	19.60		
		3002-03(3)	1	35.47		
		3002-03(4)	2	164.63		
		3002-03(5)	1	34.53	1	21.51
		3002-03(11)	1	8.54		
		5002-03	2	31.00	1	21.01
	वी योग		**9**	**299.69**	**4**	**99.07**
	पु.रे. योग		**9**	**299.69**	**4**	**99.07**
उ.म.रे.	वी	3001			2	59.95
		3002-03 (01)	2	15.49	4	33.16
		3002-03 (02)	3	115.55		
		3002-03 (03)	1	39.58	1	45.80
		3002-03 (04)	5	43.11	1	2.67
		3002-03 (05)	7	110.25		
		3002-03 (06)	3	123.02	3	33.73
		3002-03 (07)	2	166.75	2	2450.80
		3002-03 (08)			2	476.58
		3002-03 (09)	2	98.15	1	15.36
		3002-03 (10)	2	9.43	4	114.24
		3002-03 (11)	2	17.15	5	413.53
		5002-03	16	1868.25	11	1379.37
		वी योग	**45**	**2606.73**	**36**	**5025.19**
	सी	3002-03 (10)			1	3.00
		सी योग			**1**	**3.00**
	उ.म.रे. योग		**45**	**2606.73**	**37**	**5028.19**
पू.सी.रे.	वी	3002-03 (01)	3	22.17	1	2.95
		3002-03 (02)	1	60.18	2	13.35
		3002-03 (03)	1	41.00	3	16.44
		3002-03 (04)	3	195.98	2	21.97
		3002-03 (05)	3	16.82	2	52.20
		3002-03 (06)	3	77.37	1	4.39
		3002-03 (07)	2	30.54	1	348.27
		3002-03 (08)	3	158.03		
		3002-03 (09)	2	27.20		
		3002-03 (10)	2	101.09	1	2.59
		3002-03 (11)	1	5.88	5	178.56
		5002-03	22	2865.60	15	329.57
		वी योग	**49**	**3601.87**	**33**	**970.29**

क्षेत्र	दत्तमत /प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
	(वी/सी)		अतिरिक्त		बचत	
	सी	3002-03 (2)	1	0.53		
		3002-03 (10)			1	7.99
		5002-03	1	19.62		
		सी योग	**2**	**20.15**	**1**	**7.99**
	पू.सी.रे. योग		**51**	**3622.02**	**34**	**978.28**
उ.पू.रे.	वी	3002-03 (01)			1	7.29
		3002-03 (03)	1	79.95		
		3002-03 (04)	1	136.20		
		3002-03 (06)	3	154.91		
		3002-03 (07)			2	137.02
		3002-03 (09)			2	15.57
		5002-03	2	1485.47	2	81.36
	वी योग		**7**	**1856.54**	**7**	**241.24**
	उ.पू.रे. योग		**7**	**1856.54**	**7**	**241.24**
उ.रे.	वी	सिविल अनुदान			1	74.48
		3001			4	405.40
		3002-03 (01)			2	68.72
		3002-03 (02)	2	341.90	1	34.63
		3002-03 (03)	2	321.81		
		3002-03 (04)	4	368.24		
		3002-03 (05)	4	396.57	1	20.83
		3002-03 (06)	2	103.71	1	26.50
		3002-03 (07)	1	207.20	2	400.53
		3002-03 (08)	2	809.14		
		3002-03 (09)	1	47.22		
		3002-03 (10)	2	262.32	2	88.30
		3002-03 (11)	2	109.50	5	389.32
		3002-03 (12)			2	2275.00
		5002-03	11	2731.74	23	10261.02
	वी योग		**33**	**5699.35**	**44**	**14044.73**
	उ.रे. योग		**33**	**5699.35**	**44**	**14044.73**
उ.प.रे.	वी	सिविल अनुदान			2	0.40
		5002-03	1	2.85	3	443.85
	वी योग		**1**	**2.85**	**5**	**444.25**
	उ.प.रे. योग		**1**	**2.85**	**5**	**444.25**

क्षेत्र	दत्तमत /प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
	(वी/सी)		अतिरिक्त		बचत	
द.म.रे.	वी	सिविल अनुदान			1	7.15
		3001			1	7.25
		3002-03 (09)	1	6.40		
		3002-03 (11)			1	26.02
		5002-03	1	51.84	1	112.26
	वी योग		**2**	**58.24**	**4**	**152.69**
	सी	5002-03	1	2.09	1	3.66
	सी योग		**1**	**2.09**	**1**	**3.66**
	द.म.रे. योग		**3**	**60.33**	**5**	**156.35**
द.पू.रे.	वी	3001			2	22.83
		3002-03 (02)			1	11.95
		3002-03 (03)	1	111.78		
		3002-03 (04)			1	19.26
		3002-03 (05)	1	9.01	1	14.51
		3002-03 (06)	2	47.03		
		3002-03 (07)			2	774.25
		3002-03 (10)	1	5.55		
		5002-03	3	126.00	7	453.42
	वी योग		**8**	**299.37**	**14**	**1296.22**
	द.पू.रे. योग		**8**	**299.37**	**14**	**1296.22**
द.रे.	वी	3002-03 (02)			1	9.88
		3002-03 (03)	1	16.38		
		3002-03 (04)	1	203.71		
		3002-03 (06)	1	2.61		
		3002-03 (08)			1	2.94
		3002-03 (10)	1	5.92		
		5002-03	1	11.62	7	60.68
	वी योग		**5**	**240.24**	**9**	**73.50**
	द.रे. योग		**5**	**240.24**	**9**	**73.50**
द.प.रे.	वी	3002-03 (04)	1	2.36		
		3002-03 (05)			1	18.66
		3002-03 (06)			1	12.21
		3002-03 (10)	2	26.69	1	5.46
		5002-03	4	1714.25	3	2840.50
	वी योग		**7**	**1743.30**	**6**	**2876.82**
	सी	3002-03 (10)			1	13.94
	सी योग				**1**	**13.94**
	द.प.रे. योग		**7**	**1743.30**	**7**	**2890.76**

क्षेत्र	दत्तमत /प्रभारित	अनुदान का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
	(वी/सी)		**अतिरिक्त**		**बचत**	
प.म.रे.	**वी**	3001			1	2.55
		5002-03			1	5.80
	वी योग				**2**	**8.35**
	प.म.रे. योग				**2**	**8.35**
प.रे.	**वी**	3001	1	38.53		
		3002-03 (02)	1	112.72		
		3002-03 (03)	1	120.68		
		3002-03 (04)	1	255.55		
		3002-03 (05)	1	107.13		
		3002-03 (06)	1	194.64		
		3002-03 (07)			1	1018.15
		3002-03 (08)			1	769.63
		5002-03			1	8.62
	वी योग		**6**	**829.25**	**3**	**1796.40**
	सी	3001	1	0.48		
		3002-03 (02)	1	0.03		
	सी योग		**2**	**0.51**		
	प.रे. योग		**8**	**829.76**	**3**	**1796.40**
सकल योग			**259**	**29627.23**	**234**	**30684.18**

अनुलग्नक-3.1
रेलवे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची

क्र.सं.	रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों का नाम	गतिविधि
रेलवे कंपनियाँ		
1)	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल)	निर्माण
2)	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर)	लॉजिस्टिक्स
3)	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	कैटरिंग, हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन
4)	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	वित्तपोषण
5)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)	निर्माण
6)	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	निर्माण
7)	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेलटेल)	संचार और नेटवर्क
8)	राइट्स लिमिटेड (राइट्स)	परामर्श
9)	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	वैगन निर्माण
10)	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (22 सितंबर 2022 से भंग और कंपनी रजिस्टर से नाम हटा दिया गया)	वैगन निर्माण
11)	कोलकाता मेट्रो रेल निगम	निर्माण
12)	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (5 जुलाई 2022 से भंग और कंपनी रजिस्टर से नाम हटा दिया गया)	वैगन निर्माण
13)	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड	निर्माण
14)	मुंबई रेल विकास निगम	निर्माण

अनुलग्नक-3.1
रेलवे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची

क्र.सं.	रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों का नाम	गतिविधि
15)	वैगन इंडिया लिमिटेड (समापन प्रक्रिया के अंतर्गत)	वैगन निर्माण
16)	एनआरटीयू फाउंडेशन (परिसमापन प्रक्रिया के तहत)	अन्य
17)	रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड	अन्य
सहायक कंपनियाँ		
18)	कॉनकोर एयर लिमिटेड	अन्य
19)	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	लॉजिस्टिक्स
20)	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	लॉजिस्टिक्स
21)	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	लॉजिस्टिक्स
22)	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	निर्माण
23)	इरकॉन पीबी टालवे लिमिटेड	निर्माण
24)	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	निर्माण
25)	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	निर्माण
26)	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	निर्माण
27)	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	निर्माण
28)	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	निर्माण
29)	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	निर्माण
30)	इरकॉन अक्लोली - शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	निर्माण

अनुलग्नक-3.1

रेलवे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची

क्र.सं.	**रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों का नाम**	**गतिविधि**
रेलवे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची		
क्र.सं.	**रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों का नाम**	**गतिविधि**
31)	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	निर्माण
32)	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	निर्माण
33)	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड	निर्माण
34)	रेलटेल इंटरप्राइजेज लिमिटेड	संचार
35)	आरईएमसी लिमिटेड	परामर्श
36)	मसाकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड	निर्माण
37)	ब्रेथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड (5 जनवरी 2023 को निगमित)	अन्य
संयुक्त उपक्रम		
38)	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	अन्य
39)	सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड	अन्य
40)	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गाड़ी निर्माण
41)	नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन	निर्माण
42)	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	निर्माण
विशेष प्रयोजन वाहन		
43)	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर	निर्माण
44)	भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड	निर्माण
45)	कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	निर्माण

अनुलग्नक-3.1
रेलवे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची

क्र.सं.	रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों का नाम	गतिविधि
46)	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	निर्माण
47)	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	निर्माण
48)	पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निर्माण
49)	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	निर्माण

अनुलग्नक-3.2 रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी में भारत सरकार और केंद्र सरकार की कंपनियों/राज्य सरकार/राज्य सरकार की कंपनियों आदि का कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	रेलवे पीएसई का नाम	2019-20						2020-21						2021-22						2022-23						2023-24					
		कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य
रेलवे कंपनियाँ																															
1	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	14076.63	14076.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14076.63	14076.63	0	0	0	0	14076.63	14076.63	0	0	0	-	15728.99	15728.99	0	0	0	0	15728.99	15728.99	0	0	0	0
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	304.65	166.94	0.00	0.00	0.00	137.71	304.65	166.94	0	0	0	137.71	304.65	166.94	0	0	0	137.71	304.65	166.94	0	0	0	137.71	304.65	166.94	0	0	0	137.71
3	भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड	160.00	139.84	0.00	0.00	0.00	20.16	160	107.84	0	0	0	52.16	160	107.84	0	0	0	52.16	160	99.84	0	0	0	60.16	160.00	99.84	0	0	0	60.16
4	भारतीय रेलवे वित निगम	11880.46	11880.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13068.51	11286.44	0	0	0	1782.07	13068.51	11286.44	0	0	0	1782.07	13068.51	11286.44	0	0	0	1782.07	13068.51	11286.44	0	0	0	1782.07
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	94.05	83.88	0.00	0.00	0.00	10.17	94.05	68.83	0	0	0	25.22	188.1	137.66	0	0	0	50.44	188.1	137.66	0	0	0	50.44	188.10	122.58	0	0	0	65.52
6	रेल विकास निगम लिमिटेड	2085.02	1831.56	0.00	0.00	0.00	253.46	2085.02	1630.6	0	0	0	454.42	2085.02	1630.5	0	0	0	454.52	2085.02	1630.5	0	0	0	454.52	2085.02	1518.73	0	0	0	566.29
7	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	320.94	320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	320.94	233.78	0	0	0	87.16	320.94	233.78	0	0	0	87.16	320.94	233.78	0	0	0	87.16	320.94	233.78	0	0	0	87.16
8	राइट्स लिमिटेड	250.00	180.04	0.00	0.00	0.00	69.96	240.3	173.5	0	0	0	66.8	240.3	173.5	0	0	0	66.8	240.3	173.5	0	0	0	66.8	240.30	173.50	0	0	0	66.80
9	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	83.42	83.42	0	0	0	0	83.42	83.42	0	0	0	0	83.42	83.42	0	0	0	0	83.42	83.42	0	0	0	0	83.42	83.42	0	0	0	0
10	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	184.63	184.63	0	0	0	0	184.63	184.63	0	0	0	0	विलीन																	
11	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	1400	1400	0	0	0	0	1403	1403	0	0	0	0	3758.62	3758.62	0	0	0	0	3758.62	3758.62	0	0	0	0	3758.62	3758.62	0	0	0	0
12	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	75.85	75.85	0	0	0	0	75.85	75.85	0	0	0	0	विलीन																	
13	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5362.57	4748.86	0	613.71	0	0	5560.7	4855.5	0	705.2	0	0	5703.04	4936.88	0	766.16	0	0	5865.12	4998.74	0	866.38	0	0	5865.12	4998.74	0	866.38	0	0
14	मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड.	25	12.75	0	12.25	0	0	25	12.75	0	12.25	0	0	25	12.75	0	12.25	0	0	25	12.75	0	12.25	0	0	25	12.75	0	12.25	0	0
15	वैगन इंडिया लिमिटेड.	परिसमापन के अधीन																													
16	एनआरटीयू फाउंडेशन	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम संख्या	रेलवे पीएसई का नाम	2019-20						2020-21						2021-22						2022-23						2023-24					
		कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य
17	रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड*																									0	0	0	0	0	0
योग		**36304.22**	**35186.8**	**0**	**625.96**	**0**	**491.46**	**37683.7**	**34360.71**	**0**	**717.45**	**0**	**2605.54**	**40015.23**	**36605.96**	**0**	**778.41**	**0**	**2630.86**	**41829.67**	**38312.18**	**0**	**878.63**	**0**	**2638.86**	**41829.67**	**38185.33**	**0.00**	**878.63**	**0.00**	**2765.71**
सहायक कंपनियाँ																															
18	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	36.65	0	36.65	0	0	0	36.65	0	36.65	0	0	0	36.65	0	36.65	0	0	0	36.65	0	36.65	0	0	0	36.65	0	36.65	0	0	0
19	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	215.01	0	215.01	0	0	0	215.01	0	215.01	0	0	0	220.47	0	220.47	0	0	0	228.68	0	228.68	0	0	0	228.68	0	228.68	0	0	0
20	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	200	0	102	0	98	0	200	0	102	0	98	0	200	0	102	0	98	0	200	0	102	0	98	0	200.00	0	102.00	0.00	98.00	0.00
21	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	100	0	74	0	26	0	100	0	74	0	26	0	100	0	74	0	26	0	100	0	74	0	26	0	99.480	0	73.62	0.00	25.86	0.00
22	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0
23	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165.00	0	165.00	0	0	0
24	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150.00	0	150.00	0	0	0
25	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	164.05	0	164.05	0	0	0	164.05	0	164.05	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173.00	0	173.00	0	0	0
26	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10.00	0	10.00	0	0	0
27	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65.00	0	65.00	0	0	0
28	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	दिसंबर 2021 में शामिल												0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	-	0.05	0	0	0	3.62	0	3.62	0	0	0
29	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	जनवरी 2022 में निगमित												बकाया खाते						0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0
30	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	दिसंबर 2021 में शामिल												0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0	0	4.34	0	4.34	0	0	0
31	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	जनवरी 2022 में निगमित												बकाया खाते						0.05	-	0.05	0	0	0	5.20	0	5.20	0	0	0
32	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	जनवरी 2022 में निगमित												बकाया खाते						5	0	3.8	0	0	1.2	5.00	0	3.80	0	0	1.2

*रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड

क्रम संख्या	रेलवे पीएसई का नाम	2019-20						2020-21						2021-22						2022-23						2023-24					
		कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य
33	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड	0.11	0	0.11	0	0	0	0.11	0	0.11	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45.00	0	45.00	0	0	0
34	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	मूल कंपनी के साथ विलय					
35	आरईएमसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड)	70	34.3	35.7	0	0	0	105	51.45	53.55	0	0	0	105	51.45	53.55	0	0	0	105	51.45	53.55	0	0	0	105.00	51.45	53.55	0	0	0
36	मसकानी पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड.	वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगमित																								27.65	0	27.65	0	0	0
37	ब्रेथवेट एनसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	जनवरी 2023 में निगमित																								0.05	0	0.05	0	0	0
योग		**1185.82**	**34.3**	**1027.52**	**0**	**124**	**0**	**1220.87**	**51.45**	**1045.42**	**0**	**124**	**0**	**1280.27**	**51.45**	**1104.82**	**0**	**124**	**0**	**1293.58**	**51.45**	**1116.93**	**0**	**124**	**1.2**	**1323.77**	**51.45**	**1147.26**	**0.00**	**123.86**	**1.20**
संयुक्त उपक्रम																															
38	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	80	40	40	0	0	0	200	100	100	0	0	0	200	100	100	0	0	0	200	100	100	0	0	0	200.00	100.00	100.00	0	0	0
39	सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड	10	0	6.3	3.4	0	0.3	10	0	6.3	3.4	0	0.3	10	0	6.3	3.4	0	0.3	10	6.3	0	3.4	0	0.3	10.00	0	6.30	0	3.40	0.30
40	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	-	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48.00	0	48.00	0	0	0
41	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7580	7450	0	130	0	0	9580	8950	0	630	0	0	12930	10000	0	2930	0	0	14211.43	10000	0	4211.43	0	0	15006.00	10000.00	0	5006.00	0	0
42	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	80	40	0	40	0	0	85.42	42.71	0	42.71	0	0	100	50	0	50	0	0	321.56	160.78	0	160.78	0	0	661.56	330.78	0	330.78	0	0
	योग	**7798**	**7530**	**94.3**	**173.4**	**0**	**0.3**	**9923.42**	**9092.71**	**154.3**	**676.11**	**0**	**0.3**	**13288**	**10150**	**154.3**	**2983.4**	**0**	**0.3**	**14790.99**	**10267.08**	**148**	**4375.61**	**0**	**0.3**	**15925.56**	**10430.78**	**154.30**	**5336.78**	**3.40**	**0.30**
विशेष प्रयोजन वाहन																															
43	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	1063.36	94.32	588.25	200.87	92.94	86.98	1187.37	138.57	668.13	200.9	92.97	86.8	1300	138.58	726.83	237.77	109.98	86.84	1300	138.58	726.83	237.77	109.98	86.84	1300	138.58	726.83	237.77	109.98	86.84
44	भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड	155.11	0	55	35.72	23.53	40.86	155.11	0	55	35.72	23.53	40.86	155.11	0	55	35.72	23.53	40.86	155.11	0	55	35.72	23.53	40.86	155.11	0	55.00	35.72	23.53	40.86
45	कृष्णपटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	625	0	476	35	0	114	625	0	476	35	0	114	625	0	476	35	0	114	625	0	476	35	0	114	625.00	0.00	476.00	35.00	0.00	114.00
46	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	250	0	125	10	0	115	250	0	125	10	0	115	250	0	125	10	0	115	250	0	125	10	0	115	821.00	0.00	410.50	32.84	0.00	377.66

क्रम संख्या	रेलवे पीएसई का नाम	2019-20						2020-21						2021-22						2022-23						2023-24					
		कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल इक्विटी	केन्द्र सरकार	सीजी कॉम्प	राज्य सरकार	एसजीसी	एफआई और अन्य
47	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	600	0	345	127.8	67.2	60	778.6	0	460	170.4	88.2	60	783.7	0	460	175.5	88.2	60	798.97	0	470.65	177.6	90.72	60	937.04	0	527.19	239.47	110.38	60
48	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	196	98	10	0	0	88	196	98	10	0	0	88	196	98	10	0	0	88	196	98	10	0	0	88	196.00	98.00	10.00	0	0	88.00
49	हसन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	112	55	0	28	19	10	112	55	0	28	19	10	112	55	0	28	19	10	112	55	0	28	19	10	112	55	0	28	19	10
योग		**3001.47**	**247.32**	**1599.25**	**437.39**	**202.67**	**514.84**	**3304.08**	**291.57**	**1794.13**	**480.02**	**223.7**	**514.66**	**3421.81**	**291.58**	**1852.83**	**521.99**	**240.71**	**514.7**	**3437.08**	**291.58**	**1863.48**	**524.09**	**243.23**	**514.7**	**4146.15**	**291.58**	**2205.52**	**608.80**	**262.89**	**777.36**
सकल योग		**48289.51**	**42998.42**	**2721.07**	**1236.75**	**326.67**	**1006.6**	**52132.07**	**43796.44**	**2993.85**	**1873.58**	**347.7**	**3120.5**	**58005.31**	**47098.99**	**3111.95**	**4283.8**	**364.71**	**3145.86**	**61351.32**	**48922.29**	**3128.41**	**5778.33**	**367.23**	**3155.06**	**63225.156**	**48959.14**	**3507.08**	**6824.21**	**390.15**	**3544.57**

अनुबंध 3.3 भारत सरकार एवं अन्य से कुल दीर्घकालिक ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रेलवे पीएसई का नाम	2019-20						2020-21						2021-22						2022-23						2023-24					
		कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉस	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉम्प	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉस	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉम्प	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉस	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य
	रेलवे कंपनियाँ																														
1	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	22457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22457.22	27310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27310.49	33150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33150.81	38347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38347.08	44095.14	0.00	0.00	0.00	0.00	44095.14
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	भारतीय रेलवे वित निगम	234376.73	0.00	0.00	0.00	0.00	234376.73	323110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	323110.68	388416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	388416.62	418929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	418929.25	399383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	399383.06
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2461.23	0.00	2461.23	0.00	0.00	0.00	1845.92	0.00	1845.92	0.00	0.00	0.00	1230.62	0.00	1230.62	0.00	0.00	0.00	615.31	0.00	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	रेल विकास निगम लिमिटेड	4256.65	0.00	4256.65	0.00	0.00	0.00	5671.51	0.00	5671.51	0.00	0.00	0.00	6315.43	0.00	6315.43	0.00	0.00	0.00	6030.58	0.00	6030.58	0.00	0.00	0.00	5515.77	0.00	5515.77	0.00	0.00	0.00
7	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	राइट्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	विलीन																	
11	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	4420.05	2480.31	0.00	0.00	0.00	1939.74	6043.65	2673.32	0.00	0.00	0.00	3370.33	4539.48	1057.76	0.00	0.00	0.00	3481.72	4853.03	1331.64	0.00	0.00	0.00	3521.39	5089.51	1949.72	0.00	0.00	0.00	3139.79
12	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	विलीन																	
13	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2330.25	2680.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2680.73	3116.21	199.92	0.00	0.00	0.00	2916.29	3023.32	338.39	0.00	0.00	0.00	2684.93	2506.74	133.06	0.00	0.00	0.00	2373.68
14	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	वैगन इंडिया लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	विलीन																	
16	एनआरटीयू फाउंडेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड																									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**270456.70**	**2634.88**	**6717.88**	**0.00**	**0.00**	**261103.94**	**366697.16**	**2707.50**	**7517.43**	**0.00**	**0.00**	**356472.23**	**436769.17**	**1257.68**	**7546.05**	**0.00**	**0.00**	**427965.44**	**471798.57**	**1670.03**	**6645.89**	**0.00**	**0.00**	**463482.65**	**456590.22**	**2082.78**	**5515.77**	**0.00**	**0.00**	**448991.68**
	सहायक कंपनियाँ																														
18	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	रेलवे पीएसई का नाम	2019-20						2020-21						2021-22						2022-23						2023-24					
		कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉस	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉम्प	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉस	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉम्प	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉस	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य
19	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	63.63	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	57.27	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	196.51
23	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	417.22	0.00	417.22	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	240.66	0.00	240.66	0.00	0.00	0.00	228.56	0.00	228.56	0.00	0.00	0.00	162.59	0.00	162.59	0.00	0.00	0.00
24	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	564.15	0.00	564.15	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	499.86	493.06	0.00	0.00	0.00	0.00	493.06	467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	467.17
25	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	269.22	0.00	269.22	0.00	0.00	0.00	357.39	0.00	26.46	0.00	0.00	330.93	382.89	-	38.76	0.00	0.00	344.13	372.42	0.00	47.13	0.00	0.00	325.29	322.17	0.00	47.13	0.00	0.00	275.04
26	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	589.50	0.00	589.50	0.00	0.00	0.00	589.50	0.00	34.48	0.00	0.00	555.02	724.12	0.00	68.96	0.00	0.00	655.16	620.68	0.00	68.96	0.00	0.00	551.72
27	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	दिसंबर 2021 में निगमित												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00
29	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	दिसंबर 2021 में निगमित												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	112.96
30	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	जनवरी 2022 में निगमित												बकाया लेखा						30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	155.70
31	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	जनवरी 2022 में निगमित												बकाया लेखा						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129.37
32	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	जनवरी 2022 में निगमित												बकाया लेखा						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	371.21
33	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	मूल कंपनी के साथ विलय					
35	आईएमसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड)	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40.25	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	मसाकनी पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड.	2022-23 में निगमित																								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ब्रेथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	जनवरी 2023 में निगमित																								39.80	0.00	-11.38	0.00	0.00	-46.21
	योग	**1541.84**	**0.00**	**1431.59**	**0.00**	**0.00**	**110.25**	**1904.83**	**0.00**	**1477.96**	**0.00**	**0.00**	**426.87**	**1794.83**	**0.00**	**313.90**	**0.00**	**0.00**	**1480.93**	**1899.77**	**0.00**	**344.65**	**0.00**	**0.00**	**1555.12**	**2735.36**	**0.00**	**278.68**	**0.00**	**0.00**	**2456.68**
संयुक्त उपक्रम																															
38	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	रेलवे पीएसई का नाम	2019-20						2020-21						2021-22						2022-23						2023-24					
		कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉस	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉम्प	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉस	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉम्प	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य	कुल एलटी ऋण	भारत सरकार	सीजी कॉस	एसजी	एसजीसी	एफआई और अन्य
39	सूरत एकीकृत परिवहन विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	29.74	0.00	5.60	0.00	0.00	24.14	19.80	0.00	2.80	0.00	0.00	17.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	690.02	0.00	0.00	0.00	0.00	690.02
	योग	**29.74**	**0.00**	**5.60**	**0.00**	**0.00**	**24.14**	**19.80**	**0.00**	**2.80**	**0.00**	**0.00**	**17.00**	**152.30**	**44.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107.34**	**245.90**	**45.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**738.84**	**48.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**690.02**
	विशेष उद्देश्य वाहन																														
43	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	1306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1306.20	1437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1437.09	1200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.03	1200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.03	1132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1132.03
44	भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	105.49	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	77.75	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	63.97	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	कृष्णपटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	1042.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.72	991.66	0.00	0.00	0.00	0.00	991.66	851.91	0.00	0.00	0.00	0.00	851.91	776.67	0.00	0.00	0.00	0.00	776.67	566.53	0.00	0.00	0.00	0.00	566.53
46	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	276.15	913.40	0.00	0.00	0.00	0.00	913.40	924.63	0.00	0.00	0.00	0.00	924.63	1059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1059.80
47	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	445.61	798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	798.40	1373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1373.42	1934.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1934.36	2228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2228.85
48	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	हसन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**2900.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2900.02**	**3581.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3581.05**	**4402.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4402.73**	**4851.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4851.36**	**4987.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4987.21**
	सकल योग	**274928.30**	**2634.88**	**8155.07**	**0.00**	**0.00**	**264138.35**	**372202.84**	**2707.50**	**8998.19**	**0.00**	**0.00**	**360497.15**	**443119.03**	**1302.64**	**7859.95**	**0.00**	**0.00**	**433956.44**	**478795.60**	**1715.93**	**6990.54**	**0.00**	**0.00**	**470089.13**	**465051.63**	**2131.60**	**5794.45**	**0.00**	**0.00**	**457125.58**

अनुलग्नक-3.4 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

(रूपये करोड़ में)

क्रम संख्या	रेलवे पीएसई का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		लाभ	लाभांश का भुगतान	लाभ	लाभांश का भुगतान	लाभ	लाभांश का भुगतान	लाभ	लाभांश का भुगतान	लाभ	लाभांश का भुगतान
रेलवे कंपनियाँ											
1	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-90.52	0.00	112.45	0.00	-16.15	0.00	-19.70	0.00	-29.58	0.00
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	375.78	228.06	503.33	304.65	1062.34	548.36	1169.08	670.22	1230.79	700.69
3	भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड	513.11	200.00	189.90	80.00	659.55	280.00	1005.88	440.00	1111.26	520.00
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम	3692.42	500.00	4416.13	1372.19	6089.83	1829.60	6337.01	1960.28	6412.10	1960.28
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	489.79	223.38	404.56	221.02	544.32	235.13	776.83	282.15	862.90	291.56
6	रेल विकास निगम लिमिटेड	789.86	237.69	940.55	329.43	1087.35	381.56	1267.97	444.11	1462.95	439.94
7	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	138.35	68.06	140.41	70.61	208.34	77.02	187.38	81.83	246.21	91.47
8	राइट्स लिमिटेड	596.39	400.00	424.35	312.39	497.10	408.52	530.54	492.62	454.21	456.57
9	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	19.78	0.00	24.72	0.00	42.42	0.00	49.72	0.00	16.47	0.00
10	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	0.47	0.00	-0.14	0.00	विलीन					
11	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-236.92	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.75	0.00	-0.01	0.00
12	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	9.25	0.00	95.58	0.00	विलीन					
13	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.84	0.00	-366.41	0.00	-140.87	0.00	278.93	0.00	301.74	0.00
14	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड.	19.60	0.00	23.25	0.00	7.57	0.00	87.42	0.00	133.71	0.00
15	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन									
16	एनआरटीयू फाउंडेशन	0.50	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	-2.46	0.00	-0.15	0.00
17	रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड	0.15		0.79		-5.10	0.00	3.10	0.00	-6.56	0.00
योग		**6321.85**	**1857.19**	**6909.47**	**2690.29**	**10036.98**	**3760.19**	**11672.45**	**4371.21**	**12196.04**	**4460.51**

सहायक कंपनियाँ											
18	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	7.20	23.86	-2.93	0.00	-9.65	0.00	-1.10	0.00	3.13	0.00
19	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	-6.45	0.00	-4.84	0.00	-3.73	0.00	-2.57	0.00	0.63	0.00
20	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	0.95	0.00	-9.13	0.00	-5.93	0.00	-0.91	0.00	0.14	0.00
21	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	6.60	0.00	-0.29	0.00	0.21	0.00	1.61	0.00	5.51	0.00
22	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड			0.01	0.00	-0.01	0.00	3.67	0.00	4.14	0.00
23	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-17.18	0.00	-21.38	0.00	-24.62	0.00	-17.17	0.00	-7.76	0.00
24	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	-30.83	0.00	-14.06	0.00	-12.05	0.00	-14.34	0.00	-6.39	0.00
25	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	0.77	0.00	0.65	0.00	5.87	0.00	26.37	0.00	23.87	0.00
26	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.24	0.00	0.28	0.00	60.16	0.00	21.74	0.00	48.11	0.00
27	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	11.51	0.00	5.75	0.00	5.30	0.00	5.33	0.00	8.86	8.83
28	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	दिसंबर 2021 में निगमित				0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
29	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	जनवरी 2022 में निगमित						0.77	0.00	2.70	0.00
30	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	दिसंबर 2021 में निगमित				0.00	0.00	0.31	0.00	7.06	0.00
31	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	जनवरी 2022 में निगमित				0.00	0.00	-0.01	0.00	10.91	0.00
32	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड							-0.29	0.00	-0.32	0.00
33	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड	0.01	0.00	-0.21	0.00	1.91	0.00	3.30	0.00	7.07	0.00
34	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	2.70	0.00	2.05	0.00	1.30	0.00	1.01	0.00	मूल कंपनी के साथ विलय	
35	आरईएमसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड)	35.02	10.50	24.13	9.00	45.32	13.65	59.04	57.75	81.22	88.20
36	मसाकनी पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	अगस्त 2023 में निगमित								-1.14	0.00
37	ब्रेथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	जनवरी 2023 में निगमित								-0.02	0.00
	योग	**10.54**	**34.36**	**-19.97**	**9.00**	**64.08**	**13.65**	**86.76**	**57.75**	**189.25**	**97.03**
संयुक्त उपक्रम											

38	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	3.07	0.00	5.06	0.00	1.34	0.00	1.64	0.00	4.72	0.00
39	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.41	0.00	0.20	0.00	0.24	0.00	0.22	0.00	1.88	0.00
40	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड	15.53	0.00	2.48	0.00	1.62	0.00	0.33	0.00	8.06	2.40
41	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	55.92	0.00	22.43	0.00	83.93	0.00	53.79	0.00	80.16	0.00
42	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.38	0.00	1.28	0.00	3.41	0.00	25.90	0.00	24.97	0.00
	योग	**74.55**	**0.00**	**31.45**	**0.00**	**90.54**	**0.00**	**81.88**	**0.00**	**119.79**	**2.40**
विशेष प्रयोजन वाहन											
43	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर	0.49	0.00	38.84	0.00	31.20	13.00	48.19	15.60	79.42	52.00
44	भरूच दहेज रेल कंपनी लिमिटेड	-10.80	0.00	-1.57	0.00	29.07	0.00	39.27	3.10	30.91	4.65
45	कृष्णपटनम रेल कंपनी लिमिटेड	-48.59	0.00	-106.82	0.00	-115.82	0.00	29.53	0.00	117.35	0.00
46	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	30.21	25.00	225.06	35.00	137.44	0.00	73.82	0.00	17.92	0.00
47	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	0.28	0.00	0.70	0.00	0.53	0.00	0.44	0.00	-48.48	0.00
48	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	82.27	9.80	26.02	9.80	10.55	0.00	55.09	9.80	23.32	0.00
49	हसन मैंगलोर रेल विकास निगम	21.48	0.00	-32.04	0.00	-39.99	0.00	-30.82	0.00	11.62	0.00
	योग	**75.34**	**34.80**	**150.19**	**44.80**	**52.98**	**13.00**	**215.52**	**28.50**	**232.07**	**56.65**
	सकल योग	**6482.28**	**1926.35**	**7071.14**	**2744.09**	**10244.58**	**3786.84**	**12056.61**	**4457.46**	**12737.15**	**4616.59**

अनुलग्नक-3.5 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

		2023-24						
क्रम संख्या	**रेलवे पीएसई का नाम**	**लाभ**	**लाभांश का भुगतान**	**निवल मूल्य**	**लाभ का 30%**	**नेट वर्थ का 5%**	**भुगतान किया जाने वाला लाभांश**	**कमी**
रेलवे कंपनियाँ								
1	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-29.58	0.00	15945.76	-8.87	797.29	797.29	797.29
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1230.79	700.69	11812.34	369.24	590.62	590.62	0.00
3	भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड	1111.26	520.00	3229.97	333.38	161.50	333.38	0.00
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम	6412.10	1960.28	49178.57	1923.63	2458.93	2458.93	498.65
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	862.90	291.56	5771.76	258.87	288.59	288.59	0.00
6	रेल विकास निगम लिमिटेड	1462.95	439.94	7867.28	438.89	393.36	438.89	0.00
7	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	246.21	91.47	1827.24	73.86	91.36	91.36	0.00
8	राइट्स लिमिटेड	454.21	456.57	2506.87	136.26	125.34	136.26	
9	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड #	16.47	0.00	216.79	4.94	10.84	10.84	10.84
11	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.01	0.00	3759.35	0.00	187.97	187.97	187.97
13	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड $	301.74	0.00	2021.82	90.52	101.09	101.09	0.00
14	मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड #	133.71	0.00	430.25	40.11	21.51	40.11	0.00
15	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन						
16	एनआरटीयू फाउंडेशन	-0.15	0.00	0.04	-0.05	0.00	0.00	0.00
17	रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड	-6.56	0.00	5.03	-1.97	0.25	0.00	0.00
योग		**12196.04**	**4460.51**	**104573.07**	**3658.81**	**5228.65**	**5475.32**	**1494.75**
सहायक कंपनियाँ								
18	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	3.13	0.00	26.26	0.94	1.31	1.31	1.31
19	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	0.63	0.00	39.55	0.19	1.98	1.98	1.98
20	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	0.14	0.00	159.09	0.04	7.95	7.95	7.95
21	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	5.51	0.00	97.40	1.65	4.87	4.87	4.87

22	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	4.14	0.00	96.21	1.24	4.81	4.81	4.81
23	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-7.76	0.00	139.44	-2.33	6.97	6.97	6.97
24	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	-6.39	0.00	40.97	-1.92	2.05	2.05	2.05
25	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	23.87	0.00	247.17	7.16	12.36	12.36	12.36
26	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	48.11	0.00	336.32	14.43	16.82	16.82	16.82
27	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	8.86	8.83	176.61	2.66	8.83	8.83	0.00
28	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	1.53	0.00	59.43	0.46	2.97	2.97	2.97
29	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	2.70	0.00	85.89	0.81	4.29	4.29	4.29
30	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	7.06	0.00	63.08	2.12	3.15	3.15	3.15
31	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	10.91	0.00	67.32	3.27	3.37	3.37	3.37
32	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	-0.32	0.00	126.74	-0.10	6.34	6.34	6.34
33	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड	7.07	0.00	57.06	2.12	2.85	2.85	2.85
34	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	मूल कंपनी के साथ विलय						
35	आरईएमसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड)	81.22	88.20	228.40	24.37	11.42	24.37	0.00
36	मसकानी पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड.	-1.14	0.00	26.52	-0.34	1.33	1.33	1.33
37	ब्रेथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**189.25**	**97.03**	**2073.46**	**56.78**	**103.67**	**116.62**	**83.42**
संयुक्त उपक्रम								
38	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	4.72	0.00	306.13	1.42	15.31	15.31	15.31
39	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.88	0.00	203.62	0.56	10.18	10.18	10.18

40	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड	8.06	2.40	67.35	2.42	3.37	3.37	0.97
41	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	80.16	0.00	15319.09	24.05	765.95	765.95	765.95
42	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24.97	0.00	722.05	7.49	36.10	36.10	36.10
योग		**119.79**	**2.40**	**16618.25**	**35.94**	**830.91**	**830.91**	**828.51**
विशेष प्रयोजन वाहन					0.00	0.00	0.00	0.00
43	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर	79.42	52.00	1470.31	23.83	73.52	73.52	21.52
44	भरूच दहेज रेल कंपनी लिमिटेड	30.91	4.65	279.02	9.27	13.95	13.95	9.30
45	कृष्णपटनम रेल कंपनी लिमिटेड $	117.35	0.00	577.97	35.21	28.90	35.21	35.21
46	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	17.92	0.00	2569.39	5.38	128.47	128.47	128.47
47	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	-48.48	0.00	972.40	-14.54	48.62	48.62	48.62
48	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23.32	0.00	736.88	7.00	36.84	36.84	36.84
49	हसन मैंगलोर रेल विकास निगम	11.62	0.00	288.39	3.49	14.42	14.42	14.42
कुल		**232.07**	**56.65**	**6894.36**	**69.62**	**344.72**	**351.03**	**294.38**
कुल योग		**12737.15**	**4616.59**	**130159.13**	**3821.15**	**6507.96**	**6773.88**	**2701.06**

नोट: क्रमांक 10 (बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड) और 12 (भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड) रेलवे पीएसई को 2022 में भंग कर दिया गया था

$ इन कंपनियों ने कहा कि संचित घाटे के कारण लाभांश घोषित नहीं किया गया था

#इन कंपनियों को लाभांश के भुगतान से छूट दी गई थी

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/audit-report